SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना
पर प्रतिवेदन

संघ सरकार
विद्युत मंत्रालय
2025 की प्रतिवेदन संख्या 17
(निष्पादन लेखापरीक्षा - वाणिज्यिक)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना
पर प्रतिवेदन

संघ सरकार
विद्युत मंत्रालय
2025 की प्रतिवेदन संख्या 17
(निष्पादन लेखापरीक्षा-वाणिज्यिक)

विषय वस्तु

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	iii
	कार्यकारी सार	v
अध्याय 1	परिचय	1
अध्याय 2	लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली	9
अध्याय 3	डीडीयूजीजेवाई का कार्यान्वयन	15
अध्याय 4	डीडीयूजीजेवाई का वित्तीय प्रबंधन	43
अध्याय 5	डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन एवं अन्वीक्षण तंत्र	53
अध्याय 6	"सौभाग्य" के अंतर्गत विद्युतीकरण	67
अध्याय 7	''सौभाग्य'' के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन	87
अध्याय 8	''सौभाग्य'' के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन एवं निगरानी तंत्र	95
अध्याय 9	निष्कर्ष	105
	अनुलग्नक	109
	पारिभाषिक शब्दावली	131
	शब्दसंक्षेप	134

प्राक्कथन

'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की यह निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संसद के समक्ष रखे जाने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

भारत सरकार ने विद्युत वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए दिसंबर 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के अंतिम छोर तक संबद्धता एवं विद्युत संयोजन सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) प्रारम्भ की। दोनों योजनाओं के महत्व के साथ-साथ उनके व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, मार्च 2020 तक की अवधि के लिए स्वीकृत परियोजनाओं को कवर करते हुए डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य की निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई थी। नमूना परीक्षण की गई परियोजनाओं के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को दिसंबर 2023 तक अद्यतन किया गया है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विद्युत मंत्रालय, आरईसी लिमिटेड एवं 27 नमूना परीक्षण किए गए राज्यों तथा तीन केंद्र शासित प्रदेशों (यूटीज़) से प्राप्त सहयोग के प्रति आभार प्रकट करते हैं।

कार्यकारी सार

योजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी

(i) गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की अवधि बढ़ाने तथा कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों को अलग करके कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क को मजबूत करने, तथा (iii) पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के चल रहे कार्य को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में 'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। डीडीयूजीजेवाई/आरजीजीवीवाई के अंतर्गत परियोजनाओं को डिस्कॉम्स द्वारा अवार्ड पत्र जारी करने की तारीख से 24[1]/30[2] महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना था। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने डीडीयूजीजेवाई/ आरजीजीवीवाई के लिए ₹63,027 करोड़ के बजटीय समर्थन सहित ₹75,893 करोड़ के कुल परिव्यय को स्वीकृति दी एवं ₹45,025 करोड़ के बजटीय समर्थन सहित ₹64,495 करोड़ की लागत के साथ समापन किया।

भारत सरकार ने अक्टूबर 2017 में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को अंतिम छोर तक संबद्धता एवं विद्युत संयोजन प्रदान करने के लिए 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)' भी शुरू की। इस परियोजना में दूरदराज एवं दुर्गम ग्रामों /बस्तियों में स्थित गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) आधारित एकल इकाई का प्रावधान सम्मिलित था, जहां ग्रिड विस्तार संभव या लागत प्रभावी नहीं थी। इस योजना को 31 मार्च 2019 तक ₹12,320 करोड़ के बजटीय समर्थन सहित ₹16,320 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ पूरा किया जाना था एवं ₹5,782 करोड़ के बजटीय समर्थन सहित ₹9,246 करोड़ की लागत के साथ योजना समापन कर दिया गया।

विद्युत मंत्रालय ने "सौभाग्य" के अंतर्गत शेष गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए आवश्यक वितरण नेटवर्क को मजबूत करने हेतु अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे के लिए ₹14,183 करोड़ के वित्तपोषण को स्वीकृति दी (अगस्त 2018 एवं मार्च 2019) एवं यह योजना ₹7,543 करोड़ के बजटीय समर्थन सहित ₹11,373 करोड़ की लागत के साथ बंद कर दी गई।

भारत सरकार ने घोषणा की कि 15 अगस्त 2015 को देशभर के बकाया 18,452 गैर-विद्युतीकृत गाँव (2011 जनगणना) 987 दिनों के रिकॉर्ड समय में 28 अप्रैल 2018 को विद्युतीकृत हो गए थे। विद्युत मंत्रालय ने भी सूचित किया कि भारत में बिजली तक पहुंच के काम को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने माना (2018) कि हर ग्राम को ऊर्जा प्रदान करने का भारत का प्रयास विश्व की महानतम सफलता गाथाओं में से एक है।

---

[1] *टर्नकीं क्रियान्वयन*
[2] *विभागीय निष्पादन*

निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में संक्षिप्त जानकारी

डीडीयूजीजेवाई एवं "सौभाग्य" योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा परिभाषित उद्देश्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए की गई थी। डीडीयूजीजेवाई के लेखापरीक्षा उद्देश्य में कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों को अलग करने की समीक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में उप-संचरण एवं वितरण प्रणाली को मजबूत करना एवं बढ़ाना, वितरण ट्रांसफॉर्मर/फीडर/ अंतिम उपभोक्ताओं तक मीटरिंग सहित ग्रामों का पूर्ण विद्युतीकरण सम्मिलित था।

"सौभाग्य" का लेखापरीक्षा उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या अंतिम छोर तक संबद्धता प्रदान करके घरों का विद्युतीकरण किया गया है एवं क्या दूरदराज एवं दुर्गम ग्रामों/बस्तियों में स्थित गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) आधारित एकल इकाई प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

वांछित योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उनकी सुदृढ़ता एवं दक्षता के लिए परियोजना नियोजन, वित्तीय प्रबंधन, परियोजना कार्यान्वयन, गुणवत्ता आश्वासन एवं अन्वीक्षण तंत्र का भी आकलन किया गया।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं मुख्य अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा ने 14 अनुशंसाएँ की हैं जो मंत्रालय को भविष्य की योजनाओं की बेहतर योजना बनाने, क्रियान्वयन एवं अन्वीक्षण में सहायता करेंगी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं मुख्य अनुशंसाएँ नीचे दी गई हैं:

डीडीयूजीजेवाई का कार्यान्वयन

डीडीयूजीजेवाई/आरजीजीवीवाई हेतु ₹63,027 करोड़ के बजट समर्थन सहित ₹75,893 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय सहित ₹67,280 करोड़ की स्वीकृत लागत के साथ योजना को क्रियान्वित किया गया था। ₹45,025 करोड़ के बजटीय समर्थन सहित ₹64,495 करोड़ की लागत के साथ इस योजना का समापन किया गया।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के मूल्यांकन के आधार पर विद्युत मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी विद्युत आपूर्ति के लिए योजना का दायरा एवं लागत अनुमान निर्धारित किया। लेखापरीक्षा ने 24 राज्यों एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आरईसी द्वारा किए गए मूल्यांकन की समीक्षा की एवं देखा कि आरईसी ने 19 राज्यों एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मांगे गए ₹44,821.22 करोड़ के सिस्टम सुदृढ़ीकरण घटक लागत को काफी हद तक सीमित कर ₹12,412.55 करोड़ कर दिया। ऐसे प्रतिबंध 14.13 *प्रतिशत* एवं 99.05 *प्रतिशत* के मध्य थे। सात राज्यों द्वारा मांगे गए ₹11,285.78 करोड़ के फीडर पृथककरण की लागत को राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/डीपीआर के 46.27 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* की सीमा में ₹3,967.20 करोड़ तक सीमित कर दिया गया। इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-विद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण के बाद विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के लिए उप-पारेषण एवं वितरण बुनियादी ढाँचे एवं फीडर पृथककरण को मजबूत करने एवं बढ़ाने का उद्देश्य आंशिक रूप से प्राप्त हुआ क्योंकि आवंटित बजट परिव्यय सिस्टम सुदृढ़ीकरण एवं फीडर पृथककरण के संबंध में डीडीयूजीजेवाई योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

विद्युत् मंत्रालय ने बताया कि राज्य इकाइयों द्वारा प्रस्तुत कार्यों को प्राथमिक कार्यों जैसे सभी बकाया गैर-विद्युतीकृत ग्रामों एवं फीडर पृथक्करण पर जोर देते हुए राज्यों से परामर्श कर निधियों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता दी गई थी। तदनुसार, राज्य इकाइयों ने स्वीकृत राशि के अनुसार व कार्य की प्राथमिकता की आधार पर संशोधित डीपीआर प्रस्तुत कीं क्योंकि अपस्ट्रीम आपूर्ति और वितरण क्षमता के बिना सभी घरों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति वस्तुगत रूप से संभव नहीं थी।

24 राज्यों एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों में से 12 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक (एटीएंडसी) घाटे का लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सका एवं यह 10 प्रतिशत से 26 प्रतिशत के मानदंडों के मुकाबले 11.08 से 59.28 प्रतिशत के मध्य रहा। इसके परिणामस्वरूप विद्युत मंत्रालय द्वारा डिस्कॉम्स को ₹3,631.62 करोड़ की कम अनुदान राशि जारी की गई।

(पैरा 3.1.5)

मार्च 2022 तक डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अलग किए गए फीडरों की कुल संख्या 7,833 थी, जबकि अन्वीक्षण समिति द्वारा स्वीकृत फीडरों की संख्या 9,019 एवं सीसीईए द्वारा अनुमोदित फीडरों की संख्या 16,500 थी। कुल मिलाकर, सीसीईए द्वारा अनुमोदित संख्या की तुलना में फीडर पृथक्करण के लिए कम कार्यों की स्वीकृति एवं स्वीकृत कुल फीडरों की तुलना में कम संख्या में कार्यों का निष्पादन, दर्शाता है कि फीडर पृथक्करण का कार्य डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत पूरी तरह से आच्छादित नहीं किया गया था। इसके अलावा, अन्वीक्षण समिति द्वारा स्वीकृत संख्याओं एवं अनुमोदन के लिए सीसीईए को प्रस्तुत लक्ष्यों के संदर्भ में वास्तव में निष्पादित फीडर पृथक्करण कार्यों की संख्या में महत्वपूर्ण भिन्नताएं यह दर्शाती हैं कि फीडर पृथक्करण की राज्यवार आवश्यकता का सही तरीके से आकलन नहीं किया गया था।

विद्युत् मंत्रालय ने कहा कि राज्यों/डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को राज्यों से परामर्श कर प्राथमिकता दी गई है। अतः निधियों की उपलब्धता के आधार पर और योजनाओं के समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, राज्यों को फीडर पृथक्करण राशि स्वीकृत की गई थी। इसके अलावा, कुछ राज्य, फीडर पृथक्करण को प्राथमिकता देते हुए, अपने संसाधनों या ऋणों के द्वारा फीडर पृथक्करण कार्य क्रियान्वित कर रहे थे।

विद्युत मंत्रालय द्वारा कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं कराया गया, जिसके कारण डीडीयूजीजेवाई के तहत फीडर पृथक्करण एवं प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों के विभिन्न घटकों के संबंध में वास्तविक उपलब्धियों में 47.47 प्रतिशत से 218.48 प्रतिशत तक की भिन्नता आई।

अनुशंसा:

कार्य की स्वीकृति एवं निष्पादन के दौरान बड़े अंतर से बचने के लिए कार्य के यथार्थवादी आकलन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

(पैरा 3.1.2)

डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों में यह परिकल्पना की गई थी कि प्रथम चरण में नोडल एजेंसी द्वारा मान्य कार्य के व्यापक दायरे के आधार पर, डिस्कॉम्स विभिन्न कार्य मदों के लिए विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर जिला/सर्किल/जोन-वार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेंगे। हालांकि, डीपीआर विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण पर आधारित नहीं थे एवं अंततः उनमें ग्रामों/घरों के विद्युतीकरण, फीडर पृथक्करण एवं परियोजनाओं में प्रणाली सुदृढ़ीकरण के संबंध में मात्रा का कम/अधिक अनुमान पाया गया।

विद्युत मंत्रालय ने भिन्नताओं को न्यूनतम करने का आश्वासन देते हुए कहा कि विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण व्यापक और बहुत समय लेता हैं और लागत लाभ विश्लेषण के अनुसार फायदा नही देता क्योकि ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कोई डीपीआर, सब-स्टेशन, प्रेषण लाईनों, ट्रांसफामर्रों में बदलाव व जमीन के मुद्दो के कारण पूर्णतः क्रियान्वित नहीं की जा सकती।

अनुशंसा:

योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, डीपीआर तैयार करने से पहले विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि कार्यान्वयन के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं में व्यापक भिन्नताओं को रोका जा सके।

(पैरा 3.1.4)

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत परियोजनाओं को अन्वीक्षण समिति द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति की तारीख से छह महीने के भीतर अवार्ड प्रदान किया जाना था एवं टर्नकी अनुबंध के मामले में लेटर ऑफ अवार्ड जारी होने की तारीख से 24 महीने के भीतर एवं आंशिक टर्नकी अनुबंध/विभागीय निष्पादन के मामले में 30 महीने के भीतर पूरा किया जाना था। 605 परियोजनाओं में से 24 राज्यों एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों में 494 परियोजनाओं (81.65 *प्रतिशत)* में काम देने में देरी हुई। 14 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में 184 परियोजनाओं (30 *प्रतिशत*) के मामले में 12 महीने से अधिक का विलंब हुआ ।

27 राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों में 605 पूर्ण परियोजनाओं में से 555 परियोजनाओं (91.74 प्रतिशत) के पूरा होने में भी विलंब हुआ । 27 राज्यों एवं तीन केन्द्र शासित प्रदेशों में से 19 राज्यों की 263 परियोजनाओं (47 प्रतिशत) के मामलों में 24 महीने से अधिक का बड़ा विलंब हुआ।

विद्युत मंत्रालय ने कहा कि केन्द्रीकृत खरीद व देशव्यापी मानकीकृत संविदा प्रावधानों व कीमतों के द्वारा विलंबों को न्यूनतम करने के प्रयास किये गए थे पर राज्यों के बीच सहमति न होने से सफल नहीं हुए।

अनुशंसा:

विद्युत मंत्रालय को परियोजनाओं के आवंटन एवं निष्पादन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का मानकीकरण सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि आवंटन एवं निष्पादन प्रक्रिया समय पर पूर्ण की जा सके।

(पैरा 3.2.2)

डीडीयूजीजेवाई का वित्तीय प्रबंधन

डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों में डिस्कॉम को किश्तों में धनराशि जारी करने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। आरईसी ने 27 राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से 06 राज्यों को पहली किस्त में ₹541.56 करोड़ का अनुदान जारी किया, जो त्रिपक्षीय/द्विपक्षीय समझौते के निष्पादन एवं परियोजना प्रबंधन एजेंसी की नियुक्ति की तारीख से 13 से 360 दिन पहले दिया गया था। इसके अलावा, परियोजनाओं में राज्य सरकार के योगदान का समय पर निवेश सुनिश्चित किए बिना 06 राज्यों को पात्र अनुदान घटक (तीसरी किश्त) के 60 प्रतिशत के रूप में ₹1,603.81 करोड़ का प्रारंभिक भुगतान किया गया।

इसी तरह, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, योग्य अनुदान की पहली किश्त परियोजनाओं के आवंटन के बाद जारी की जानी थी। हालांकि, आरईसी ने 2014-15 के दौरान पूंजी सब्सिडी की पहली किस्त ₹246.28 करोड़ जारी की, जबकि परियोजनाओं का काम डिस्कॉम्स द्वारा अप्रैल 2015 से मई 2017 के दौरान आवंटित किया गया था।

अनुशंसा:

नोडल एजेंसी यह सुनिश्चित करें कि धनराशि का निर्गमन अनुमोदित वित्तपोषण दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाए।

(पैरा 4.1)

मंत्रालय की स्वीकृति के अनुसार, निधियों को जारी करने के अनुरोधों के साथ परियोजनावार अप्रयुक्त शेष राशि से संबंधित विभिन्न सूचनाओं का विवरण भी संलग्न करना था ताकि भौतिक प्रगति के साथ निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, डीडीयूजीजेवाई योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, विद्युत मंत्रालय को उपरोक्त मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद आरईसी के समर्पित बैंक खातों में धन जारी करना था। हालांकि, आरईसी ने परियोजनावार खर्च नहीं की गई शेष राशि एवं परियोजनाओं की भौतिक प्रगति/वास्तविक आवश्यकता से संबंधित विवरण का संकेत दिए बिना अनुमान के आधार पर विद्युत मंत्रालय से धन की मांग की। आरईसी से आवश्यक विवरण पर जोर दिए बिना इस तरह के अनुरोधों के आधार पर विद्युत मंत्रालय द्वारा धन जारी किया गया था। आरईसी एवं मंत्रालय दोनों स्तरों पर मांग एवं निधि जारी करने की प्रक्रिया में इस तरह की चूक के कारण, विद्युत मंत्रालय से प्राप्त योजनावार अनुदान के मुकाबले आरईसी द्वारा धन के योजना-वार उपयोग में विसंगति होने के उदाहरण थे। इसके अलावा, 27 राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से 11 राज्यों में डिस्कॉम द्वारा ₹734.01 करोड़ की धनराशि को आरईसी द्वारा निर्धारित योजनाओं के अलावा अन्य योजनाओं में स्थानांतरित करने के मामले सामने आए।

समर्पित बैंक खाते में विशेष किश्तों के लिए धन जारी करने के लिए डीडीयूजीजेवाई के दिशा-निर्देशों के विपरीत, आरईसी ने 10वीं योजना एवं 11वीं योजना के लिए पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई के लिए खोला गया बैंक खाता जारी रखा। विद्युत मंत्रालय ने आरजीजीवीवाई 10वीं योजना, 11वीं योजना, 12वीं योजना, डीडीयूजीजेवाई के लिए अलग-अलग बजट परिव्यय किया था एवं डिस्कॉम को धन जारी करने के लिए काम के विभिन्न दायरे

एवं वित्त पोषण पैटर्न के साथ अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार किया था। आरईसी में डीडीयूजीजेवाई के लिए समर्पित बैंक खाते की अनुपस्थिति में, विद्युत मंत्रालय से योजनावार निधि की प्राप्ति एवं उसके बाद आरईसी द्वारा विभिन्न डिस्कॉम्स को विशेष तिथि पर योजना के अंतर्गत इसका संवितरण एवं किसी बकाया राशि का बैंक विवरण से सत्यापन नहीं किया गया था।

(पैरा 4.2)

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन एवं अन्वीक्षण तंत्र

डीडीयूजीजेवाई/आरजीजीवीवाई 12वीं योजना के दिशा-निर्देशों में डिस्कॉम के स्तर पर उच्चस्तरीय आंतरिक गुणवत्ता अन्वीक्षण तथा आरईसी के स्तर पर आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों (आरक्यूएम) के माध्यम से तृतीय-पक्ष गुणवत्ता अन्वीक्षण की परिकल्पना की गई थी, जिन्हें डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों के अनुपालन तथा अन्वीक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन की अन्वीक्षण करनी थी।

डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों का पालन न करते हुए, 27 राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से चार राज्यों एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों की डिस्कॉम ने न तो व्यापक गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) योजना तैयार की एवं न ही इसे अनुबंध समझौते का अभिन्न अंग बनाया। 27 राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से तीन राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में अधिकृत विक्रेताओं से सामग्री नहीं खरीदी गई। इसके अलावा, 27 राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से 10 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश द्वारा क्यूए तंत्र दिशा-निर्देशों का पालन न करते हुए अनुमोदित विक्रेताओं की सूची वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई।

विद्युत मंत्रालय ने कहा कि सामान्यतः विक्रेता अनुमोदन राज्य का विषय हैं। केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही सामग्री खरीदने का पूरा दायित्व डिस्कॉम्स का हैं। विद्युत मंत्रालय ने आगे उत्तर दिया कि मध्य प्रदेश में अनुमोदित विक्रेता सूची वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई थी क्योकि यह विक्रेता अनुमोदन केवल योजना के लिए अंतिम रूप से दिया गया था। तेलंगाना मे अनुमोदित विक्रेता सूची तेलंगाना राज्य उत्तरी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (टीएसएनपीडीसीएल) के वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई थी। परंन्तु तकनीकी मसलों के कारण वेब पोर्टल को पुनः डिज़ाईन किया गया। हिमाचल प्रदेश में अनुमोदित विक्रेता सूची वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई। नागालैंड में, अनुमोदित विक्रेता सूची वेब पोर्टल पर अपलोड की जा रही थी।

आरईसी स्तर पर पर्यवेक्षण के दौरान 6,13,119 मामलों में से 1,09,715 मामलों में पहचानी गईं त्रुटियों का समय पर समाधान नहीं किया गया। ग्रामों का निरीक्षण करने में विलंब, आदर्श गुणवत्ता ग्रामों की पहचान न होना तथा गुणवत्ता आश्वासन तंत्र दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अन्य त्रुटियां भी पाई गईं।

अनुशंसा:

गुणवत्ता आश्वासन एवं अन्वीक्षण तंत्र (अर्थात 100 प्रतिशत पूर्व-प्रेषण निरीक्षण, टर्नकी अनुबंध के साथ समझौते में सामग्री की खरीद, गुणवत्ता अन्वीक्षण दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना आदि) को डिस्कॉम्स के साथ-साथ आरईसी स्तर पर मजबूत

किया जाए।

(पैरा 5.1)

योजना के कार्यान्वयन में हितधारकों में से एक के रूप में राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित भौतिक कार्यों की जांच के बाद अन्वीक्षण समिति के अनुमोदन हेतु डीपीआर की अनुशंसा करने के लिए जिम्मेदार थी। इसमें प्रस्तावित वितरण नेटवर्क के अनुरूप अपस्ट्रीम नेटवर्क की पर्याप्तता सुनिश्चित करना, परियोजना क्षेत्र की लोड मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा किसी अन्य भारत सरकार योजना के साथ कार्य के दोहराव/ओवरलैपिंग से बचना सम्मिलित था। एसएलएससी स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की अन्वीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए भी जिम्मेदार थी। ऐसे उदाहरण देखे गए जहां डीपीआर को एसएलएससी की अनुशंसाओं के बिना आरईसी को प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा, कुछ राज्यों में, बहुत कम एसएलएससी बैठकें आयोजित की गईं।

(पैरा 5.2)

अन्वीक्षण समिति की बैठकों की आवृत्ति निर्धारित नहीं की गई। दिसंबर 2014 से मार्च 2022 तक की अवधि के दौरान डीडीयूजीजेवाई के लिए आयोजित कुल 25 बैठकों में से 14 बैठकें तीन महीने की अवधि के अंतराल में आयोजित की गईं एवं 11 बैठकें तीन महीने से 12 महीने के अंतराल के साथ आयोजित की गईं (यानी 6 बैठकें 3 महीने से 6 महीने के बीच आयोजित की गईं, 4 बैठकें 6 महीने से अधिक से 9 महीने के बीच आयोजित की गईं एवं एक बैठक 12 महीने के बाद आयोजित की गई)। बैठकों के अनियमित अंतराल पर एवं विलंब से आयोजित होने के कारण कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय अन्वीक्षण समिति की राय लिए बिना ही लिए गए, जिन्हें बाद में विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बाद अन्वीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

अनुशंसा:

विद्युत मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि योजनाओं की समय पर स्वीकृति, अन्वीक्षण एवं कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एसएलएससी एवं अन्वीक्षण समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएं।

(पैरा 5.3)

"सौभाग्य" के अंतर्गत विद्युतीकरण

"सौभाग्य" योजना को ₹14,082 करोड़ की स्वीकृत लागत के साथ क्रियान्वित किया गया। यह योजना ₹5,782 करोड़ की बजटीय सहायता सहित ₹9,246 करोड़ की लागत के साथ समाप्त हुई।

"सौभाग्य" के अंतर्गत कवर किए जाने वाले गैर-विद्युतीकृत घरों की अनुमानित संख्या 300 लाख थी। "सौभाग्य" डैशबोर्ड ने मार्च 2019 तक 262.84 लाख घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की 100 प्रतिशत उपलब्धि का दावा किया। हालाँकि, इन 262.84 लाख घरों में से केवल 151.60 लाख घरों को ही "सौभाग्य" के अंतर्गत विद्युतीकृत किया गया।

सभी 25 राज्यों, जहां इस योजना को लागू किया गया था, ने घोषणा की कि नवंबर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य 100 प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया। लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त सूचना एवं डैशबोर्ड पर उपलब्ध सूचना के विश्लेषण से पता चला कि डैशबोर्ड पर दर्शाए गए विद्युतीकरण हेतु घरों का अनुमान, योजना के दिशा-निर्देशों में सम्मिलित 300 लाख घरों से कम होकर 248.48 लाख रह गया। तदनुसार मार्च 2019 तक लक्ष्य के सापेक्ष 100 प्रतिशत उपलब्धि घोषित कर दी गई। 31 मार्च 2019 तक सात राज्यों ने 19.10 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों की सूचना दी थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा घरों के विद्युतीकरण की वास्तविकता का पता नहीं लगा सकी।

विद्युत् मंत्रालय ने माना कि सौभाग्य के तहत 152.30 लाख घर विदुतीकृत किए गए थे, डीडीयूजीजेवाई {ग्रामीण विद्युतीकरण व प्रधानमंत्री विकास परियोजनाएं (ग्रामीण)} के तहत 73.60 लाख घर तथा राज्य आरई योजनाओं के तहत 36.90 लाख घर विद्युतीकृत किए गए थे आगे यह कहा गया कि चूँकि सौभाग्य के तहत पहली बार व्यापक घरेलु विद्युतीकरण योजना शुरू की गई थी, अतः सरकार की समग्र नीतियों के अनुरूप प्रगति निगरानी व संतृप्ति आधारित विधि का पालन किया गया है और इसलिए केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा सह-सृजित उपलब्धियों को सौभाग्य के तहत दिखाया गया।

(पैरा 6.1.1. व 6.1.2)

दिशा-निर्देशों के अनुसार, डीपीआर में परियोजना/स्कीम के औचित्य, वित्तपोषण एवं कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान होना चाहिए। डिस्कॉम्स को लाभार्थियों की पहचान एवं घरों का ग्राम-वार/बस्ती-वार ब्यौरा तैयार करने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण करना था। डिस्कॉम्स ने भी फील्ड सर्वेक्षण किए बिना डीपीआर प्रस्तुत कीं। 24 राज्यों में सभी 36 भागीदार डिस्कॉम्स ने 71 से 418 दिनों के विलम्ब से डीपीआर प्रस्तुत किए, जिसने डीपीआर की समीक्षा व योजना कार्यान्वयन हेतु अन्वीक्षण समिति द्वार घरों की स्वीकृति विलंबित की।

अनुशंसा:

विद्युत मंत्रालय किसी योजना के प्रमोचन से पहले संभावित लाभार्थियों के संबंध में सटीक आंकड़े/सूचना सुनिश्चित करें तथा विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षणों के आधार पर योजना के कुशल कार्यान्वयन के लिए विवेकपूर्ण तरीके से निधि आवंटन की योजना बनाना सुनिश्चित करें। विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर डीपीआर की तैयारी सुनिश्चित करे ।

(पैरा 6.2.1)

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को एवं "सौभाग्य" के अंतर्गत आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को विद्युत संयोजन की अनुमति दी जाती है। दोनों राज्यों में डीडीयूजीजेवाई के साथ-साथ "सौभाग्य" के अंतर्गत 16,728 परिवारों को संयोजन जारी किए गए, जिसके कारण संविदाकार द्वारा एक ही कार्य का दोहरा दावा किया गया। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत आवश्यक अनुदान प्राप्त करने के बावजूद, आरईसी से ₹7.53 करोड़ का अनुदान भी "सौभाग्य" के अंतर्गत दावा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप डिस्कॉम्स को दोहरा भुगतान किया गया।

अनुशंसा:

विद्युत मंत्रालय एक ही अवधि के दौरान क्रियान्वित सभी योजनाओं के अंतर्गत घरेलू विद्युतीकरण के आंकड़ों का समय-समय पर मिलान करने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करे तथा चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का दावा अन्य समान योजनाओं के अंतर्गत न किया जाए।

(पैरा 6.3.1.2)

सात परियोजनाओं में ₹27.59 करोड़ का व्यय ऐसे कार्यों के निष्पादन के कारण दर्ज किया गया, जो डीपीआर में अनुमोदित नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप योजना के अंतर्गत अनुचित कार्यों का निष्पादन हुआ। संविदाकारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले भी लेखापरीक्षा में पाए गए, जैसे कार्य पूरा होने को सुनिश्चित किए बिना भुगतान करना, तथा समान कार्य के लिए ₹2.24 करोड़ का दोहरा भुगतान करना।

(पैरा 6.3.1.3)

"सौभाग्य" के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन

आरईसी ने अतिरिक्त बजटीय उधार के माध्यम से ₹500 करोड़ जुटाए (मार्च 2020), जिसमें से वह मार्च 2021 तक केवल ₹95.65 करोड़ ही खर्च कर सकी तथा ₹404.35 करोड़ अप्रयुक्त रह गए। आरईसी द्वारा ₹500 करोड़ की राशि जुटाई गई, जबकि उसके पास पहले से ही ₹352.32 करोड़ पड़े हुए थे। यह दर्शाता है कि डिस्कॉम्स को संवितरण के लिए निधि की आवश्यकता का आरईसी द्वारा पर्याप्त रूप से आकलन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त बजटीय उधार के माध्यम से जुटाई गई अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज के भुगतान के कारण विद्युत मंत्रालय पर ₹15.97 करोड़ का परिहार्य ब्याज भार पड़ा।

अनुशंसा:

विद्युत मंत्रालय/आरईसी एक तंत्र विकसित करे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ईबीआर के माध्यम से धनराशि, निधि जारी करने की रूपरेखा पूरी होने के बाद निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार ही जुटाई जाए।

(पैरा 7.1)

अन्य समान योजनाओं में परियोजना लागत के 0.5 प्रतिशत की दर से परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) प्रभारों की प्रतिपूर्ति की सीमा के प्रति, अन्वीक्षण समिति ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं असम को परियोजना लागत के क्रमशः 5.43 प्रतिशत, 1.70 प्रतिशत एवं 1.76 प्रतिशत की सीमा तक पीएमए प्रभारों की प्रतिपूर्ति बिना किसी विस्तृत विश्लेषण के करने की अनुमति दी। इसके अलावा, डिस्कॉम्स ने "सौभाग्य" निधि को अस्थायी रूप से अन्य योजनाओं के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए स्थानांतरित एवं उपयोग किया।

(पैरा 7.2)

चार राज्यों की आठ डिस्कॉम्स ने ₹507.18 करोड़ मूल्य की धनराशि/सामग्री को अस्थायी रूप से अन्य कार्यों/योजनाओं में लगा दिया, जो "सौभाग्य" दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

(पैरा 7.3)

"सौभाग्य" के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन एवं अन्वीक्षण

"सौभाग्य" दिशा-निर्देशों में डिस्कॉम के स्तर पर आंतरिक गुणवत्ता अन्वीक्षण तथा आरईसी के स्तर पर आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों के माध्यम से तृतीय-पक्ष गुणवत्ता अन्वीक्षण की परिकल्पना की गई थी, जिन्हें "सौभाग्य" दिशा-निर्देशों के अनुपालन तथा अन्वीक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन की देखरेख करनी थी। "सौभाग्य" दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, डिस्कॉम्स ने 24 राज्यों की 479 परियोजनाओं में से 21 राज्यों की 224 परियोजनाओं में व्यापक गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) योजना तैयार नहीं की। 24 राज्यों की 479 परियोजनाओं में से सात राज्यों की 80 परियोजनाओं में, व्यापक गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) योजना को टर्नकी संविदाकार के साथ अनुबंध समझौते का अभिन्न अंग नहीं बनाया गया था। गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, 11 राज्यों की सभी 15 डिस्कॉम्स में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का प्रेषण-पूर्व निरीक्षण नहीं किया गया। 10 राज्यों में सभी 12 डिस्कॉम्स द्वारा जारी किए गए घरेलू कनेक्शनों का शत-प्रतिशत सत्यापन भी नहीं किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार, आरईसी गुणवत्ता मॉनिटर को उन परियोजनाओं के पांच प्रतिशत ग्रामों में कार्यों की गुणवत्ता का सत्यापन करना था, जहां बुनियादी ढाँचे से संबंधित कार्य किए गए थे, तथा दो चरणों में "सौभाग्य" के अंतर्गत जारी किए गए घरेलू कनेक्शनों का 100 प्रतिशत सत्यापन करना था। आरईसी ने मई 2019 में 18 राज्यों के लिए एवं अक्टूबर 2019 में अन्य दो राज्यों के लिए आरईसी गुणवत्ता मॉनिटर नियुक्त किया, हालांकि यह योजना मार्च 2019 में पूरी होनी थी। इस योजना के अंतर्गत कुल 86.46 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण 11 अक्टूबर 2017 एवं 31 मार्च 2019 के मध्य पूरा किया गया, जबकि 18 राज्यों ने पहले ही संतृप्ति घोषित कर दी थी। इससे योजना के अंतर्गत परिकल्पित समवर्ती गुणवत्ता अन्वीक्षण का उद्देश्य विफल हो गया।

अनुशंसा:

विद्युत मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि सभी स्तरों पर नियंत्रण एवं अन्वीक्षण तंत्र को मजबूत किया जाए, साथ ही आगामी योजनाओं में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा गुणवत्ता आश्वासन ढाँचे का सख्ती से पालन करे।

(पैरा 8.1 व 8.2)

निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उत्तर में, विद्युत मंत्रालय ने कहा (14 नवंबर 2024) कि विद्युत मंत्रालय/आरईसी द्वारा सीएजी की अनुशंसाओं पर उचित रूप से विचार किया गया है एवं विद्युत मंत्रालय द्वारा अपनाई गई प्रणाली के अनुरूप भविष्य की योजनाओं के कार्यान्वयन में इसे सुनिश्चित किया जाएगा।

अध्याय 1: परिचय

1.1 ग्रामीण विद्युतीकरण

विद्युत सबसे बुनियादी मानवीय जरूरतों में से एक बन गई है एवं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन एवं मानव विकास के लिए आवश्यक प्रमुख तत्वों में से एक है। ग्रामीण विकास एवं औद्योगीकरण किसी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए आधारभूत हैं एवं विद्युत इसमें गति प्रदान करने वाले कारकों में से एक है।

जहाँ भारत के शहरी क्षेत्रों में विद्युत की खपत में उचित/महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र पीछे रह गए हैं। भारत सरकार (जीओआई) ने विगत वर्षों से, जीवन की गुणवत्ता में सुधार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया है। सामान्य शब्दों में ग्रामीण विद्युतीकरण (आर. ई.) का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत का संचार करना है जिसका उपयोग सिंचाई, कृषि कार्यों के मशीनीकरण एवं घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

विद्युत अधिनियम, 2003 जीओआई को गाँवों एवं बस्तियों सहित सभी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति करने के प्रयास करने का अधिदेश देता है। जीओआई ने सभी ग्रामों एवं घरों तक विद्युत की पहुंच प्रदान करके आर्थिक विकास की गति में तेजी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण विद्युतीकरण नीति (आरईपीओएल) (अगस्त 2006) को अधिसूचित किया।

1.2 भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति

1947 में, भारत में केवल 1,500 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया था एवं प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत 14 यूनिट्स थी। तब से, जीओआई ने कई ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किए हैं जैसे (i) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी), 1974-1978 के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, (ii) कुटीर ज्योति योजना, 1988-2004, (iii) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई), 2000-2005, (iv) त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (एआरईपी), 2003-2004 (v) 2004-2005 के दौरान एक लाख ग्रामों एवं एक करोड़ घरों का त्वरित विद्युतीकरण, एवं (vi) 2005-2014 के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना[1] (आरजीजीवीवाई)।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति एवं 10 अक्टूबर 2017 को ग्रामीण घरों के विद्युतीकरण की स्थिति नीचे दी गई है:

---

[1] *राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना - ग्रामीण बिजली बुनियादी ढाँचे और घरेलू विद्युतीकरण के निर्माण के लिए कार्यक्रम।*

तालिका 1.1

ग्रामीण विद्युतीकरण की वर्षवार स्थिति

वर्ष	जनगणना 2011 के अनुसार कुल बसे हुए ग्राम	विद्युतीकृत ग्राम	ग्राम जो गैर-विद्युतीकृत बने रहे	31 मार्च तक विद्युतीकृत ग्रामों की *प्रतिशत*
2013-14	5,97,464	5,72,414	25,050	95.81
2014-15	5,97,464	5,77,698	19,766	96.69
2015-16	5,97,464	5,86,065	11,399	98.09
2016-17	5,97,464	5,92,135	5,329	99.11
2017-18	5,97,464	5,97,121	343	99.94

स्रोत: ग्राम विद्युतीकरण पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

चित्र 1.1 विद्युतीकृत/ गैर-विद्युतीकृत ग्रामीण घरों की स्थिति

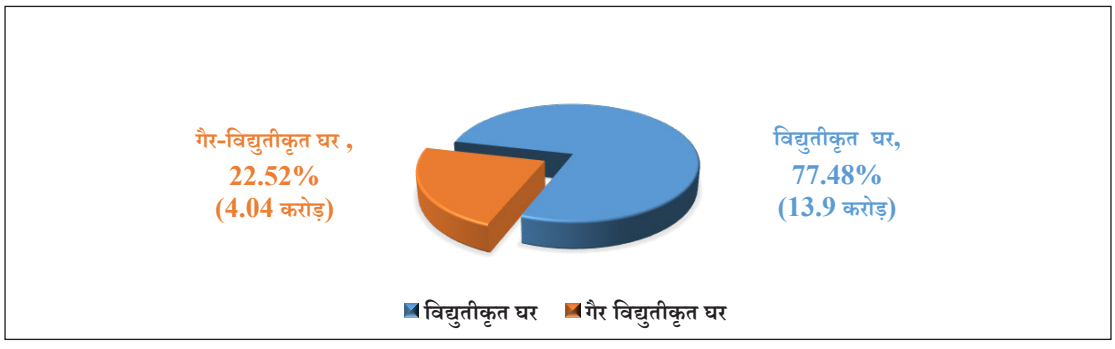

स्रोत: "सौभाग्य" योजना के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश।

ग्रामीण विद्युतीकरण पर सीईए की वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के अनुसार देशव्यापी जनगणना 2011 के समस्त आबादी वाले गाँव 28 अप्रैल 2018 को विद्युतीकृत थे।

2014-15 और 2017-18 के बीच आरजीजीवीवाई/डीडीयूजीजेवाई के तहत प्रयासों के कारण, बकाया 25,050 गैर-विद्युतीकृत ग्रामों में से 24,707 ग्राम विद्युतीकृत थे। सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के समय मार्च 2019 तक 4.04 करोड़ गैर विद्युतिकृत घर का विद्युतिकरण किया जाना था। भारत सरकार, राज्यों, विद्युत इकाइयों व अन्य हितधारकों के प्रयासों के कारण सौभाग्य योजना के शुरू होने से लेकर मार्च 2019 तक लगभग 2.63 करोड़[2] घर विद्तिकृत किए जा चुके थे। इसके अलावा, सौभागय के तहत अप्रैल 2019 से मार्च 2021 तक लगभग 19 लाख घर विद्युतिकृत किए गए तत्पश्चात, डीडीयूजीजेवाई के तहत 4.05 लाख घरों का विद्युतिकरण रिपोर्ट किया गया। तदनुसार, कुल 2.86 करोड़ घर विद्युतिकृत किए जा चुके हैं।

[2] ***सौभाग्य के तहत लगभग 152.30 लाख घर, डीडीयूजीजेवाई के तहत 73.60 लाख घर {ग्रामीण विद्युतिकरण व प्रधानमंत्री विकास परियोजनाओं (ग्रामीण)} तथा राज्य आर ई योजनाओं के तहत 36.90 लाख घर।***

भारत सरकार ने घोषणा की कि 15 अगस्त 2015 तक देशव्यापी (जनगणना 2011 के अनुसार) बकाया 18,452 गैर विद्युतिकृत ग्राम, 987 दिनों के रिकॉर्ड समय में 28 अप्रैल 2018 तक विद्युतिकृत हुए थे। विद्युत मंत्रालय ने ये भी सूचित किया कि भारत में विद्युत पहुँच के काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित किया गया था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने स्वीकार किया (2018) कि भारत के प्रत्येक ग्राम को ऊर्जा सक्षम बनाना विश्व की महानतम सफलता गाथाओं में से एक है।

1.3 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

समय-समय पर उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त/अस्थिर विद्युत आपूर्ति एवं वितरण नेटवर्क को मजबूत करने की समस्याएं बनी रहीं। इसे संबोधित करने एवं पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के चल रहे कार्य को पूरा करने की दृष्टि से, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 20 नवंबर 2014 को 'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' (डीडीयूजीजेवाई) को अनुमोदित किया। तदनुसार, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 03 दिसंबर 2014 को निम्नलिखित घटकों के साथ डीडीयूजीजेवाई योजना शुरू की:

(i) कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों का पृथक्कीकरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं को न्यायोचित आपूर्ति की रोस्टर व्यवस्था हो सके;

(ii) वितरण ट्रांसफॉर्मर, फीडर एवं उपभोक्ताओं के लिए मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना एवं बढ़ाना; तथा

(iii) डीडीयूजीजेवाई में शेष आरजीजीवीवाई कार्यों को सम्मिलित करके एवं डीडीयूजीजेवाई को आरजीजीवीवाई के लिए अनुमोदित परिव्यय[3] को आगे बढ़ाकर 12वीं योजना (2012-17) एवं 13वीं योजना (2017-22)[4] के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण करना।

डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देश, योजना के उपरोक्त घटक (i) एवं (ii) के साथ-साथ ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के अंतर्गत स्वीकृत किसी भी नई परियोजना के लिए लागू थे। पहले से स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आरजीजीवीवाई के मौजूदा परिचालन दिशा-निर्देशों/मानक दस्तावेजों/प्रक्रियाओं को जारी रखा गया था। विद्युत मंत्रालय द्वारा तय किए गए डिस्कॉम-वार प्रक्षेप पथ के अनुसार समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) नुकसान कम होने की उम्मीद थी।

[3] ₹35,447 करोड़ की बजटीय सहायता सहित ₹39,275 करोड़ की कुल योजना लागत के लिए 12वीं और 13वीं योजनाओं में आरजीजीवीवाई योजना को सीसीईए (अगस्त 2013) द्वारा अनुमोदित किया गया था। डीडीयूजीजेवाई (यानी, दिसंबर 2014) के शुरू होने के बाद, ₹29,574 करोड़ की बजटीय सहायता सहित ₹32,860 करोड़ की शेष योजना लागत डीडीयूजीजेवाई में शामिल हो गई।

[4] योजना आयोग के उन्मूलन के कारण 13वीं योजना शुरू नहीं हुई।

यह योजना नोडल एजेंसी (आरईसी), डिस्कॉम्स एवं राज्यों के मध्य द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय समझौते के क्रियान्वन के साथ शुरू होनी थी, जिसके बाद डिस्कॉम द्वारा विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण किया जाना था। इसके अलावा, डिस्कॉम द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टस (डीपीआर) को जांच हेतु आरईसी को प्रस्तुत किया जाना था एवं आगे अनुमोदन के लिए अन्वीक्षण समिति[5] (एमसी) को प्रस्तुत किया जाना था । डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत परियोजनाओं को अन्वीक्षण समिति द्वारा अनुमोदन के संचार की तिथि से छह महीने के भीतर डिस्कॉम द्वारा अवार्ड किया जाना था एवं डिस्कॉम द्वारा अवार्ड पत्र जारी करने/अन्वीक्षण समिति द्वारा परियोजना के अनुमोदन की तिथि से 24/30 महीनों[6] की अवधि के भीतर पूरा किया जाना था। परियोजनाओं के पूरा होने तक उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों को ***अनुलग्नक 1*** में दिए गए फ़्लोचार्ट में प्रस्तुत किया गया है।

वितरण क्षेत्र के इस उप-इष्टतम प्रदर्शन एवं बुनियादी ढाँचे में कमजोरियों के कारण, भारत सरकार ने निम्नलिखित घटकों के साथ (20 जुलाई 2021) 'संशोधित वितरण क्षेत्र योजना' (आरडीएसएस) शुरू कीः

(i) मीटरिंग एवं वितरण अवसंरचना कार्य;
(ii) प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण तथा अन्य सक्षम एवं सहायक योजनाएं; एवं
(iii) मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार एवं डीडीयूजीजेवाई के मौजूदा नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत लागू करने के लिए 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत चालू योजना अर्थात डीडीयूजीजेवाई की परियोजनाओं को इस योजना में सम्मिलित किया गया था।

1.4 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ("सौभाग्य")

ग्रामीण विद्युतीकरण में 2017 तक गाँवों के विद्युतीकरण पर प्रमुख जोर दिया गया था। हालाँकि, ग्राम के विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप सभी घरों का विद्युतीकरण नहीं हुआ, क्योंकि उस समय स्वीकृत परिभाषा के अनुसार 10 *प्रतिशत* घरों के विद्युतीकरण के साथ भी ग्राम को विद्युतीकृत माना जाता था। 10 अक्टूबर, 2017 तक राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 17.94 करोड़ ग्रामीण घरों में से 13.90 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया एवं शेष 4.04 करोड़ घरों (22.52 *प्रतिशत*)

---

[5] ***निगरानी समिति में 11 सदस्य शामिल थे, अर्थात सचिव (विद्युत मंत्रालय) (अध्यक्ष), विशेष सचिव/अपर सचिव (विद्युत मंत्रालय), अध्यक्ष (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण), प्रधान सलाहकार (ऊर्जा), योजना आयोग/उत्तराधिकारी संगठन, संयुक्त सचिव (वित्त मंत्रालय), संयुक्त सचिव (ग्रामीण विकास मंत्रालय), संयुक्त सचिव (कृषि मंत्रालय), संयुक्त सचिव (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय), संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (विद्युत मंत्रालय), संयुक्त सचिव (ग्रामीण विद्युतीकरण) (एमओपी), सीएमडी, आरईसी लिमिटेड।***

[6] ***टर्नकी कार्यान्वयन के मामले में, योजना के तहत परियोजनाओं को डिस्कॉम्स द्वारा लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने की तिथि से 24 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना था, जबकि निगरानी समिति के अनुमोदन किए जाने की तिथि से 30 महीने के भीतर आंशिक टर्नकी/विभागीय आधार पर कार्यान्वयन के लिए, कार्य पूरा किया जाना था।***

का विद्युतीकरण नहीं किया गया। सीसीईए ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ("सौभाग्य") को अनुमोदित किया (अगस्त 2017) एवं तदनुसार, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 20 अक्टूबर 2017 को निम्नलिखित विषय-क्षेत्र के साथ "सौभाग्य" शुरू किया:

- ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को अंतिम छोर संपर्क एवं विद्युत संयोजन उपलब्ध कराना;
- दूरदराज के एवं दुर्गम ग्रामों/बस्तियों में स्थित गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) आधारित स्टैंडअलोन प्रणाली उपलब्ध कराना, जहां ग्रिड का विस्तार संभव या लागत प्रभावी नहीं था; एवं
- शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से तंग शेष सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों को अंतिम छोर तक संपर्क एवं विद्युत संयोजन उपलब्ध कराना।

इस योजना को 31 मार्च 2019 तक पूरा किया जाना था।

"सौभाग्य" योजना के शुरू होने के बाद, 19 राज्यों[7] ने गैर-विद्युतीकृत परिवारों के विद्युतीकरण के लिए अतिरिक्त धन का अनुरोध किया। चूंकि घरेलू विद्युतीकरण कार्य को पूरा करने के लिए अधिक बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता थी एवं "सौभाग्य" योजना के अंतर्गत बुनियादी ढाँचे के काम को सम्मिलित नहीं किया गया था, इसलिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत मंत्रालय की अनुशंसा के आधार पर, "सौभाग्य" के अंतर्गत शेष गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए आवश्यक वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ₹14,183 करोड़ के अतिरिक्त वित्तपोषण को बुनियादी ढाँचे के लिए स्वीकृति (अगस्त 2018 एवं मार्च 2019) प्रदान की गई थी।

1.5 डीडीयूजीजेवाई एवं "सौभाग्य" के प्रमुख हितधारक

डीडीयूजीजेवाई व सौभाग्य में प्रमुख हितधारकों योजनाओं की प्लानिंग, क्रियान्वन एवं अन्वीक्षण में विभिन्न संस्थाओं की भूमिकाएं चित्र 1.2 के माध्यम से संक्षेप में प्रस्तुत की गईं है।

[7] *जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित।*

चित्र 1.2

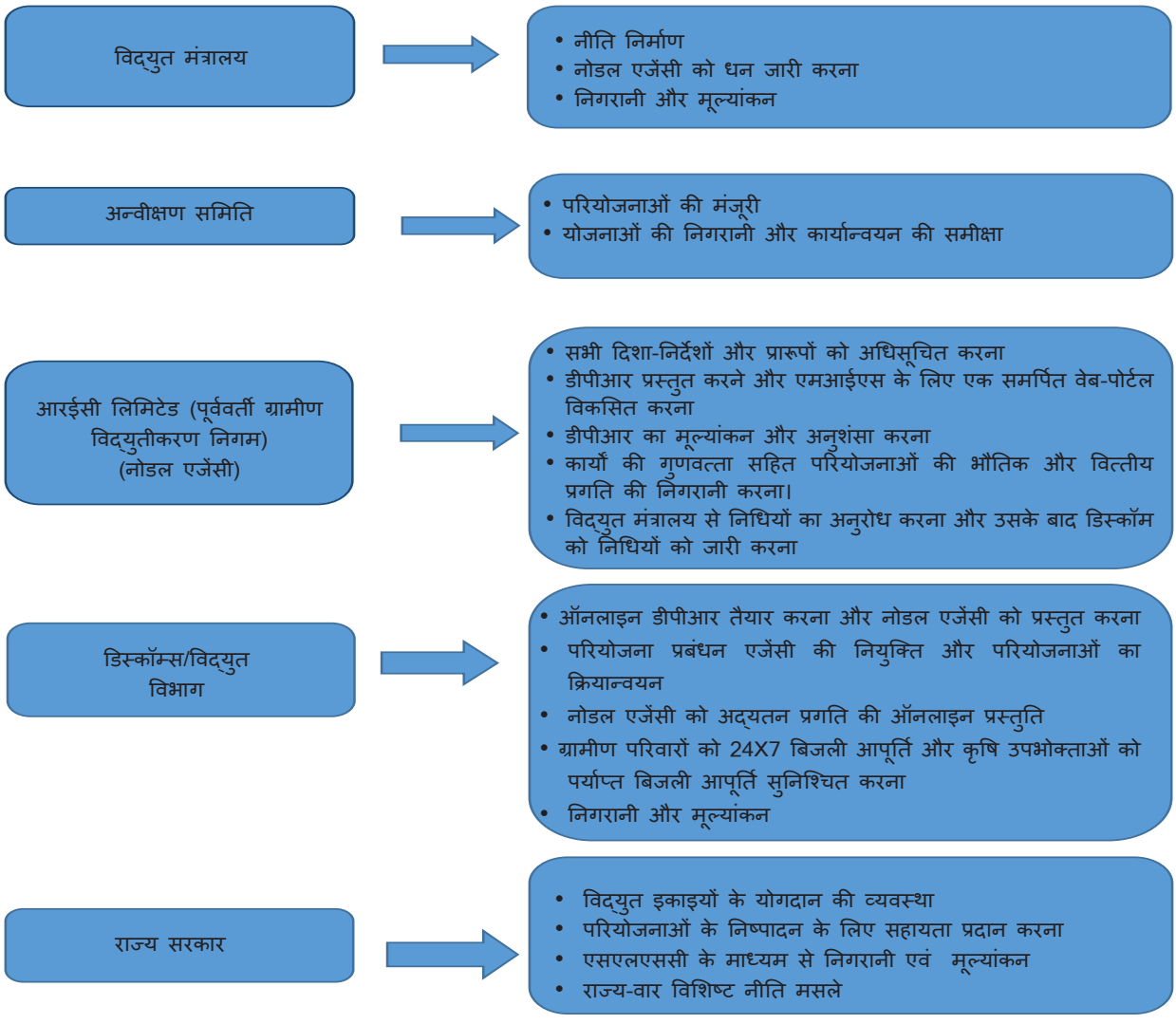

1.6 योजनाओं के लिए वित्तपोषण

योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होने थे:

(i) भारत सरकार द्वारा अनुदान (विशेष श्रेणी के राज्यों[8] के लिए परियोजना लागत का 85 *प्रतिशत* एवं विशेष श्रेणी वाले राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के लिए 60 *प्रतिशत*);

(ii) राज्य सरकार/विद्युत इकाइयों द्वारा योगदान (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए परियोजना लागत का 5 *प्रतिशत* एवं विशेष श्रेणी के अलावा अन्य राज्यों के लिए 10 *प्रतिशत*); एवं

(iii) आरईसी/वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा ऋण (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए परियोजना लागत का 10 *प्रतिशत* एवं विशेष श्रेणी के अलावा अन्य राज्यों के लिए 30 *प्रतिशत*)।

[8] ***विशेष श्रेणी के राज्यों में सभी पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं।***

निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर कुल ऋण घटक का *50 प्रतिशत* भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान में परिवर्तित किया जा सकता है।

निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर अतिरिक्त अनुदान सहित भारत सरकार द्वारा अधिकतम अनुदान विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए परियोजना लागत का *90 प्रतिशत* एवं विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के लिए *75 प्रतिशत* हो सकता है।

अनुमोदित योजना लागत, बजटीय सहायता, निष्पादन की लागत, विद्युत् मंत्रालय द्वारा आरईसी को जारी की गई राशि एवं डीडीयूजीजेवाई, "सौभाग्य" के अंतर्गत डिस्कॉम/राज्यों को परवर्ती अनुदान के वितरण एवं अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे को तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2

योजनाओं की लागत, भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता एवं 31 मार्च 2024 तक राज्यों को जारी अनुदान का सारांश दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ ₹में)

योजना	सीसीईए द्वारा अनुमोदित योजना लागत	सीसीईए द्वारा अनुमोदित बजटीय सहायता	अन्वीक्षण समिति द्वारा स्वीकृत योजना/ परियोजना लागत	योजना/ परियोजना की समापन लागत	समापन लागत के अनुसार पात्र भारत सरकार अनुदान	विद्युत् मंत्रालय द्वारा आरईसी को जारी किया गया अनुदान		आरईसी द्वारा डिस्कॉम्स को जारी किया गया वास्तविक अनुदान
						योजना	सक्षमीकरण शुल्क[9]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
डीडीयूजीजेवाई[10]	43,033	33,453	44,658	41,840	25,696	25,412	0	25,412
अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे[11]			14,183	11,373	7,566	7,543	0	7,543
"सौभाग्य"	16,320	12,320	14,082	9,246	6,330	5,782	466	5,782

स्रोतः आरईसी व विद्युत मंत्रालय द्वारा 14 नवम्बर 2024 के पत्र द्वारा प्रदान कराई गई सूचना

जैसा कि ऊपर दिए तालिका से स्पष्ट है, डीडीयूजीजेवाई के लिए, अन्वीक्षण समिति द्वारा स्वीकृत ₹44,658 करोड़ की परियोजना लागत, सीसीईए द्वारा अनुमोदित ₹43,033 करोड़ की योजना लागत से ₹1,625 करोड़ (सीसीईए द्वारा अनुमोदित योजना लागत का 3.78 *प्रतिशत*) अधिक थी। ₹14,183 करोड़ की योजना लागत के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे कार्यों को ₹7,543 करोड़ के अनुदान के साथ ₹11,373 करोड़ में निष्पादित किया गया।

---

[9] योजना के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों जैसे क्षमता निर्माण, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों के माध्यम से जागरूकता पैदा करना, हितधारकों के साथ बातचीत आदि के लिए सक्षम शुल्क रखे गए थे।

[10] डीडीयूजीजेवाई (अर्थात् दिसंबर 2014) के शुभारंभ के बाद, आरजीजीवीवाई 12वीं पंचवर्षीय योजना की शेष लागत ₹32,860 करोड़ (₹29,574 करोड़ की बजटीय सहायता सहित) डीडीयूजीजेवाई में सम्मिलित हो गई और इसे ₹22,665 करोड़ की कुल लागत के साथ बंद कर दिया गया (जिसमें ₹19,329 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है), जिसमें से ₹19,029 करोड़ आरईसी को जारी किए गए थे।

[11] अतिरिक्त इन्फ्रा फंड को सैधातिंक रूप से मंजूरी (अगस्त 2018) सीईए समिति की सिफारिश और तत्पश्चात वित्त मंत्रालय की सहमति (अक्तूबर 2018) द्वारा दी गई।

अध्याय 2: लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

यह निष्पादन लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 (अगस्त 2020 में संशोधित) के अनुरूप एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के साथ-साथ निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2014 के अनुरूप लेखापरीक्षा आयोजित की गई है।

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या:

1. ग्रामों का विद्युतीकरण डीडीयूजीजेवाई के अनुसार किया गया था, अर्थात,
   (क) कृषि एवं गैर-कृषि फीडर सुविधा के पृथक्करण का काम पूरा किया गया था एवं
   (ख) वितरण ट्रांसफॉर्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्द्धन किया गया;
2. घरों का विद्युतीकरण **"सौभाग्य"**[12] के अनुसार किया गया, अर्थात,
   (क) सभी आर्थिक रूप से गरीब गैर-विद्युतीकृत घरों को निःशुल्क संयोजन सहित अंतिम छोर तक संबद्धता एवं विद्युत संयोजन हासिल किया गया, एवं
   (ख) दूरदराज एवं दुर्गम ग्रामों /बस्तियों में स्थित गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए सौर फोटो वोल्टेइक (एसपीवी) आधारित स्टैंडअलोन सिस्टम स्थापित किए गए;
3. डीडीयूजीजेवाई एवं "सौभाग्य" योजनाओं की परियोजना नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ था, जिससे योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए धन का विवेकपूर्ण आवंटन एवं कुशल उपयोग सुनिश्चित किया गया;
4. परियोजनाओं का समय पर एवं कुशल तरीके से क्रियान्वयन किया गया; एवं
5. परियोजनाओं को वांछित गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त एवं प्रभावी गुणवत्ता आश्वासन एवं अन्वीक्षण तंत्र मौजूद थे।

2.2 लेखापरीक्षा की सीमा एवं कवरेज

डीडीयूजीजेवाई, आरजीजीवीवाई 12वीं योजना एवं "सौभाग्य" की उभयनिष्ठ परियोजनाओं का चयन महत्वपूर्ण वित्तीय परिव्यय एवं अपेक्षित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निष्पादन लेखा परीक्षा के लिए किया गया। 2014-15 से 2019-20 के दौरान योजनाओं

[12] ***प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना।***

के अंतर्गत चयनित 27 राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में स्वीकृत कुल 4,149 परियोजनाओं[13] में से, 411 ब्लॉकों[14] ***(अनुलग्नक 2)*** एवं 3,150 ग्रामों में निष्पादित 356 परियोजनाओं[15] का चयन किया गया एवं लेखापरीक्षा में नमूना जांच (दिसंबर 2023 तक के अद्यतित आंकड़ों/लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ) की गई।

नमूना चयन तीन स्तरों पर अर्थात परियोजना स्तर, ब्लॉक स्तर एवं ग्राम स्तर पर प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण (एसआरएसडब्ल्यूओआर) विधि का उपयोग करके किया गया था, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

परियोजना स्तर: डीडीयूजीजेवाई/आरजीजीवीवाई 12 वीं योजना के संबंध में न्यूनतम दो[16] के चयन सहित लगभग 25 *प्रतिशत* परियोजनाओं का चयन प्रत्येक राज्य से किया गया था। नमूना चयन के लिए, प्रत्येक राज्य की परियोजनाओं को 'उच्च जोखिम' स्तर एवं 'अन्य' स्तर में विभाजित किया गया। उच्च जोखिम स्तर को उच्चतम परियोजना लागत वाली परियोजनाओं के पांच *प्रतिशत* तक सीमित किया गया एवं 'अन्य' स्तर में शेष परियोजनाएं सम्मिलित थीं।

जहां 'उच्च जोखिम' के अंतर्गत 100 *प्रतिशत* परियोजनाएं लेखा परीक्षा के लिए ली गई थीं, वहीं प्रत्येक राज्य में कुल 25 *प्रतिशत* नमूना आकार के पूरक के लिए शेष परियोजनाएं 'अन्य' स्तरों से ली गई थीं।

इस प्रकार चयनित परियोजनाओं पर "सौभाग्य"के लिए भी विचार किया गया।

- डीडीयूजीजेवाई एवं डीडीजी 12वीं[17] योजना के अंतर्गत डीडीजी[18] परियोजनाओं का नमूना लिया गया, जिसमें पांच *प्रतिशत* परियोजनाओं/डीपीआर का नमूना चयन किया गया, जिसमें प्रत्येक राज्य में न्यूनतम दो ग्राम सम्मिलित थे।
- **ब्लॉक स्तर**: प्रत्येक पहचानी गई परियोजना में, तीन ब्लॉक चुने गए जहां ब्लॉकों की कुल संख्या नौ या उससे अधिक थी। अन्य परियोजनाओं में, दो[19] ब्लॉक चुने गए।
- **ग्राम स्तर**: प्रत्येक चयनित ब्लॉक में, 2019-20 के लिए ग्रामवार औसत घरेलू विद्युत खपत[20] के आंकड़ों के आधार पर, शून्य या कम औसत घरेलू विद्युत खपत वाले निचले 20 *प्रतिशत* ग्रामों को उच्च जोखिम के रूप में माना गया तथा लेखापरीक्षा के लिए चुना गया एवं शेष ग्रामों का 10 *प्रतिशत* चयन किया गया।

---

[13] डीडीयूजीजेवाई-605, आरजीजीवीवाई 12वीं योजना-246, विकेंद्रीकृत वितरण-सह-उत्पादन (डीडीजी) 12वीं योजना-65 और डीडीजी नई-3,233।

[14] 303 डीडीयूजीजेवाई + 108 आरजीजीवीवाई

[15] डीडीयूजीजेवाई-146, आरजीजीवीवाई 12वीं योजना-49, डीडीजी 12वीं योजना-6 और डीडीजी नई-155।

[16] उन राज्यों को छोड़कर जहां चयन के लिए केवल एक परियोजना उपलब्ध थी।

[17] डीडीजी 12वीं, आरजीजीवीवाई 12वीं योजना के तहत डीडीजी परियोजनाएं थीं।

[18] परियोजनाओं की परिकल्पना बायोमास, जैव ईंधन, जैव गैस, मिनी हाइड्रो, जियो थर्मल और सौर आदि जैसे पारंपरिक या नवीकरणीय या गैर-पारंपरिक स्रोतों से ऑफ-ग्रिड विद्युतीकरण प्रदान करने के लिए की गई थी। ऐसे गांव जहां ग्रिड कनेक्टिविटी या तो संभव नहीं थी या लागत प्रभावी नहीं थी।

[19] जिन परियोजनाओं में केवल एक ब्लॉक था, उसी का चयन किया गया।

[20] जिन राज्यों में औसत घरेलू बिजली खपत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहां बिजली खपत के आधार पर आंकड़ों को विभाजित किए बिना सीधे एसआरएसडब्ल्यूओआर का उपयोग करके गांवों का चयन किया गया।

ग्रामों का चयन प्रत्येक चयनित ब्लॉक से अधिकतम दस एवं न्यूनतम दो[21] की सीमा के साथ किया गया था।

- चयनित नमूने में से 1,682 ग्रामों को भी सर्वेक्षण के लिए चुना गया था, जिसमें 9,070 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) घरों सहित 12,295 घरों का चयन किया गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 2013 की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या-27 "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" फरवरी 2014 में संसद में प्रस्तुत की गई थी। विद्युत मंत्रालय ने रिपोर्ट पर अंतिम कार्रवाई नोट में आश्वासन दिया (अगस्त 2017) कि वे भविष्य में इसी तरह की नई योजना शुरू करने से पहले उक्त रिपोर्ट में बताई गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का ध्यान रखेंगे। लेखापरीक्षा ने विद्युत मंत्रालय के आश्वासन की भी जांच की है एवं दोहराई गई लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर टिप्पणी की है।

2.3 लेखापरीक्षा मानदंड

योजना के निष्पादन का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों पर किया गया:

- विद्युत अधिनियम 2003;
- राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006;
- विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी योजना दिशानिर्देश एवं गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में आरईसी द्वारा जारी अतिरिक्त दिशानिर्देश;
- आरईसी, राज्य सरकारों, राज्य विद्युत उपयोगिताओं एवं सीपीएसईज़ के मध्य द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय/चतुर्पक्षीय समझौते;
- विद्युत मंत्रालय की पूंजी सब्सिडी के भुगतान के लिए स्वीकृति के साथ उपयोग प्रमाण पत्र;
- सामान्य वित्तीय नियम;
- अखिल भारतीय विद्युत सांख्यिकी सामान्य समीक्षा 2013;
- कैबिनेट नोट एवं
- मानक बोली दस्तावेज

2.4 लेखापरीक्षा पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा 4 सितंबर 2020 को विद्युत मंत्रालय के साथ एक एंट्री कान्फ्रेंस के साथ शुरू हुई, जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, लेखापरीक्षा दायरा, लेखापरीक्षा उद्देश्य एवं लेखापरीक्षा मानदंड पर चर्चा की गई।

योजनाओं के क्रियान्वयन की शुरुआत से लेकर समग्र स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए, भारत के 27 राज्यों[22] एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य डिस्कॉम एवं विद्युत बोर्डों को कवर करते हुए राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा की गई। योजनाओं के

[21] *उन ब्लॉकों को छोड़कर जहां एक गांव चयन के लिए उपलब्ध था।*

[22] *चयनित 27 राज्यों में से 24 राज्यों में सौभाग्य योजना लागू की गई। तदनुसार, 24 राज्यों में सौभाग्य योजना की लेखापरीक्षा की गई।*

बारे में लाभार्थियों की धारणा जानने के लिए एक संरचित प्रश्नावली की मदद से अप्रैल 2021 एवं अक्टूबर 2021 के मध्य एक लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया गया था।

डीडीयूजीजेवाई एवं "सौभाग्य" के कार्यान्वयन में मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए विभिन्न लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया गया जैसे कि लेखापरीक्षा मांगपत्र जारी करना, विद्युत मंत्रालय, आरईसी, राज्य सरकारों, जिलों, ब्लॉक/ग्राम पंचायतों एवं वितरण कंपनियों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों एवं दस्तावेजों की जांच, लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ जारी करना, उस पर प्रबंधन के उत्तरों का विश्लेषण, लाभार्थी साक्षात्कारों के उत्तर आदि।

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जहां भी उत्तर उपलब्ध कराया गया, उनके उत्तर को सम्मिलित करने के बाद मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकारों को जारी की गई, संबंधित राज्य सरकारों के साथ एक्जिट कान्फ्रेंस आयोजित की गई एवं राज्य विशिष्ट निष्कर्षों पर चर्चा की गई।

लेखापरीक्षा के समापन, समेकितिकरण तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों के विश्लेषण के बाद, विद्युत मंत्रालय को एक समेकित निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट का मसौदा जारी किया गया (जनवरी 2022)। विद्युत मंत्रालय ने जून 2022 में अपने उत्तर प्रस्तुत किए। विद्युत मंत्रालय के साथ 1 अगस्त 2022 को एक एक्जिट कान्फ्रेंस भी आयोजित की गई जिसमें प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय एक्जिट कान्फ्रेंस में अपने उत्तरों एवं प्रतिक्रियाओं के माध्यम से मंत्रालय के विचारों पर विधिवत विचार किया गया।

इस रिपोर्ट में आंकड़े/लेखापरीक्षा टिप्पणियां दिसंबर 2023 तक अद्यतन की गईं हैं एवं अद्यतित रिपोर्ट 16 मई 2024 को मंत्रालय को जारी की गई तथा विद्युत मंत्रालय का उत्तर 14 नवंबर 2024 को प्राप्त हुआ, जिसे इस रिपोर्ट में विधिवत सम्मिलित किया गया है।

2.5 रिपोर्ट की संरचना

निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट की संरचना इस प्रकार की गई है:

अध्याय 1 में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं की पृष्ठभूमि की जानकारी एवं डीडीयूजीजेवाई एवं "सौभाग्य" के प्रमोचन तक प्राप्त ग्राम एवं घरेलू विद्युतीकरण की स्थिति, योजना के पूरा होने तक यानी 31 मार्च 2022 तक वित्त पोषण की स्थिति सहित जानकारी दी गई है।

अध्याय 2 में लेखापरीक्षा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें लेखापरीक्षा का दायरा एवं कवरेज, लेखापरीक्षा के उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदंड एवं लेखापरीक्षा पद्धति सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को मोटे तौर पर डीडीयूजीजेवाई एवं "सौभाग्य" योजनाओं से संबंधित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के विभिन्न पहलुओं के साथ संरेखित करते हुए सात अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है।

अध्याय 3 डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत फीडर पृथक्करण एवं उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की मदों के लक्ष्यों, स्वीकृतियों एवं वास्तविक उपलब्धियों की तुलना प्रस्तुत करता है। यह डीडीयूजीजेवाई योजना की आयोजना एवं निष्पादन पर लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को सामने लाता है जैसे डीपीआर प्रस्तुत करना, फीडरों के पृथक्करण कार्य की कवरेज,उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण कार्यों का निष्पादन, विकेन्द्रीकृत वितरण सह उत्पादन कार्यों का निष्पादन, परियोजनाओं के आवंटन एवं समापन में समयबद्धता तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार ग्रामों के विद्युतीकरण की स्थिति।

अध्याय 4 निधि प्रबंधन एवं मांग एवं निधियों के भुगतान, नोडल एजेंसी द्वारा समर्पित बैंक खातों के रखरखाव आदि के संबंध में डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

अध्याय 5 गुणवत्ता आश्वासन एवं अन्वीक्षण तंत्र की स्थिति प्रस्तुत करता है एवं गुणवत्ता आश्वासन तंत्र, राज्य स्तरीय अन्वीक्षण एवं डिस्कॉम द्वारा योजना की अन्वीक्षण के संबंध में दिशा-निर्देशों के अनुपालन में डीडीयूजीजेवाई योजना की अन्वीक्षण पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों सामने लाता है।

अध्याय 6 में "सौभाग्य" योजना के अंतर्गत ग्रिड एवं ऑफ-ग्रिड एसपीवी प्रणाली के माध्यम से घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्यों, स्वीकृतियों एवं वास्तविक उपलब्धियों की तुलना प्रस्तुत की गई है। यह अध्याय योजना एवं क्रियान्वयन पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ प्रस्तुत करता हैं, जैसे कि गैर-विद्युतीकृत घरों का आकलन, 100 *प्रतिशत* विद्युतीकरण की उपलब्धि की घोषणा, व्यवहार्यता रिपोर्ट/डीपीआर तैयार करना, डिस्कॉम द्वारा डीपीआर तैयार करने से पहले क्षेत्र सर्वेक्षण करना, डीपीआर प्रस्तुत करने में समयबद्धता के साथ-साथ डिस्कॉम द्वारा कार्यों को पूरा करना, पात्र घरों को विद्युत कनेक्शन जारी करना आदि।

अध्याय 7 में परियोजना प्रबंधन एजेंसियों पर किया गया व्यय, डिस्कॉम्स द्वारा व्यय, निधि प्रबंधन, धन की मांग एवं भुगतान के संबंध में "सौभाग्य" दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन, एवं लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं।

अध्याय 8 गुणवत्ता आश्वासन तंत्र, आरईसी गुणवत्ता मॉनिटर का कार्य एवं "सौभाग्य" की विद्युत मंत्रालय/अन्वीक्षण समिति स्तर की अन्वीक्षण गुणवत्ता के संबंध में दिशा-निर्देशों के अनुपालन में "सौभाग्य" योजना की अन्वीक्षण पर लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ सामने लाई गईं हैं।

अध्याय 9 में रिपोर्ट का समग्र निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

2.6 आभार

अंकेक्षक लेखापरीक्षा के सुचारू संचालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में राज्य सरकारों, आरईसी, डिस्कॉम एवं विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना एवं आभार व्यक्त करता है।

अध्याय 3: डीडीयूजीजेवाई का कार्यान्वयन

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के लिए फीडर पृथक्करण[23] एवं उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना[24], मीटर[25] सहित को मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी। विद्युत अवसंरचना के विभिन्न घटकों के माध्यम से विद्युत के प्रवाह को डायग्राम 1 में नीचे दर्शाया गया है।

डायग्राम -1

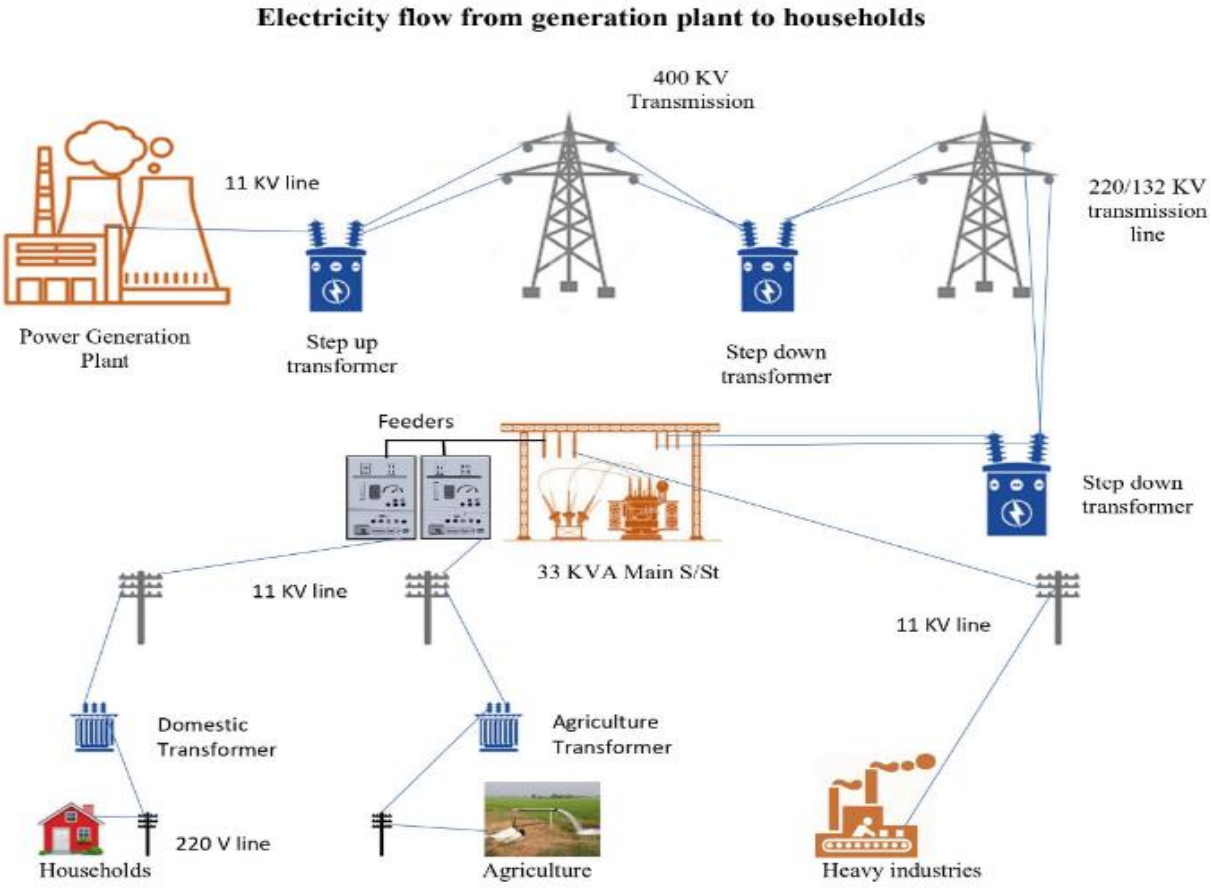

---

[23] *फीडर पृथक्करण कृषि उपभोक्ताओं और गैर-कृषि उपभोक्ताओं (घरेलू और गैर-घरेलू) को समर्पित फीडरों के माध्यम से अलग से बिजली की आपूर्ति को संदर्भित करता है। फीडरों को अलग करने का मुख्य उद्देश्य कृषि उपभोक्ताओं को विनियमित आपूर्ति प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि उपभोक्ताओं को निरंतर बिजली आपूर्ति करना है।*

[24] *इस घटक में मुख्य रूप से (i) 66 केवी/33 केवी/22 केवी/11 केवी लाइनों के साथ सब स्टेशनों का निर्माण/संवर्धन, (ii) मौजूदा लाइनों के संवर्धन सहित पुनर्विन्यास/पुनः संरेखण के लिए एचटी लाइनों का निर्माण, (iii) नए वितरण ट्रांसफॉर्मर की स्थापना और संबंधित एलटी लाइनों के साथ मौजूदा वितरण ट्रांसफॉर्मर का संवर्धन शामिल है।*

[25] *इस घटक में सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं, वितरण ट्रांसफॉर्मरों और फीडरों के लिए उपभोक्ता स्तर पर मीटरिंग शामिल है, ताकि उच्च हानि वाले क्षेत्रों की पहचान करके और हानि में कमी लाने के लिए उपचारात्मक उपाय शुरू करके उचित ऊर्जा लेखांकन और विद्युत वितरण के वाणिज्यिक संचालन के लिए एक तंत्र का निर्माण किया जा सके।*

3.1 अवसंरचनात्मक कार्यों का आकलन एवं स्वीकृति

3.1.1 फीडर पृथक्करण एवं वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लक्ष्य से विचलन

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत मंत्रालय ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के माध्यम से योजना के दायरे एवं लागत अनुमान का आकलन किया। उप-पारेषण एवं वितरण (एसटीएंडडी) अवसंरचना का आकलन 54 डिस्कॉम से प्राप्त जानकारी पर आधारित था, जिसे 29 राज्यों एवं छह केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 73 डिस्कॉम पर लागू किया गया था। सीईए ने इस आकलन का 30 *प्रतिशत* अवसंरचना को ग्रामीण क्षेत्र के लिए माना। सीईए ने मीटरिंग घटक के संबंध में 'अखिल भारतीय विद्युत सांख्यिकी' सीईए रिपोर्ट (सामान्य समीक्षा 2013) में उपलब्ध आंकड़ों पर विश्वास किया। फीडरों के पृथक्करण की मात्रा का अनुमान राज्य वार कृषि खपत के आधार पर संबंधित राज्यों के साथ विचार-विमर्श में लगाया गया था। विद्युत मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप से तय की गई लागत के साथ-साथ कार्य की अनुमानित मात्रा को योजना लागत की स्वीकृति के लिए सीसीईए नोट में सम्मिलित किया गया था एवं बाद में यह योजना दिशा-निर्देशों का हिस्सा बन गया। 31 मार्च 2024 तक लक्ष्य, स्वीकृतियों एवं उपलब्धियों के अनुसार मदों का घटक-वार सारांश तालिका 3.1 में दिया गया है।

तालिका 3.1

फीडर पृथक्करण एवं वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

विवरण	लक्ष्य	एम.सी. द्वारा स्वीकृत	वास्तविक उपलब्धि	लक्ष्य के संबंध में उपलब्धि (*प्रतिशत* में)	स्वीकृति के संबंध में उपलब्धि (*प्रतिशत* में)
1	2	3	4	5 = 4/2*100	6 = 4/3*100
फीडर पृथक्करण (संख्या)	16,500	9,019	7,833	47.47	86.85
33 केवी/11 केवी नया/संवर्धित उप-स्टेशन (संख्या)	3,235	3,595	4,048	125.13	112.60
66kV / 33kV लाइनें (परिपथ किलोमीटर)	21,900	22,807	25,101	114.62	110.06
11 केवी लाइन (परिपथ किलोन मीटर)	1,65,000	1,34,632	1,41,233	85.60	104.90
वितरण ट्रांसफॉर्मर (संख्या)	2,00,000	4,12,740	3,99,143	199.57	96.71
एलटी लाइनें (किलोमीटर में)	1,50,000	1,81,368	3,27,718	218.48	180.69
मीटर उपभोक्ता, कृषि उपभोक्ता, वितरण एवं फीडर (संख्या में)	2,59,10,800	1,69,61,868	1,90,41,387	73.49	112.26

स्रोत: विद्युत मंत्रालय की अनुमानित शीट एवं आरईसी की एमआईएस रिपोर्ट

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि अधिकांश घटको मे उपलबधि लक्ष्यों से ज्यादा थी। प्रणली सुदृढ़ीकरण कार्यों के पाँच घटको में, वास्तविक उपलब्धि अन्वीक्षण समिति द्वारा स्वीकृत संख्या के 104.90 *प्रतिशत* और 180.69 *प्रतिशत* के बीच थी। परन्तु वितरण ट्रांसफॉर्मर घटक के मामले मे वास्तविक उपलब्धि स्वीकृत मात्रा का 96.71 *प्रतिशत* थी। इसी तरह फीडर पृथक्करण घटक की उपलब्धि अन्वीक्षण समिति द्वारा स्वीकृत मात्राओं का 86.85 *प्रतिशत* थी। फीडर पृथक्करण घटक मे कम उपलब्धि के कारण अनुवर्ती **पैराग्राफ संख्या 3.1.2** मे दिये गए है।

यह भी देखा गया कि योजनां के तहत अक्षित अवसंरचना कार्य के विभिन्न घटकों के सम्बन्ध में अन्वीक्षण समिति द्वारा स्वीकृत व डिस्कॉम्स द्वारा प्राप्त वास्तविक उपलब्धि, लक्ष्य में सम्मिलित मात्राओं में भिन्नताएँ थीं, जो योजना तैयार करते समय अनुमान प्रक्रिया को क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित करने के द्वारा उन्हें सुदृढ़ करने की ज़रुरत को दर्शाता है।

एक्जिट कांफ्रेंस में, विद्युत् मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि बिजली कवरेज के लाभ को इष्टतम करने के लिए पूर्व उपलब्ध डाटा की सटीकता और क्रियान्वयन गति के मध्य मंत्रालय द्वारा संतुलन रखा गया है। यह भी सूचित किया गया कि निर्णय इस पृष्ठभूमि में लिया गया था कि पुरानी योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा पर्याप्त डाटा उपलब्ध था और तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने हेतु, योजनां की आवश्यकता 57 पीआईए से संगृहीत डाटा के आधार पर अनुमानित की गयी थी, जिन्होनें व्यवहार्यता रिपोर्टों का कार्य किया। इसके अलावा, विद्युत् मंत्रालय ने प्रणाली सुदृढ़ीकरण के तहत वितरण एवं एलटी लाईनों की आवश्यकता के निचले अनुमान का तथ्य स्वीकार किया और आगे यह भी कहा कि उन ग्राहकों के लिए जो अभी संयोजित नहीं थे, उपलब्ध सूचना सटीक नहीं थी और कार्यों से विचलन, जैसा देखा गया, समस्त भागीदार राज्यों और डिस्कॉम्स द्वारा रखे गए गलत रेकार्डों के कारण संभव था। डिजिटलीकरण की बढ़ते क़दमों से, और प्रगति से ऐसी समस्याएं समय बीतते कम हो जायेंगी इसके अलावा, भावी दाख्लों में यथा संभव व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने का आश्वासन दिया गया।

3.1.2 राज्यों में फीडर पृथक्करण की संस्वीकृति एवं क्रियान्वयन

डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों में यह परिकल्पना की गई थी कि गैर-कृषि उपभोक्ताओं को निरंतर विद्युत आपूर्ति तथा कृषि उपभोक्ताओं को विनियमित विद्युत आपूर्ति प्रदान करना, कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों[26] को अलग करके संभव होगा। इस योजना में सभी ग्रामीण परिवारों तक विद्युत की पहुंच सुनिश्चित करना तथा निर्दिष्ट पथ[27] (डिस्कॉम-वार)

---

[26] फीडर "वोल्टेज पावर लाइन है जो वितरण सबस्टेशन से वितरण ट्रांसफॉर्मर तक बिजली स्थानांतरित करती है"। कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए फीडरों को पृथक करने से बेहतर भार प्रबंधन सुनिश्चित होता है और ग्रामीण परिवारों को बिजली की आपूर्ति में वृद्धि होती है और यह एटी एंड सी हानि को कम करने में मदद करता है।

[27] चरणबद्ध तरीके से एटी एंड सी हानियों को कम करने के लिए डिस्कॉम-वार अनुमान।

के अनुसार चरणबद्ध तरीके से समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में कमी लाना भी सम्मिलित है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर गुणवत्ता के साथ गैर-कृषि उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति की सुविधा प्रदान की जा सके।

विद्युत मंत्रालय की ओर से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने फीडरों के पृथक्करण हेतु सभी राज्यों से आवश्यकताएं मांगी (मार्च 2012) । राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर सीईए ने उन 11 राज्यों[28] की आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए 16,500 फीडरों के पृथक्करण की आवश्यकता परिकलित की जहां कृषि बोझ काफी अधिक था। जबकि 11 राज्यों में से चार राज्यों[29] की आवश्यकताओं का विशिष्ट रूप से एवं अलग-अलग अनुमान लगाया गया था, शेष सात राज्यों[30] के लिए आवश्यकताओं का राज्यवार विस्तृत अनुमान लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में नहीं देखा गया । इन सात राज्यों के लिए 3,000 फीडरों की कुल आवश्यकता के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव पर नवंबर 2014 में सीसीईए द्वारा अनुमोदित योजना लागत के लिए विचार किया गया था। सीसीईए द्वारा अनुमोदित योजना लागत में अनुमानित फीडर पृथक्करण कार्य का विवरण, अन्वीक्षण समिति द्वारा संस्वीकृत एवं वास्तव में 31 मार्च 2024 तक अलग किए गए कार्य का विवरण तालिका-3.2 में दिया गया है।

तालिका 3.2 फीडर पृथक्करण का लक्ष्य, संस्वीकृति एवं उपलब्धि

क्रम. सं.	राज्य का नाम	सीसीईए को प्रस्तुत एवं अनुमोदित लक्ष्य		अन्वीक्षण समिति द्वारा स्वीकृत			31 मार्च 2024 तक वास्तविक पृथक्कृत		
		फीडर की संख्या	राशि (₹करोड़ में)	फीडर की संख्या	राशि (₹करोड़ में)	लक्ष्य की प्रतिशतता	फीडर की संख्या	राशि (₹करोड़ में)	स्वीकृति की प्रतिशतता
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7/4*100)
1	चार राज्य जिनकी आवश्यकताओं का विशेष रूप से अनुमान लगाया गया था	13,500	20,250	3,745	8,338.95	27.74	3,491	6,142.31	93.22

[28] *आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।*

[29] *बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।*

[30] *आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान.*

क्रम. सं.	राज्य का नाम	सीसीईए को प्रस्तुत एवं अनुमोदित लक्ष्य		अन्वीक्षण समिति द्वारा स्वीकृत			31 मार्च 2024 तक वास्तविक पृथक्कृत		
2	सात राज्य जिनकी विशिष्ट आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं थीं	3,000	4,500	3,748	2,509.06	124.93	3079	2,092.35	82.15
3	अतिरिक्त सात राज्यों को सीसीईए की मंजूरी के बाद शामिल किया गया	-	-	1,526	4218.06	--	1,263	2,074.99	82.77
	सभी राज्यों का कुल योग	**16,500**	**24,750**	**9,019**	**15,066.07**	**54.66**	**7,833**	**10,309.65**	**86.85**

स्रोत: विद्युत मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया अनुमान पत्र, अन्वीक्षण समिति द्वारा स्वीकृति एवं आरईसी द्वारा वास्तविक निष्पादन के संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराए गए तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा 14 नवंबर 2024 के पत्र के माध्यम से आंकड़ों की पुष्टि की गई।

तालिका 3.2 से यह स्पष्ट है कि कुल मिलाकर, फीडर पृथक्करण घटक के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित योजना लागत के अंतर्गत ₹24,750 करोड़ की लागत से11 राज्यों में 16,500 फीडरों के मुकाबले, अन्वीक्षण समिति द्वारा उपर्युक्त 17 राज्यों में केवल 9,019 (54.66 *प्रतिशत*) फीडरों को स्वीकृति दी गई (आंध्र प्रदेश ने फीडर पृथक्करण कार्य नहीं किया) जिसकी कुल लागत ₹15,066.07 करोड़ (60.87 *प्रतिशत*) थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि फीडरों की राज्यवार आवश्यकता का आकलन करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा कोई व्यापक व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया गया था एवं आरईसी द्वारा किए गए डीपीआर के मूल्यांकन के दौरान, यह निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त सभी राज्यों को योजना से वित्त पोषण का लाभ मिले। शेष 11 राज्यों[31] एवं तीन केंद्रशासित प्रदेशों[32] ने फीडर पृथक्करण के लिए किसी निधि की मांग नहीं की थी।

- उपर्युक्त उल्लिखित 11 राज्यों के अलावा, पांच राज्यों[33] में फीडरों के पृथक्करण के 1,526 कार्य भी अन्वीक्षण समिति द्वारा (डीपीआर मूल्यांकन चरण के दौरान) योजना की संस्वीकृत लागत के अंतर्गत स्वीकृत किए गए थे। हालांकि, इन राज्यों को सीसीईए द्वारा अनुमोदित योजना लागत में सम्मिलित नहीं किया गया था। दो राज्यों[34] में फीडरों की संख्या को स्वीकृति नहीं दी गई थी, हालांकि, इन दोनों राज्यों में वास्तव में 94 फीडर पृथक्करण कार्य निष्पादित किए गए थे।

---

[31] ***अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा***

[32] ***अंडमान एवं निकोबार, दादरा और नगर हवेली और पुडुचेरी***

[33] ***छत्तीसगढ़-356 फीडर, जम्मू और कश्मीर-151 फीडर, झारखंड-390 फीडर, उत्तराखंड-44 फीडर, पश्चिम बंगाल-585 फीडर।***

[34] ***हिमाचल प्रदेश-5 फीडर, ओडिशा-89 फीडर।***

- 16 राज्यों के लिए फीडर पृथक्करण कार्य, कुल स्वीकृत फीडरो की संख्या 9019 के मुकाबलें वास्तविक उपलब्धि 7,833 फीडर (86.85 *प्रतिशत*) थी। कुल स्वीकृत लागत ₹15,066.07 करोड़ के मुकाबले वास्तविक लागत ₹10,309.65 करोड़ (68.43 *प्रतिशत*) थी।

- अन्वीक्षण समिति द्वारा स्वीकृत संख्याओं के संबंध में फीडर पृथक्करण कार्य की राज्यवार उपलब्धि 22.52 *प्रतिशत* से 475 *प्रतिशत* के तक थी। जम्मू एवं कश्मीर (22.52 *प्रतिशत*), महाराष्ट्र (54.13 *प्रतिशत*), छत्तीसगढ़ (57.58 *प्रतिशत*) में कम उपलब्धियां देखी गईं। इस तरह की कमी के प्रमुख कारणों में वास्तविक क्षेत्र की स्थितियों के कारण आवश्यकता में परिवर्तन, अपर्याप्त निधि, मार्गाधिकार के मुद्दे एवं सौभाग्य योजना को दी गई प्राथमिकता (ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को अंतिम छोर तक संबद्धता एवं विद्युत संयोजन प्रदान करना, जिसके लिए अधिक बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता थी)। गुजरात में कोई फीडर पृथक्करण कार्य निष्पादित नहीं किया गया था क्योंकि डिस्कॉम ने गलती से अपने डीपीआर में नए फीडर कार्यों पर विचार किया था। तथापि, आरईसी के साथ परामर्श के बाद, यह स्पष्ट किया गया था कि यह योजना केवल कृषि फीडरों के पृथक्करण के लिए थी न कि नए फीडरों के लिए, इसलिए डिस्कॉम ने स्वीकृत धनराशि का उपयोग डीडीयूजीजेवाई से संबंधित अतिरिक्त प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य में किया।

सर्वेक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 11 राज्यों में 27 *प्रतिशत* लाभार्थियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति 12 घंटे से भी कम थी। हालांकि, शेष 73 *प्रतिशत* लाभार्थियों ने सूचित किया कि डीडीयूजीजेवाई कार्य के निष्पादन के पश्चात पर्याप्त विद्युत आपूर्ति प्रदान की गई थी।

विद्युत मंत्रालय ने (जून 2022) कहा कि कार्यक्रम का प्राथमिक ध्यान फीडर पृथक्करण को पूरा करने एवं सभी छूटे हुए गैर-विद्युतीकृत ग्रामों को निर्धारित समय के भीतर विद्युतीकृत करने पर था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी राज्यों को योजना का लाभ मिले। राज्यों/डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को राज्यों के परामर्श से प्राथमिकता दी गई है। इसलिए, निधियों की उपलब्धता के आधार पर एवं योजनाओं के सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, राज्यों को फीडर पृथक्करण हेतु राशि संस्वीकृत की गई थी।

एक्ज़िट कॉन्फ्रेंस में विद्युत मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि फीडर पृथक्करण को प्राथमिकता देने वाले कुछ सक्रिय राज्य अपने संसाधनों से या ऋण के माध्यम से फीडर पृथक्करण कार्यों को क्रियान्वित कर रहे थे। इसलिए, जब तक योजना शुरू हुई, तब

तक एक बड़ा हिस्सा या तो कार्यान्वित हो चुका था या राज्यों की अपनी योजनाओं के तहत चल रहा था।

विद्युत मंत्रालय ने आश्वासन दिया (नवंबर 2024) कि मंत्रालय द्वारा अपनाई गई प्रणाली के अनुरूप भविष्य की योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान इस मामले का ध्यान रखा जाएगा।

कुल मिलाकर, फीडर पृथक्करण के लिए सीसीईए द्वारा स्वीकृत संख्या से कम कार्यों की स्वीकृति एवं स्वीकृत कुल फीडरों की तुलना में भी कम संख्या में कार्यों का निष्पादन, दर्शाता है कि फीडर पृथक्करण का कार्य डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा, अन्वीक्षण समिति द्वारा स्वीकृत संख्याओं एवं सीसीईए को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लक्ष्यों के संदर्भ में वास्तव में निष्पादित फीडर पृथक्करण कार्यों की संख्या में महत्वपूर्ण भिन्नताएं यह दर्शाती हैं किसी भी योजना मे शामिल किये जाने वाले क्षेत्रों के लिए राज्यवार आवश्यकताओं के आकलन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता हैं।

अनुशंसा संख्या 1: कार्य स्वीकृति और निष्पादन के दौरान बड़े अंतर से बचने के लिए, कार्य के यथार्थ वादी आकलन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

3.1.3 राज्यों द्वारा डीपीआर प्रस्तुत करना

योजना के सीसीईए अनुमोदन के अनुसार, आरईसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना था कि राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी[35]) द्वारा विधिवत अनुशंसित डीपीआर योजना के अनुमोदन की तिथि से छः माह[36] के भीतर अर्थात् नवम्बर, 2014 से आरईसी को प्रस्तुत की जाए, जो कि नोडल एजेंसी है। योजना के दिशानिर्देश 3 दिसंबर 2014 को जारी किए गए थे, जिसमें न तो डीपीआर प्रस्तुत करने की समय-सीमा का उल्लेख किया गया था एवं न ही विलंब के लिए किसी कार्रवाई की पुष्टि की गई थी। डीडीयूजीजेवाई की सभी 605 परियोजनाओं (जनवरी 2015 से मई 2018) में आरईसी को डीपीआर प्रस्तुत करने में लगने वाले समय के लेखापरीक्षा विश्लेषण से संकेत मिलता है कि 106 परियोजनाओं में, डीपीआर छः महीने के निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किए गए थे। 499 परियोजनाओं में, डीपीआर एक से नौ महीने से अधिक के विलंब के साथ प्रस्तुत किए गए थे जैसा कि चित्र 3.1 में दर्शाया गया है।

---

[35] *राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आरजीजीवीवाई परियोजनाओं के लिए गठित एसएलएससी को डीडीयूजीजेवाई के लिए भी कार्य करने का कार्य सौंपा गया था, जिसमें निगरानी समिति के अनुमोदन के लिए डीपीआर की अनुशंसा करने, आरजीजीवीवाई, एनईएफ जैसी भारत सरकार की किसी अन्य योजना के साथ कार्यों का दोहराव/ओवरलैपिंग न करना सुनिश्चित करना और प्रगति, गुणवत्ता नियंत्रण के साथ-साथ संस्वीकृत परियोजनाओं अर्थात उप-स्टेशनों के लिए भूमि का आबंटन, मार्गाधिकार, वन स्वीकृति, रेलवे स्वीकृति, संरक्षा स्वीकृति आदि का कार्यान्वयन करना था।*

[36] *प्रमुख उपलब्धियों और लक्ष्य तिथियों पर कैबिनेट नोट के परिशिष्ट-III के अनुसार।*

चित्र 3.1
डीपीआर प्रस्तुत करने में विलंब

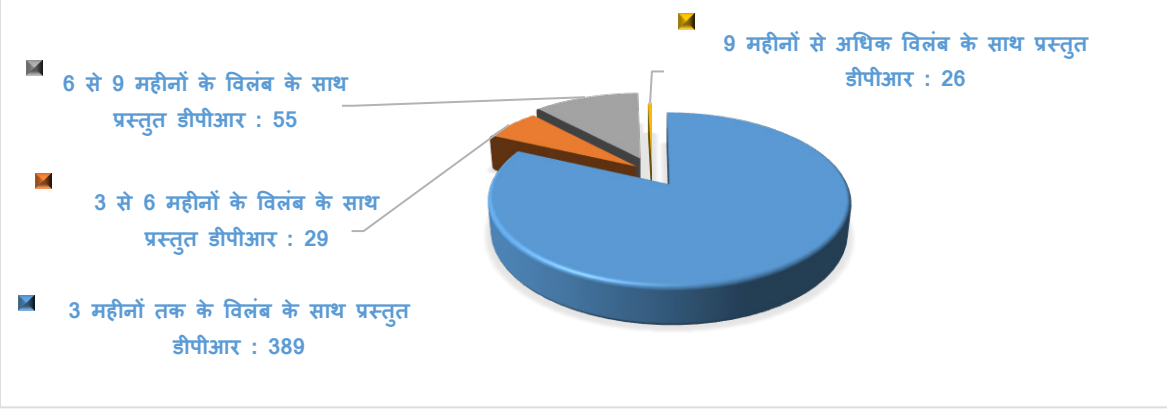

स्रोत: आरईसी द्वारा प्रदान की गई जानकारी

विद्युत मंत्रालय ने बताया (जून 2022) कि राज्यों ने डीपीआर तैयार करते समय एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई थी जो व्यावहारिक, किफायती एवं कुशल साबित हुई, जिससे एक पृथक क्षेत्र सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके बावजूद डीपीआर तैयार करने में कम से कम 6 से 12 महीने का समय लग गया। इसके अतिरिक्त, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने में विलंब, स्थानीय क्षेत्र की स्थितियों जैसे पहाड़ी क्षेत्रों, मार्गाधिकार, भारी हिमपात, आतंकवादी/नक्सल प्रभावित क्षेत्र आदि के कारण हुई।

विद्युत मंत्रालय ने (नवंबर 2024) कहा कि मंत्रालय द्वारा अपनाई गई प्रणाली के अनुरूप भविष्य की योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान इस मामले का ध्यान रखा जाएगा।

तथ्य यह है कि सीसीईए के अनुमोदन का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में मामलों में विलंब के साथ डीपीआर तैयार की गई थी, जिससे कार्यों के क्रियान्वयन में विलंब हुआ ।

अनुशंसा संख्या 2: *विद्युत मंत्रालय एक उपयुक्त प्रणाली तैयार करे ताकि डीपीआर को समय पर अनुमोदन प्राधिकारी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जा सके।*

3.1.4 विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण के बिना डीपीआर तैयार करना

डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों में यह परिकल्पना की गई थी कि पहले चरण[37] में नोडल एजेंसी द्वारा मान्य कार्य के व्यापक दायरे के आधार पर, डिस्कॉम कार्य की विभिन्न मदों के लिए विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर जिला/सर्कल/जोन-वार डीपीआर तैयार करेंगे।

[37] ***प्रथम चरण में डिस्कॉम्स फीडर पृथक्करण की आवश्यकताओं तथा उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क में महत्वपूर्ण अंतर को चिन्हित करेंगे, जिसमें उपभोक्तावार उपभोग पैटर्न, वोल्टेज विनियमन और एटीएंडसी हानियों आदि पर विचार किया जाएगा तथा वितरण नेटवर्क के कुशल प्रबंधन के लिए अन्य योजनाओं के तहत चल रहे अन्य कार्यों पर भी विचार किया जाएगा।***

लेखापरीक्षा ने देखा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्टें विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण पर आधारित नहीं थे एवं अंतत उनमें मात्राओं का कम/अधिक अनुमान पाया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि ग्राम जो डीपीआर का हिस्सा नहीं थे, उनमें मात्राओं का कम अनुमान लगाने के कारण विद्युतीकरण किया गया। दूसरी ओर, डीपीआर में संस्वीकृत फीडर पृथक्करण कार्य पहले से ही उच्च वोल्टेज वितरण योजना (एचवीडीएस) में सम्मिलित पाए जाने एवं संस्वीकृत ग्राम पहले से ही विद्युतीकृत पाए जाने, जैसे कारणों से संख्याओं का अधिक अनुमान लगाया गया। इसी प्रकार, संस्वीकृत एवं विद्युतीकृत बीपीएल घरों में अंतर के कारण भी संख्याओं का कम/अधिक अनुमान लगाया गया। क्षेत्र सर्वेक्षण के बिना तैयार किए गए डीपीआर के बारे में लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं प्रभाव पर ***अनुलग्नक 3*** में विस्तार से चर्चा की गई है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अवलोकन स्पष्ट रूप से डीपीआर तैयार करने से पहले विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण नहीं करने के कारण निष्पादित कार्य की मात्रा में व्यापक भिन्नताओं का संकेत देते हैं। निष्पादित कार्य की मात्रा में इस तरह के भिन्नता के परिणामस्वरूप मात्रा के कम/अधिक अनुमान के कारण परियोजना लागत में भी व्यापक भिन्नता हुई। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि डीडीयूजीजेवाई की 605 परियोजनाओं में, शुरू में स्वीकृत लागत एवं परियोजनाओं की अंतिम समापन लागत के बीच अंतर[38] (-) 212.45 *प्रतिशत*[39] एवं 72.39 *प्रतिशत*[40] के मध्य था। इसके अलावा, कुल 605 परियोजनाओं में से 181 परियोजनाओं में अंतर (29.92 *प्रतिशत*) +/- 20 *प्रतिशत* से अधिक था। इससे डीपीआर तैयार करने एवं तत्पश्चात अन्वीक्षण समिति द्वारा अनुमोदन की उपयोगिता पर असर पड़ा।

यह ध्यान देने योग्य है कि आरजीजीवीवाई पर सीएजी की 2013 की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 27 के पैरा 3.7 में यह भी बताया गया था कि डीपीआर क्षेत्र सर्वेक्षण के बिना तैयार किए गए थे एवं उनमें अधिक/कम अनुमान लगाया गया था।

विद्युत मंत्रालय ने एक्ज़िट कॉन्फ्रेंस (अगस्त 2022) एवं अनुवर्ती उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण व्यापक एवं समय लेने वाली प्रक्रिया है एवं लागत लाभ विश्लेषण के अनुसार लाभ प्रदान नहीं करती है, क्योकि ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कोई डीपीआर, सब-स्टेशन, प्रेशन लाईनों, ट्रांसफामर्रों में बदलाव व जमीन के मुद्दो के कारण पूर्णतः क्रियान्वित नहीं की जा सकती। मंत्रालय ने निष्पादित काम में प्रमुख भिन्नताओं के लिए मध्य अवधि में सौभाग्य का प्रमोचन, डीडीयूजीजेवाई के तहत अतिरिक्त अवसंरचना, राज्यों द्वारा उनके खुद के संसाधनों से निष्पादित डीपीआरज़

---

[38] ***स्वीकृत परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक के अंतर को आरईसी से अनुमोदित किया जाना था, जबकि 20 प्रतिशत से अधिक अंतर को अन्वीक्षण समिति से अनुमोदित किया जाना था।***

[39] ***करीमनगर सहकारी समिति परियोजना (तेलंगाना)***

[40] ***देबागढ़ परियोजना (ओडिशा)***

कार्यों के कुछ भाग, मार्ग के अधिकार जैसे मसलों के कारण कार्यो के निष्पादन मे विलंब, प्राथमिकताओं मे बदलाव, और अन्य योजनाओं मे समानांतर कार्य निष्पादन जौसे विभिन्न कारण बतलाए। इसके अलावा, मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि मंत्रालय द्वारा अपनाए गई प्रणाली के अनुरूप चालू/आगामी योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान अनुमानों में अंतर को यथासंभव कम करने का प्रयास किया जाएगा।

डीपीआर तैयार करने हेतु क्षेत्र सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है क्योकि यह डिज़ाईन, लागत अनुमान और व्यवहार्यता विश्लेषण इत्यादी मे सटीकता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक डाटा उपलब्ध कराता है जो समय पर कार्यपूर्ति सहित अनुमानों व वास्तविक मे विभिन्नता कम करने के लिए योगदान देता हैं।

अनुशंसा संख्या 3: योजना दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार डीपीआर तैयार करने से पहले क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया जाय, ताकि योजना प्रक्रिया में सुधार हो और क्रियान्वयन के दौरान विविधताओं को न्यूनतम किया जा सके।

3.1.5 प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं फीडर पृथक्करण घटकों में प्रतिबंध

डीडीयूजीजेवाई योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तैयार की गई थी एवं इसमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित थे:

- प्रणाली सुदृढ़ीकरण जिसमें नए सबस्टेशन का निर्माण, सबस्टेशन का संवर्धन, एचटी लाइनों का निर्माण, नए वितरण ट्रांसफॉर्मरों की स्थापना आदि जैसे घटक सम्मिलित थे।
- फीडर पृथक्करण जिसमें कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए एचटी फीडरों का पृथक्करण, एचटी लाइनों का निर्माण, नए वितरण ट्रांसफॉर्मर की स्थापना आदि जैसे घटक सम्मिलित थे।

डीडीयूजीजेवाई योजना में यह निर्धारित किया गया था कि राज्यों को एक आवश्यकता मूल्यांकन दस्तावेज (एनएडी) तैयार करना था, जिसमें उप-संचरण एवं वितरण (एसटीएंडडी) नेटवर्क, फीडर पृथक्करण, समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि स्तर में महत्वपूर्ण अंतराल जैसी आवश्यकताओं को सम्मिलित किया गया था एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए 24x7 विद्युत आपूर्ति एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, विद्युत मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रक्षेप पथ के अनुसार एटीएंडसी हानि में कमी (जो कि एक निर्धारित लक्ष्य था, राज्यों को 15 *प्रतिशत* अतिरिक्त अनुदान के लिए पात्र, यानी ऋण घटक का 50 *प्रतिशत*) एवं सभी ग्रामीण परिवारों तक पहुंच प्रदान करने के लिए कार्य के दायरे को प्राथमिकता दी गई थी। तदनुसार, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राज्यों ने अपनी आवश्यकतानुसार मूल्यांकित तथा प्रतिपादित एनएडी प्रस्तुत किए।

तत्पश्चात्, राज्य प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा, योजना एवं अन्वीक्षण बैठकों सहित विभिन्न बैठकों के दौरान कार्यों की कवरेज पर चर्चा की गई एवं इन बैठकों के आधार पर विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए अनंतिम संकेतों के अनुसार राज्यों के लिए निधियों के प्रावधान का निर्णय लिया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों को योजना के लिए उपलब्ध निधियों का लाभ मिल सके । डिस्कॉम ने डीडीयूजीजेवाई परियोजनाओं के लिए संकेतित राशि के भीतर दूसरी अन्वीक्षण समिति बैठक (19 फरवरी 2015) में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यों को प्राथमिकता देने के बाद डीपीआर को अन्वीक्षण समिति द्वारा घटक-वार परियोजना लागत के मूल्यांकन एवं स्वीकृति के लिए आरईसी को प्रस्तुत किया।

लेखापरीक्षा ने 24 राज्यों[41] एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों[42] द्वारा प्रस्तुत डीपीआर के आरईसी द्वारा किए गए मूल्यांकन की समीक्षा की एवं पाया कि प्रणाली सुदृढ़ीकरण घटक को सीमित वित्तीय स्वीकृति दी गई थी आरईसी ने 19 राज्यों[43] एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों[44] द्वारा मांगे गए ₹44,821.22 करोड़ के सापेक्ष ₹12,412.55 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। सात राज्यो द्वारा मांगी गई फीडर पृथक्करण की लागत ₹11,285.78 करोड़ को भी ₹3,967.20 करोड़ तक सीमित कर दिया गया था।

यह देखा गया कि 24 राज्यों एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों में से 12 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में एटी एंड सी हानि[45] का लक्ष्य हासिल नहीं किया गया था एवं 31 मार्च, 2022[46] ***(अनुलग्नक 4)*** को 10 *प्रतिशत* से 26 *प्रतिशत* के मानदंडों के मुकाबले 11.08 एवं 59.28 *प्रतिशत* के मध्य था। इसके परिणामस्वरूप विद्युत मंत्रालय द्वारा डिस्कॉम को ₹3,631.62 करोड़ के अनुदान की कम राशि जारी की गई। इसके अतिरिक्त, नौ राज्यों[47] में एटी एंड सी हानियों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था।

योजना के लिए संस्वीकृत परियोजना लागत राज्य के प्रस्तावों/अपेक्षाओं पर पूर्णतः आधारित नहीं थी एवं इसके स्थान पर विद्युत मंत्रालय के अस्थायी संकेतों के आधार

---

[41] असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

[42] अंडमान और निकोबार और पुडुचेरी।

[43] असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।

[44] अंडमान और निकोबार और पुडुचेरी।

[45] उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऋण घटक के 50 प्रतिशत और अतिरिक्त 15 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 5 प्रतिशत) अनुदान (यदि ऋण का लाभ नहीं उठाया जाता है) पर गणना की गई अतिरिक्त अनुदान के लिए पात्रता, जहां बिजली उपयोगिताओं के निष्पादन पर पीएफसी रिपोर्ट 2021-22 द्वारा प्रकाशित 2021-22 में एटी एंड सी नुकसान के मानदंड उस वर्ष के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रक्षेपवक्र से नीचे थे।

[46] प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मार्च 2022 तक प्राप्त किए जाने वाले एटी एंड सी नुकसान के लक्ष्य डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित किए गए थे

[47] 24 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में से, तीन राज्यों (मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड) ने प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों की मांग नहीं की है और एक संघ राज्य क्षेत्र (अंडमान और निकोबार) में प्रक्षेपवक्र तय नहीं किया गया था।

पर विभिन्न राज्यों को घटक-वार परियोजना लागत की संस्वीकृति आवंटित गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-विद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण के बाद उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन तथा विश्वसनीय एवं गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति के लिए फीडर पृथक्करण के उद्देश्य की प्राप्ति सीमित थी।

क्षेत्र सर्वेक्षण में भी इसकी पुष्टि की गई थी, जहां यह देखा गया था कि सर्वेक्षण किए गए 15.33 *प्रतिशत*[48] ग्रामों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सबस्टेशनों, वितरण ट्रांसफॉर्मरों का वितरण, लाइनों, खंभों एवं मीटरों आदि की पर्याप्तता के संदर्भ में उप-पारेषण एवं वितरण बुनियादी ढाँचे का सुदृढ़ीकरण तथा आवर्धन पर्याप्त नहीं था।

विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022)कि राज्य संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत कार्यों को विद्युत मंत्रालय द्वारा धन की उपलब्धता के आधार पर, राज्यों के परामर्श से प्राथमिक कार्यों पर यानी सभी छूटे हुए गैर-विद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण एवं फीडर पृथक्करण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्राथमिकता दी गई थी। तदनुसार, राज्य संस्थाओं ने संस्वीकृत राशि के अनुसार तथा कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर संशोधित डीपीआर प्रस्तुत की हैं।

एक्जिट कांफ्रेंस मे विद्युत मंत्रालय ने कहा कि योजना के समग्र परिव्यय सहित एकल राज्यों हेतु घटक वार लागत राज्यों द्वारा उप-पारेषण और वितरण, फीडर पृथक्करण, एटी एंड सी हानि इत्यादी, राज्य वार प्राथमिकताओं मे महत्वपूर्ण खामियों की पहचान करके बनाए गए एनएडी के आधार पर तैयार किए गए थे। इसके अलाव, राज्यो द्वारा प्रस्तुत किए गए डीपीआरज़ मामले-दर-मामले के अधार पर मूल्याकित किये गए थे जो इस तथ्य के कारण था की हर राज्य को अवसंरचना के विभिन्न घटको की बेहद जरूरत थी। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में ग्राम संरचना के लिए अधिकतम अनुपात था, उत्तर प्रदेश में प्रणाली सुदृढ़ीकरण के प्रति अधिकतम अनुपात था और असम में गैर-विद्युतीकृत (यूई) ग्रामों के विद्युतीकरण के प्रति अधिकतम स्वीकृति थी। यूई व एसएजीवाई[49] गाँवों को स्वीकृति देते समय सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। विद्युत मंत्रालय ने यह भी कहा कि चूँकि सभी घरों को विद्युत पहूँच व 24 धंटे आपूर्ति अपस्ट्रीम आपूर्ति व वितरण के बिना वास्तव में संभव नहीं थी अतः राज्यों द्वारा यथा इंगित होने पर अनुवर्ति को प्राथमिकता दी गई थी। प्रस्तावित मात्रा में कमी रिकॉर्ड/तय मापदंडों के आधार पर की गई थी।

विद्युत मंत्रालय का उत्तर इस लक्ष्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि राज्यों ने शुरू में प्राथमिकता जरूरतों के आधार पर पहले एनएडी प्रस्तुत किया, जिसे बाद में आरईसी द्वारा मूल्यांकन हेतु संशोधित किया गया। मूल्यांकन के दौरान आरईसी ने सभी राज्यों मे बराबर निधि वितरण सुनिश्चित किया। परिणामतः संबंधित राज्यों द्वारा प्रक्षेपित माँग के प्रति विभिन्न धटकों में निधि स्वीकृति में बाधाएँ थी।

---

[48] ***15.33 प्रतिशत = (239/1682-123)*100.***

[49] ***सांसद आदर्श ग्राम योजना***

3.2 कार्यान्वयन में अपर्याप्तता

3.2.1 पृथक फीडरों का निर्माण

डीडीयूजीजेवाई ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपभोक्ताओं को उचित विद्युत आपूर्ति के साथ-साथ गैर-कृषि उपभोक्ताओं को गुणवत्ता के साथ 24x7 विद्युत आपूर्ति की सुविधा के लिए कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों को पृथक करने की परिकल्पना की है।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कृषि एवं गैर-कृषि भार के लिए अलग-अलग फीडर बनाने के बजाय, 11 में से दो राज्यों में फीडरों पर मिश्रित भार जारी रखा जैसा कि तालिका 3.3 में चर्चा की गई है।

तालिका 3.3
फीडरों पर मिश्रित भार विवरण

क्र. सं.	राज्य के नाम	फीडर पर मिश्रित भार रखने के उदाहरण
1	झारखंड	झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को मार्च 2017 से सितंबर 2017 के दौरान परियोजनाओं के लिए लैटर ऑफ अवार्ड (एलओए) प्रदान किया गया एवं परियोजनाओं की समापन रिपोर्ट के अनुसार, 169 कृषि फीडर वास्तव में स्थापित किए गए थे। आठ परियोजनाओं में से चार[50] में, हालांकि 60 फीडर बनाए गए थे, लेकिन केवल 40 फीडरों का उपयोग कृषि संयोजन जारी करने (जून 2024) के लिए किया गया था। शेष 20 फीडरों में टर्नकी संविदाकार द्वारा अल्पावधि समापन के कारण कोई कृषि क्नेकशन जारी नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, चल रही विभिन्न योजनाओं[51] के अंतर्गत कोई कृषि संयोजन प्रस्तावित नहीं किया गया था। विद्युत मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2024) कि यदि कोई उपभोक्ता इच्छा रखता है तो जेबीवीएनएल मानदंडों के अनुसार कृषि क्नेकशन प्रदान किया जाएगा। तथ्य यह है कि निरंतर विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति का उद्देश्य इस हद तक विफल हो गया ।

[50] *देवघर, धनबाद, गोड्डा और गिरिडीह।*
[51] *आरडीएसएस, पीवीटीजी, पीएम-जनमान, और मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना (एमयूजेवाई)*

क्र. सं.	राज्य के नाम	फीडर पर मिश्रित भार रखने के उदाहरण
2	उत्तर प्रदेश	₹887.36 करोड़ मूल्य[52] की 11 परियोजनाओं[53] के मामले में, दिसंबर 2023 तक 2,70,376 कृषि उपभोक्ताओं में से 2,14,010 यानी 79.15 *प्रतिशत* को समर्पित कृषि फीडरों में स्थानांतरित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा सर्वेक्षण के दौरान, यह देखा गया कि पीलीभीत एवं कौशाम्बी में विद्युत की आपूर्ति 12 घंटे से कम थी, जैसा कि क्रमशः 100 *प्रतिशत* एवं 20 *प्रतिशत* चयनित लाभार्थियों द्वारा सूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त, क्रमशः 95 *प्रतिशत* एवं 76 *प्रतिशत* सर्वेक्षण के लिए चयनित लाभार्थियों द्वारा पीलीभीत एवं कौशाम्बी में वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के मामलों की सूचना दी गई थी। विद्युत मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2024) कि आरईसी टीम एवं डिस्कॉम अधिकारी द्वारा चार जिलों नामतः लखनऊ, पीलीभीत, कौशांबी एवं वाराणसी में संयुक्त सर्वेक्षण किया गया एवं देखा गया कि चयनित फीडरों में से कृषिबोझ को कृषि फीडरों यानी लखनऊ के लिए 66.41 *प्रतिशत*, पीलीभीत के लिए 64.92 *प्रतिशत*, कौशांबी में 36.44 *प्रतिशत* एवं वाराणसी में 20.16 *प्रतिशत* स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा, राष्ट्रीय फीडर अन्वीक्षण प्रणाली (एनएफएमएस) के अनुसार जून 2024 के महीने में जिला पीलीभीत एवं जिला कौशांबी के ग्रामीण फीडर के लिए औसत आपूर्ति घंटे क्रमशः 22:31 घंटे एवं 22:19 घंटे थे। आरडीएसएस योजना के अंतर्गत निजी ट्यूबवेल फीडर पृथककरण के माध्यम से वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की समस्या का समाधान हुआ । विद्युत मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि संयुक्त सर्वेक्षण 75 जिलों में से केवल उपर्युक्त नामित चार जिलों तक ही सीमित था। इसके अलावा, कृषि फीडरों पर स्थानांतरित होने वाला भार अभी भी बहुत कम था, विशेष रूप से कौशांबी एवं वाराणसी जिले में।

3.2.2 परियोजनाओं के अवॉर्ड एवं पूरा करने में लगने वाला समय

3.2.2.1 परियोजनाओं के अवॉर्ड में विलंब

दिशा-निर्देशों के अनुसार, अन्वीक्षण समिति द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति की तारीख से 6 माह के भीतर परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संविदा सौंपी जानी थी।

---

[52] ***मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल)- ₹45.04 करोड़, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीयूवीवीएनएल)- ₹381.59 करोड़, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल)- ₹171.86 करोड़ और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल)- ₹288.87 करोड़ ।***

[53] ***लखनऊ, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, कौशांबी, कानपुर देहात, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर।***

605 परियोजनाओं में से केवल 111 परियोजनाएं दिशा-निर्देशों में निर्धारित संस्वीकृति की तिथि से छः माह के भीतर आवंटित की गई थीं एवं शेष 494 परियोजनाएं विलंब के साथ आवंटित की गई थीं। *समय पर आवंटित की गई परियोजनाओं की संख्या एवं विलंब से* आवंटित की *गई परियोजनाओं की संख्या का अनुपात रेखाचित्र 3.2 में दर्शाया गया है।*

चित्र 3.2

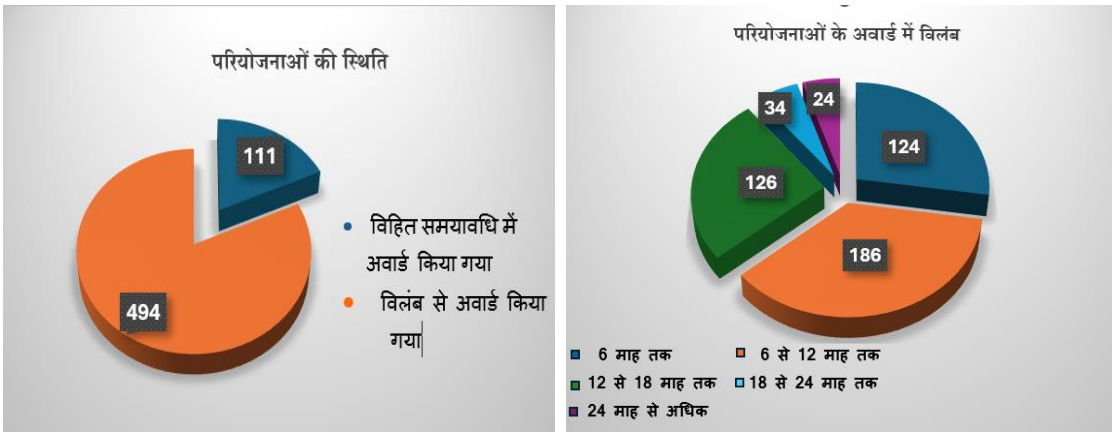

स्रोत: आरईसी द्वारा प्रदान की गई सूचना

27 राज्यों एवं तीन संघ शासित प्रदेशों में 605 परियोजनाओं में से 24 राज्यों[54] एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों[55] में 494 परियोजनाओं (81.65 *प्रतिशत*) में आबंटन में विलंब हुआ। चौदह राज्यों[56] एवं एक संघ शासित प्रदेश[57] में 184 परियोजनाओं (30 *प्रतिशत*) के मामले में 12 महीने से अधिक की विलंब हुआ ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निविदाओं को संशोधित किया गया था एवं पात्र बोलीदाताओं की अनुपलब्धता, अनुचित दरें, खराब प्रतिक्रिया, बोलियों में अधिकतम भागीदारी की अनुमति देना बोली दस्तावेजों के कुछ खंडों में परिवर्तन, आरईसी द्वारा संशोधित डीपीआर के अनुमोदन के संप्रेषण में विलंब जैसे कारणों से बोलियां प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाया गया था।

विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि आवंटित किए जाने में देरी के प्रमुख कारणों में बीओक्यू को अंतिम रूप देना, स्थाई बोलीकरण दस्तावेज़ तैयार एवं संशोधन करना, प्रमुख सामग्री के लिए खरीद योजना को अंतिम रूप न देना एवं प्रारंभिक स्वीकृति

---

[54] *अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर लद्दाख सहित, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।*

[55] *अंडमान और निकोबार और पुडुचेरी।*

[56] *असम, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर लद्दाख सहित, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।*

[57] *अंडमान और निकोबार.*

में संशोधन आदि सम्मिलित हैं। ऐसे विलंबों से योजना के अभीष्ट लाभ/परिणाम के प्रतिपादन प्रभावित नहीं हुए।

एक्जिट कांफ्रेस (अगस्त 2022) में, परियोजनाओं को सौंपे जाने में विलंब के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए, विद्युत मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीकृत खरीद के माध्यम से देश भर में अनुबंध विनिर्देशों एवं कीमतों को मानकीकृत करने के प्रयास किए गए। पर राज्यों के बीच सहमति न बन पाने से यह नहीं हो पाया।

विद्युत मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि उत्तर में उल्लिखित अधिकांश कारक नियंत्रणीय कारक थे।

विद्युत मंत्रालय ने भविष्य की सभी योजनाओं के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु सहमति व्यक्त की (नवंबर 2024)।

3.2.2.2 परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब

डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि परियोजना में टर्नकी संविदा के मामले में अवार्ड पत्र जारी होने की तारीख से 24 माह के भीतर एवं आंशिक टर्नकी संविदा/विभागीय क्रियान्वयन के मामले में 30 माह[58] के भीतर कार्य पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 605 परियोजनाओं में से केवल 50 परियोजनाएं निर्धारित समय के भीतर पूरी हुईं एवं शेष 555 परियोजनाएं देरी के साथ पूरी हुईं। परियोजनाओं को पूरा करने में देरी से संबंधित विवरण रेखाचित्र 3.3 में दर्शाया गया है।

चित्र 3.3

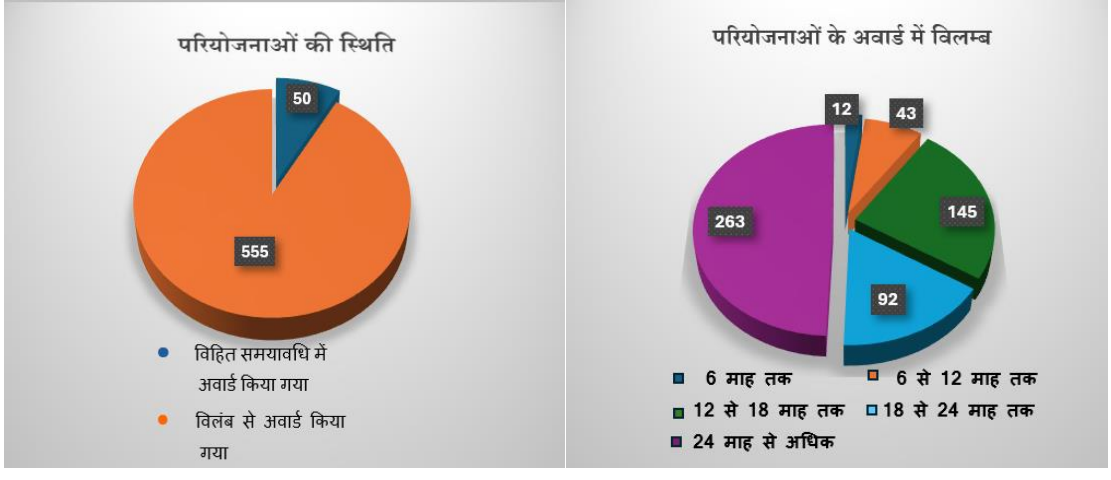

स्रोत: आरईसी द्वारा प्रदान की गई सूचना

[58] *कार्यान्वयन के लिए 24 महीने और आबंटन के लिए 6 महीने ।*

27 राज्यों एवं 3 संघ शासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी 605 परियोजनाओं में से 555 परियोजनाओं (91.74 *प्रतिशत*) के पूरा होने में विलंब हुआ। 19 राज्यों[59] की 263 परियोजनाओं (47 *प्रतिशत*) के मामले में 24 महीने से अधिक का विलंब हुआ।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन /पूर्णता में विलंब के कारण अन्वीक्षण समिति ने 21 दिसंबर 2021 की अपनी 23वीं बैठक में डिस्कॉम को केवल उन कार्यों को करने का निर्देश दिया जिन्हें 31 दिसंबर 2021 तक पूरा किया जा सकता था ताकि तैयारी एवं समापन की प्रक्रिया में 3 महीने का समय लेकर 31 मार्च 2022 को योजना को बंद किया जा सके। इसके अलावा, यह बताया गया कि 31 दिसंबर 2021 के बाद निष्पादित कार्यों को योजना के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं किया जाएगा। लेखापरीक्षा में यह भी देखा कि 20 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों[60] योजना के बंद होने तक 3.31 *प्रतिशत* एवं 62.62 *प्रतिशत* के मध्य काम पूरा नहीं कर सके। विशेष रूप से, जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख सहित एवं त्रिपुरा अपनी संबंधित स्वीकृत परियोजना लागत का क्रमशः 62.62 *प्रतिशत* एवं 20.72 *प्रतिशत* पूरा नहीं कर सके।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि डिस्कॉम ने अन्वीक्षण समिति से समय बढ़ाने की मांग करते हुए परियोजनाओं के कार्यान्वयन पूरा होने में विलंब के विभिन्न कारण बताए। इन कारणों में अनुबंधों की समाप्ति के कारण विलंब, फसल का मौसम, कोविड महामारी, कुछ संविदात्मक मुद्दों के कारण क्रियान्वयन में विलंब, आरओडब्ल्यू मुद्दे, वन/ वैधानिक स्वीकृति के लिए अधिक समय, भूमि आवंटन में विलंब एवं ठेकेदारों द्वारा सर्वेक्षण में विलंब आदि सम्मिलित थे।

यह ध्यान देने योग्य है कि आरजीजीवीवाई {पैरा संख्या 5.5.1 (डीपीआर तैयार करने में लगने वाला समय), 5.5.2 (परियोजनाओं के आवंटन में लगने वाला समय), एवं 5.5.3 (परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब)} पर 2013 की सीएजी निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 27 में परियोजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में विलंब का भी उल्लेख किया गया था। हालांकि, डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन के दौरान भी ऐसा देखा गया है, जो यह दर्शाता है कि इस तरह के मामलों में विद्युत मंत्रालय द्वारा सुधार जरूरी हैं।

विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, जैसे, लॉकडाउन एवं कोविड-19 के कारण लगाए गए अन्य प्रतिबंध, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों

---

[59] ***अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।***

[60] ***अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।***

द्वारा सामना किए गए गंभीर मार्ग-अधिकार मुद्दे, आदि, से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए योजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ। ऐसे विलंब से योजना के अभीष्ट लाभ/ परिणाम का प्रतिपादन प्रभावित नहीं हुआ । यह कार्य योजना अवधि के भीतर सनसेट वर्ष 2021-22 में पूरा किया गया था।

विद्युत मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि डीडीयूजीजेवाई योजना 2015 में शुरू की गई थी एवं डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं को आवंटन/ स्वीकृति जारी करने की तारीख से 24 महीने/30 महीने के भीतर पूरा किया जाना था। अतः ऐसे विलंब के कारण लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने में विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 से संबन्धित लॉकडाउन मार्च 2020 में लगाया गया था। विलंब के अन्य कारणों जैसे मार्ग-अधिकार, वन स्वीकृति एवं भूमि आदि भी नियंत्रणीय थे क्योंकि ऐसे कारक अच्छी तरह से ज्ञात थे एवं संबंधित राज्यों एवं आरईसी को यानी 2015 से इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था।

एक्ज़िट कॉन्फ्रेंस (अगस्त 2022) में, परियोजनाओं के आबंटन में विलंब एवं उसके पूरा होने में विलंब के बारे में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए, विद्युत मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीकृत खरीद के माध्यम से देश भर में अनुबंध विनिर्देशों एवं कीमतों को मानकीकृत करने के प्रयास किए गए थे पर यह राज्यों के बीच सहमति न होने के कारण संभव नहीं हुआ।

विद्युत मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2024) कि मंत्रालय द्वारा अपनाए गई प्रणाली के अनुरूप भविष्य की योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान इस मामले का ध्यान रखा जाएगा.

अनुशंसा सख्या 4: विद्युत मंत्रालय परियोजनाओं के आवंटन और निष्पादन से संबंधित प्रक्रियाओं के मानकीकरण को सुनिश्चित करें, ताकि आवंटन और निष्पादन प्रक्रिया को समय पर पूरा करने में सहायता मिल सके।

3.2.3 परिसंपत्तियों के उपयोग

विभिन्न राज्यों में योजना के कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉम द्वारा खरीदी गई सामग्री के उपयोग से संबंधित रिकॉर्ड की समीक्षा से यह सामने आया कि तीन राज्यों में, महत्वपूर्ण मूल्य की खरीदी गई संपत्तियों/सामान का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

3.2.3.1 स्थापित वितरण ट्रांसफॉर्मर मीटर/फीडर मीटर ऊर्जा लेखांकन के लिए उपयोग नहीं किए गए

दिशा-निर्देशों के अध्याय II (परियोजना निर्माण एवं कार्यान्वयन) के खंड 2 (iv) के अनुसार, वितरण ट्रांसफॉर्मर पर मीटरों को लगाना वितरण प्रणाली में सभी स्तरों पर निर्बाध ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। लेखापरीक्षा ने देखा कि वितरण ट्रांसफॉर्मर मीटर की खरीद की गई थी, लेकिन इन वितरण ट्रांसफॉर्मर मीटरों पर ऊर्जा लेखांकन[61] के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। अतः डिस्कॉम द्वारा खरीदे गए वितरण ट्रांसफॉर्मर मीटरों एवं फीडर मीटरों का उपयोग दिशा-निर्देशों में यथा परिकल्पित ऊर्जा लेखांकन के लिए नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ₹119.48 करोड़ का अपव्यय हुआ जैसा कि तालिका 3.4 में चर्चा की गई है।

तालिका 3.4

अपव्यय का विवरण (दिसंबर 2023 तक)

राज्य के नाम	लगाए गए डीटी/फीडर मीटर	ऊर्जा लेखांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले डीटी/फीडर मीटर	ऊर्जा लेखांकन के लिए उपयोग नहीं किए जाने वाले डीटी/फीडर मीटर	लगाए गए डीटी/फीडर मीटरों का मूल्य (करोड़ ₹में)	उपयोग नहीं किए जाने वाले डीटी/ फीडर मीटर का मूल्य (करोड़ ₹में)
अरुणाचल प्रदेश	710	0	710	3.57	3.57
कर्नाटक	23,672	4,180	19,492	54.46	44.84
उत्तर प्रदेश	33,691	0	33,691	71.07	71.07
कुल	**58,073**	**4,180**	**53,893**	**129.10**	**119.48**

तालिका से यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त राज्यों में, मार्च 2022[62] से ऊर्जा लेखांकन के लिए स्थापित डीटी/फीडर मीटरों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था।

अरुणाचल प्रदेश के मामले में, विद्युत मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2024) कि 710 डीटी/ फीडर मीटर में से 167 वर्तमान में काम कर रहे हैं, जबकि 543 खराब हैं, जिन्हें मार्च 2025 तक ऊर्जा लेखांकन के उपयोग के लिए ठीक किया जाएगा।

कर्नाटक के लिए, विद्युत मंत्रालय ने आश्वासन दिया (नवंबर 2024) कि मैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एमईएससीओएम), गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (गेसकॉम) एवं चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड

[61] *ऊर्जा लेखांकन में नेटवर्क की वितरण परिधि में विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर सभी ऊर्जा अंतर्वाहों का लेखा-जोखा निर्धारित किया गया है, जिसमें अक्षय ऊर्जा उत्पादन और खुली पहुंच वाले उपभोक्ता शामिल हैं, साथ ही अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा की खपत भी शामिल है।*

[62] *डीडीयूजीजेवाई के तहत सभी परियोजनाएं मार्च 2022 तक बंद कर दी गईं।*

(सीईएससी) ने डीडीयूजीजेवाई योजना (सीईएससी- 18,831, गेसकॉम- 4,841 एवं मेसकॉम- 118) के अंतर्गत डीटीआरस मीटरिंग कार्य निष्पादित किए हैं। गेसकॉम योजना के अंतर्गत लगाए गए 4,841 मीटरों से डेटा एकत्र करके ऊर्जा लेखापरीक्षा कर रहा है, हालांकि, सीईएससी एवं मेसकॉम मैन्युअल रूप से रीडिंग लेकर 12,328 वितरण ट्रांसफॉर्मर केंद्रों (डीटीसी) के लिए ऊर्जा लेखापरीक्षा कर रहे हैं। सीईएससी में शेष डीटीआर के लिए, लीड वायर में खराबी, सीटी एवं अन्य मुद्दों के कारण मीटर डेटा रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। खामियों को दूर किया जा रहा है एवं सभी मीटर्ड डीटीआर हेतु ऊर्जा लेखापरीक्षा करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के लिए, विद्युत मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2024) कि फीडर मीटरों पर लगाए गए एएमआर (मॉड़म) द्वारा 10,831 फीडरों का निगरानी किया जा रहा है। इसके अलावा, शेष लगाए हुए मीटरों के लिए नियमित रूप से मैनुअल ऊर्जा मीटर रीडिंग ली जा रही है।

अतः यह महत्वपूर्ण है कि योजना के आशयित लक्ष्यों के अनुसार इन मीटरों के प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जाय।

एक्जिट कांफ्रेंस में, मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) लेखापरीक्षाओं की वस्तुगत गतिविधि राज्य और उनके डिस्कॉम्स के क्षेत्राधिकार मे आती है। इसके अलावा, मंत्रालय ने सभी डिस्कॉम्स के लिए ऊर्जा लेखांकन हेतु विस्तृत प्रोफारमा सहित बीईई ऊर्जा लेखापरीक्षा विनियमों मे बदलाव किये हैं।

3.2.4 विकेन्द्रीकृत वितरण सह उत्पादन कार्यों के क्रियान्वयन में कमियां

उन ग्रामों के लिए पारंपरिक अथवा नवीकरणीय अथवा गैर-परम्परागत स्त्रोतों जैसे बायोमास, बायोईंधन, बायोगैस, लघु हाइड्रो, भू-तापीय एवं सौर ऊर्जा आदि से विकेन्द्रित वितरण-सह-उत्पादन (डीडीजी) की परिकल्पना की गई है जहां ग्रिड संबद्धता या तो व्यवहार्य नहीं थी या किफायती नहीं थी । डीडीयूजीजेवाई एवं आरजीजीवीवाई 12वीं योजना के अंतर्गत संपूर्ण डीडीजी कार्य की योजना 14 राज्यों[63] में ₹1,053.54 करोड़ की लागत से 3,397 परियोजनाओं में बनाई एवं निष्पादित की गई थी।

असम राज्य में आरईसी ने ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु 305 परियोजनाओं के लिए डीडीयूजीजेवाई योजना के अंतर्गत डीडीजी के माध्यम से स्वीकृति दी (जनवरी 2016)। असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) ने आरईसी के अनुरोध पर नामांकन आधार पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (आईआईटीएम) को 7,174 घरों के विद्युतीकरण के लिए ₹33.22 करोड़ मूल्य पर पांच साल के लिए डीडीजी परियोजना सौंपी गयी। इस कार्य आदेश को बाद में (मार्च-दिसंबर 2017)

[63] *आंध्र प्रदेश; अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड।*

₹124.19 करोड़ पर 367 ग्रामों में 26,822 घरों के विद्युतीकरण के लिए बढ़ा दिया गया। अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया किः

(i) डीडीजी योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रवासी/अस्थायी आबादी वाले ग्राम/बस्तियों को विद्युतीकरण हेतु विचारित नही किया जाना था आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों[64] द्वारा डीडीजी योजना के क्रियान्वयन के निगरानी सर्वेक्षण (दिसंबर 2019 से दिसंबर 2021) के दौरान, 9,277 एकल प्रणालियों वाले 89 गाँवों में, प्रवासी/अस्थायी आबादी वाले ग्रामों में लगी 2,715 एकल प्रणालियों को निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार नहीं पाया गया। इन एकल प्रणालियों की लागत ₹11.31 करोड़ थी।

(ii) आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों (आरक्यूएम) ने रिपोर्ट दी कि आईआईटीएम ने माड्यूल माउंटिंग सिस्टम (एमएमएस) उपलब्ध नही कराए जो आईआईटीएम के साथ करार के उल्लंघन में था।

लेखापरीक्षा द्वारा गोलपड़ा, धुवी और धेमाजी परियोजनाओं के तहत छह ग्रामों में लाभाकर्ता सर्वेक्षण के दौरान एमएमएस न उपलब्ध कराए जाने का तथ्य भी पृष्ट किया गया था। डीडीजी व सौभाग्य के तहत स्थापित एकल प्राली की तुलना चित्र 3.4 व 3.5 में दिखाई गई है ।

चित्र 3.4	**चित्र 3.5**
डीडीजी (आईआईटीएम द्वारा) के अंतर्गत एमएमएस के बिना स्टैंडअलोन प्रणाली -धेमाजी जिला	सौभाग्य के अंतर्गत (मैसर्स नॉर्थ ईस्ट एजेंसी द्वारा) एमएमएस के साथ स्टैंडअलोन प्रणाली -धेमाजी जिला

[64] *टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड, आरईसी-आरक्यूएम द्वारा गुणवत्ता मॉनिटरों नियुक्त।*

डिस्काम ने कहा (फरवरी 2024) कि उन्होने सभी 26,822 प्रणालियों में गैर स्थापित एमएमएस हेतु आईआईटीएम को ₹2.48 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया।

(iii) करार के अनुसार,आईआईटीएम को अंतिम प्रणाली की स्थापना से पाँच वर्षों की अवधि हेतु इन एकल प्रणालियों का रखरखाव करना था और इसके बाद इसे असम सरकार को कार्यशील स्थिति में सौपना था। लाभार्थियों द्वारा बिजली न मिलने की किसी भी शिकायत के मामले में, आईआईटीएम को तुरंत शिकायत का निपटारा करना था।

आरईसी गुणवत्ता निगरानिकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार, 3,966 प्रणालियाँ (15 *प्रतिशत*), जिनकी लागत ₹18.36 करोड़ थी, बैटरी/चार्ज नियंत्रक/सोलर पैनल इत्यादी में कमियों के कारण काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा, 6,106 (23 *प्रतिशत*) प्रणालियों, जिनकी लागत ₹28.27 करोड़ थी, चार्ज नियंत्रक में कमियों के कारण सीधे बाईपास स्थिति के अंतर्गत चल रहे थे। इसके अतिरिक्त, प्रणालियों के रखरखाव व देखभाल के लिए आईआईटीएम से कोई टेक्निशियन उपलब्ध नहीं था।

एपीडीसीएल ने कहा (अगस्त 2024) कि आरक्यूएम/पीएमए द्वारा देखे गए कुल 1,26,011 खामियों में से केवल 930 खामियों का ही सामाधान किया गया और बकाया 1,25,081 खामियों का अभी भी सामाधान किया जाना बाकी था।

एक्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2022) व उत्तर (नवंबर 2024) में विद्युत मंत्रालय ने कहा कि डीडीजी दिशा-निर्देशों के अनुसार, शरणार्थी जनसंख्या वाले ग्राम/बस्तियों को डीडीजी के तहत विद्युतीकरण हेतु विचार नहीं किया जाना चाहिए। परंतु असम में प्रकृति के निरंतर बाढ़ के कारण नदी किनारे ग्रामों (स्थायी) में रहने वाले लोग केवल अस्थायी बाढ़ के दौरान सुरक्षा के लिए और वे वर्षा मौसम में आजिविका कमाने के लिए जाते हैं। एमएमएस के गैर-स्थापन के संबंध में विद्युत मंत्रालय ने कहा कि एकल डीडीजी के मामलों में एमएमएस लाभार्थियों की छत पर पैनलों को स्थायी करने के फ्रेम हैं और सौभाग्य योजना की तरह खम्भे शामिल नहीं हैं। एमएमएस स्थापित न करने के कारण, कोई सोलर पैनल क्षतिग्रस्त नहीं किए हुआ हैं। विद्युत मंत्रालय ने आगे बताया कि खामियों को ठीक न करने के कारण आईआईटीएम को रखरखाव राशि जारी नहीं कि गई हैं और 31 मार्च 2023 को ₹14.03 करोड़ की राशि वापस कर दी गई है।

विद्युत मंत्रालय ने आगे कहा (नवंबर 2024) कि मंत्रालय द्वारा अपनाए तंत्र के अनुसार आगामी योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान मामले का ध्यान रखा जाएगा।

लाभार्थियों को असथायी रूप से हस्तांरण करने के संबंध मे विद्युत मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाए कि स्थापित एकल प्रणालियाँ आरईसी गुणवत्ता निरक्षकों के निरीक्षण दौरान नहीं पाए गए। इसके अलावा डीडीजी सौर एकल

परियोजनाओं का आईआईटीएम द्वारा रखरखाव नहीं किया गया था और करार के अनुसार कमियों का सुधार नहीं किया गया।

अनुशंसा संख्या 5 : योजना दिशा-निर्देशों का पालन जैसे खुली निविदाएं आमंत्रित करना, विक्रेताओं द्वारा सुविधाओं का रखरखाव, उपयुक्त स्तरों पर गुणवत्ता आश्वासन तंत्र आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भुगतानों के संवितरण के बावजूद सिस्टम के अ-रखरखाव के कारण नियत लाभार्थियों को योजना के लाभ प्रदान न करने के लिए उत्तरदायित्व भी तय किया जाए।

3.3 ग्राम-विद्युतीकरण की स्थिति

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ग्राम विद्युतीकरण एवं विद्युत की मांग/आपूर्ति के संबंध में सभी डिस्कॉम से आंकड़े एकत्र करता है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वर्षवार ग्राम विद्युतीकरण की स्थिति तालिका 3.5 में दी गई है।

तालिका 3.5

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वर्षवार ग्राम विद्युतीकरण की स्थिति

वर्ष	जनगणना 2011 के अनुसार कुल बसे हुए ग्राम	ग्रामों का विद्युतीकरण	बचे हुए गैर-विद्युतीकृतग्राम	वर्ष के 31 मार्च तक विद्युतीकृत ग्रामों की *प्रतिशतता*
2014-15	5,97,464	5,77,698	19,766	96.69
2015-16	5,97,464	5,86,065	11,399	98.09
2016-17	5,97,464	5,92,135	5,329	99.11
2017-18	5,97,464	5,97,121	343	99.94

स्रोत: ग्रामीण विद्युतीकरण पर सीईए की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

डिस्कॉम ने इस अवधि के बाद यानी अगस्त 2015 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान ग्रामों के गहन विद्युतीकरण के लिए फीडर पृथककरण एवं प्रणाली सुदृढ़ीकरण व वितरण प्रणाली के कार्यों को सौंपा। ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए फीडर पृथक्करण एवं प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं वितरण प्रणाली के कुछ कार्य मार्च 2018 से मार्च 2022 के दौरान आंशिक रूप से पूरे किए गए थे। फीडर पृथककरण (संख्या 24,568), फीडर कंडक्टर, ट्रांसफॉर्मर, केबल, सबस्टेशन, फीडर कैपेसिटर आदि के शेष कार्यों को अब पुनर्नवीनीकृत वितरण क्षेत्र योजना नामक नई योजना में सम्मिलित किया गया है।

3.3.1 लंबित विद्युतीकरण

ग्राम के विद्युतीकरण[65] की परिभाषा के अनुसार, एक ग्राम को विद्युतीकृत माना जाता था यदि सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी, सामुदायिक केंद्र आदि में विद्युत उपलब्ध कराई गई हो।

लेखापरीक्षा ने देखा कि योजना (मार्च 2022) के बंद होने तक, जम्मू व कश्मीर (लद्दाख सहित) में 1,092 ग्राम आंशिक विद्युतीकृत थे और राजस्थान और त्रिपुरा मे 2,722 ग्रामो के सार्वजिन स्थल अभी भी विद्युतीकृत किये जाने थें। विद्युत मंत्रालय ने बताया (जून 2022/अगस्त 2022/नवंबर 2024) कि देश में 28 अप्रैल 2018 तक बसे हुए सभी आबादी जनगणना ग्रामों (2011 जनगणना के अनुसार) का विद्युतीकरण कर दिया गया है। राजस्थान और त्रिपुरा के संबंध मे, विद्युत मंत्रालय ने कहा कि सार्वजिन संस्थाओं को बिजली उपलब्ध कराना मात्र बिजली लाईन बिछाने पर ही निर्भर नही था बल्कि यह सार्वजनिक संस्था के लिए उसकी लागत सुलभता पर भी निर्भर करता था। ईकाइयों की जिम्मेदारी बिजली मुहैय्या कराना है; परन्तु, संयोजन संबंधित सार्वजनिक संस्था द्वारा प्राप्त किये जाने हैं। यह भी बताया गया कि डिस्कॉम ने उपर्युक्त संस्थानों में से किसी को भी विद्युत संयोजन के लिए इनकार नहीं किया था। विद्युत मंत्रालय ने कहा कि ग्राम विद्युतीकरण की परिभाषा निरर्थक हो गई है एवं विद्युत की उपलब्धता की सफलता तथा सार्वजनिक संस्थानों की विद्युत सेवाएं प्राप्त करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए इसे पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। जम्मू व कश्मीर के संबंध मे यह कहा गया कि विलंब अनपेक्षित घटनाओ अर्थात संविदाकरण मे दिक्कतों, दुर्गम स्थान इत्यादी के कारण थे।

अनुशंसा संख्या 6: ***विद्युत मंत्रालय ग्राम विद्युतीकरण/गहन रूप से विद्युतीकृत ग्राम की परिभाषा को अद्यतन करे, जो वर्तमान परिदृश्य में उपयुक्त हो ताकि तदनुसार ग्राम के घरों एवं सार्वजनिक स्थानों के अधिक हिस्से का विद्युतीकरण किया जा सके।***

---

[65] *एक गांव को विद्युतीकृत माना जाता था यदि:*

- *वितरण ट्रांसफॉर्मर (डीटी) और वितरण लाइनों जैसी बुनियादी अवसंरचना बसे हुए इलाके के साथ-साथ दलित बस्ती/बस्ती, जहां यह मौजूद है, में प्रदान की गई थी। (गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए, डीटी आवश्यक नहीं हो सकता है);*
- *स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, डिस्पेंसरी, सामुदायिक केंद्रों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बिजली प्रदान की गई; और*
- *विद्युतीकृत घरों की संख्या गांवों में घरों की कुल संख्या का कम से कम 10 प्रतिशत थी।*

3.4 अन्य मामले

3.4.1 ग्रामीण विद्युत वितरण प्रणाली के लिए डेटा हब का निर्माण न होना

डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया था कि आरईसी के ग्रामीण फीडरों सहित सभी फीडरों की ऊर्जा प्रवाह एवं ऊर्जा प्रवाह मे व्यवधान की सूचना के लिए एक ग्रामीण विद्युतीकरण डेटा हब[66] बनाया जाना था, जो ग्रामीण विद्युत वितरण प्रणाली से संबंधित राज्यवार आंकड़ों एवं सूचनाओं की अद्यतन स्थिति के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा। डेटा हब के कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीके एवं दिशानिर्देश आरईसी द्वारा सीईए के परामर्श से अलग से तैयार किए जाने थे एवं उन्हें अनुमोदन के लिए अन्वीक्षण समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना था। आरई डेटा हब के सृजन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा डीडीयूजीजेवाई के लागत अनुमानों में ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि डेटा हब नहीं बनाया गया था।

विद्युत मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2022/नवंबर 2024) कि सभी आवश्यक सूचना विभिन्न वेब पोर्टलों के माध्यम से एकत्र एवं अनुरक्षित कर ली गई है एवं अब इसे विद्युत मंत्रालय के राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा रहा है।

उत्तर को इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखा जा सकता है कि दिशा-निर्देशों के अनुसार, डेटा हब का निर्माण ग्रामीण विद्युत वितरण प्रणालियों की सूचना के लिए किया जाना था। इस तरह के डेटा हब को विभिन्न हितधारकों के लिए मौजूदा, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित ग्रामीण विद्युत वितरण प्रणालियों या उनके तत्वों के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत होना चाहिए था, ताकि वे आसानी से एवं कुशलतापूर्वक प्रणाली की आवश्यकताओं को चिन्हित कर सकें एवं दोहराव की संभावना को रोक सकें। इसके अलावा, इससे सीईए के 'नेशनल पावर डेटा हब' के साथ निर्बाध अपलिंक का उद्देश्य भी पूरा होता। हालांकि, डेटा हब के निर्माण के लिए निर्धारित राशि खर्च नहीं की गई।

3.4.2 अग्रिम लामबंदी की कम वसूली

उत्तर प्रदेश में, छः जिलों[67] में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए संविदा (सितंबर 2014 एवं फरवरी 2015), टर्नकी आधार पर ₹598.65 करोड़ की राशि के लिए आवंटित की गई थी। कार्य आदेश के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, संविदाकार को ₹81.36 करोड़

---

[66] यह डेटा मुख्य रूप से ग्रामीण विद्युत वितरण प्रणालियों से संबंधित डेटा और सूचना के लिए एक नोडल सूचना केंद्र बनना था और इसका उद्देश्य देश में ग्रामीण विद्युतीकरण की राज्यवार अद्यतन स्थिति को व्यापक रूप से एकत्रित करना था। इसे बाद में सीईए में नेशनल पावर डेटा हब के साथ सहज तरीके से अपलिंक किया जाना था।

[67] अम्बेडकर नगर, अमेठी, बलरामपुर, गोंडा, हरदोई और सुल्तानपुर।

अग्रिम लामबंदी राशि दी गई थी। संविदाकार ने जनवरी 2017 एवं अप्रैल 2019 के मध्य वैधता अवधि के साथ सुरक्षा जमा के रूप में 18 बैंक गारंटी[68] (बी.जी.) जमा की थी। कार्य के क्रियान्वयन के दौरान, डिस्कॉम ने संविदाकार के खराब प्रदर्शन के कारण अनुबंध (दिसंबर 2015) समाप्त कर दिया एवं संविदाकार से बकाया अग्रिम राशि वसूलने के हेतु गारंटी नगदीकरण के लिए बैंक से अनुरोध किया। तथापि, बकाया राशि की वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि संबंधित बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार डिस्कॉम के पास उपलब्ध बैंक गारंटी प्रमाणिक[69] नहीं थीं। अतः, डिस्कॉम ने लंबित अग्रिम लामबंदी राशि के संदर्भ में चूककर्ता संविदाकारों के भंडारों से ₹91.92 करोड़ (टर्नकी संविदा दर के अनुसार) की सामग्री जब्त कर ली।

संविदाकार से वसूल की गई ₹91.92 करोड़ की कुल सामग्री में से डिस्कॉम ने आरजीजीवीवाई एवं सौभाग्य योजना के अंतर्गत टर्नकी ठेका दर पर ₹71.01 करोड़ की सामग्री जारी की, जिस दर पर सामग्री जब्त की गई थी एवं ₹6.35 करोड़ की सामग्री अन्य योजना के अंतर्गत भंडार निर्गम दर पर जारी की गई थी। तथापि, ₹0.97 करोड़ मूल्य की सामग्री अनुपयोगी/स्क्रैप पाई गई थी एवं टर्नकी ठेका दर पर ₹13.59 करोड़ मूल्य की शेष सामग्री का उपयोग नहीं किया गया था।

विद्युत मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2024) कि संविदाकार से जब्त की गई सामग्री की लागत की गणना खुली निविदा के माध्यम से प्राप्त दरों के आधार पर की गई थी। साइट पर उपलब्ध आपूर्ति का बिल निर्धारित दरों में निर्दिष्ट लागत पर लगाया जाना था तथा कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए उन्हीं आपूर्तियों का उपयोग किया गया। इसलिए, संविदाकार से निर्धारित दरों के अनुसार वसूली की गई।

विद्युत मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि डिस्कॉम द्वारा जून 2024 तक मोबिलाइजेशन अग्रिम का पूरा मूल्य वसूल नहीं किया गया था।

3.5 सारांश

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आकलन के आधार पर, विद्युत मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी विद्युत आपूर्ति के लिए योजना के दायरे एवं लागत अनुमान को परिभाषित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-विद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण के बाद विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के लिए उप-पारेषण एवं वितरण बुनियादी ढाँचे एवं फीडर पृथक्करण को मजबूत बनाने एवं बढ़ाने के उद्देश्य की प्राप्ति में और कार्य किया जाना था।

---

[68] बैंक ऑफ इंडिया, कमलापुरी कॉलोनी, हैदराबाद द्वारा जारी किया गया।

[69] यूपी के लखनऊ स्थित हजरतगंज कोतवाली में संविदाकार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त, निलंबन के बाद एमवीवीएनएल के कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई थी।

24 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में से 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में एटीएंडसी हानियों का लक्ष्य पूरी तरह से हासिल नहीं किया गया और 31 मार्च 2022 तक 10 *प्रतिशत* से 26 *प्रतिशत* के मानदंडों के मुकाबले यह 11.08 और 59.28 *प्रतिशत* के बीच रहा। सीसीईए अनुमोदन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत लक्ष्यों के संबंध में प्रणाली सुदृढ़ीकरण 85.60 *प्रतिशत* से 218.48 *प्रतिशत* की सीमा में और फीडर पृथक्करण 47.47 *प्रतिशत* की सीमा तक प्राप्त किया गया। एमसी द्वारा स्वीकृत मात्रा की तुलना में घटक-वार वास्तविक उपलब्धि 86.85 *प्रतिशत* से 180.69 *प्रतिशत* थी। फीडर पृथक्करण कार्य की राज्य-वार उपलब्धि अनुमानित कार्य के 22.52 *प्रतिशत* से 475 *प्रतिशत* तक रही।

फील्ड अध्ययन के बाद व्यवहार्यता अध्ययन व परियोजना रिपोर्ट के तैयार करने से लक्ष्यों की बेहतर पहचान तथा लक्ष्यों से वास्तविक विचलन में भिन्नताओं को काफी हद तक कम करने को योगदान मिलता। डीपीआर प्रस्तुत करने, परियोजनाओं को सौंपने एवं डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत उनके पूरा होने में काफी विलंब हुआ, जिसके योजना के लक्षित उद्देश्यों की समयबद्ध प्राप्ति प्रभावित हुई।

kanari 3
NH244, Hambal, 182143
Latitude
Longitude
33.116473°
75.409890°
LOCAL 15:57:58 THURSDAY 04.15.2021
GMT 10:27:58
ALTITUDE 937 METER

अध्याय 4: डीडीयूजीजेवाई का वित्तीय प्रबंधन

डीडीयूजीजेवाई योजना के अंतर्गत विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के लिए पात्र अनुदान अन्वीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत या डिस्कॉम द्वारा अवार्ड परियोजना लागत का 60 *प्रतिशत था,* जो भी कम हो। विशेष दर्जे वाले राज्यों[70] के लिए पात्र अनुदान अन्वीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत का 85 *प्रतिशत* था । आरईसी को निधियों को जारी करने के लिए विद्युत मंत्रालय के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना था, तत्पश्चात विद्युत इकाईयाँ[71]/राज्यों को जारी किया जाना था। आरईसी से प्रस्ताव प्राप्त होने एवं किस्त जारी करने के लिए निर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के बाद, विद्युत मंत्रालय को उस किस्त के विरूध्द धनराशि सीधे आरईसी के समर्पित बैंक खाते में जारी करनी थी।

विद्युत मंत्रालय के बजट से डिस्कॉम्स को धनराशि/अनुदान जारी करने की व्यवस्था तालिका-4.1 में दी गई है ।

तालिका 4.1
योजना का वित्तपोषण तंत्र

किस्त सं.	निधि/ अनुदान जारी करने की शर्तें	पात्र अनुदान घटक भुगतान का *प्रतिशत*
1	(i) अन्वीक्षण समिति द्वारा परियोजनाओं का अनुमोदन (ii) डिस्काम, राज्य सरकार एवं आरईसी (विद्युत् मंत्रालय की ओर से) के मध्य द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय समझौते का निष्पादन (iii) पीएमए की नियुक्ति	10
2	डिस्कॉम द्वारा एलओए जारी करना	20
3	पहली एवं दूसरी किस्त के अंतर्गत जारी निधि का 90 *प्रतिशत* उपयोग एवं डिस्कॉम/राज्य अंशदान का 100 *प्रतिशत* जारी किया जाना	60
4	कार्य पूरा होने के बाद	10
	कुल	**100**

स्रोत: डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देश।

[70] *दिशा-निर्देशों के अनुसार सिक्किम, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित सभी पूर्वोत्तर राज्य विशेष दर्जे वाले राज्य हैं।*

[71] *निजी क्षेत्र के डिस्कॉम्स और राज्य विद्युत विभाग सहित डिस्कॉम्स (जिन्हें विद्युत इकाई कहा जाता है)।*

उक्त दिशा-निर्देशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि परियोजना पूर्णता प्रमाण-पत्र (पीसीसी) में उल्लिखित पूर्णता की तिथि टर्नकी निष्पादन के मामले में कार्य अवार्ड की तिथि से 24 महीने की अवधि के भीतर होनी चाहिए, एवं आंशिक टर्नकी/विभागीय निष्पादन के मामले में स्वीकृति की सूचना की तिथि से 30 महीने, या अन्वीक्षण समिति द्वारा विस्तारित अवधि के भीतर होनी चाहिए एवं ऐसे अनुबंध 10 *प्रतिशत* की अंतिम किस्त जारी करने के लिए योग्य होगें। पीसीसी या अवार्ड लागत या अन्वीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित लागत के अनुसार व्यय, जो भी कम हो, को पहले की गई किसी भी अतिरिक्त भुगतान को समायोजित करने के बाद 10 *प्रतिशत* की अंतिम किस्त जारी करने के लिए परियोजना की अंतिम लागत के रूप में माना जाना था।

4.1 आरईसी द्वारा डिस्कॉम को निधि जारी करना

अपेक्षित शर्तें पूरी किए बिना अनुदान जारी करना

(क) डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देश तीन शर्तों को पूरा करने पर पात्र अनुदान घटक (पहली किस्त) का 10 *प्रतिशत* जारी करने का प्रावधान करते हैं, अर्थात (i) अन्वीक्षण समिति द्वारा परियोजना की स्वीकृति (ii) त्रिपक्षीय/द्विपक्षीय समझौते का निष्पादन एवं (iii) डिस्कॉम्स द्वारा परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) की नियुक्ति। दिशा-निर्देश आगे डिस्कॉम्स/राज्य अंशदान (विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा अन्य के लिए स्वीकृत परियोजना का 10 *प्रतिशत* एवं स्वीकृत परियोजना की विशेष श्रेणियों के लिए स्वीकृत परियोजना का 5 *प्रतिशत*) के 100 *प्रतिशत* प्राप्त होने पर पात्र अनुदान घटक (तीसरी किस्त) का 60 *प्रतिशत* जारी करने का प्रावधान करते हैं।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आरईसी ने 27 राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से छह राज्यों[72] को पहली किस्त में ₹541.56 करोड़ (जुलाई 2015 से जनवरी 2016 तक) का अनुदान जारी किया, जो त्रिपक्षीय/द्विपक्षीय समझौते के निष्पादन एवं पीएमए की नियुक्ति की तारीख से 13 से 360 दिन पहले किया गया था। इसके अलावा, परियोजनाओं में राज्य सरकार के योगदान को समय पर सुनिश्चित किए बिना पात्र अनुदान घटक (तीसरी किस्त) के 60 *प्रतिशत* के रूप में ₹1,603.81 करोड़ का समय से पहले भुगतान (फरवरी 2018 से जुलाई 2020 तक) छह राज्यों[73] को किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार अनुदान जारी करने को सीसीईए द्वारा अनुमोदित किया गया था एवं इसे योजना दिशानिर्देश में सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा, सीसीईए अनुमोदन के अनुसार, अन्वीक्षण समिति को सीसीईए द्वारा अनुमोदित ढाँचे के भीतर इसमें संशोधन करने का अधिकार था। हालांकि, निर्धारित शर्तों/लक्ष्यों को पूरा करने से पहले आरईसी द्वारा अनुदान जारी करने में

[72] ***गुजरात (₹28.59 करोड़), हिमाचल प्रदेश (₹13.46 करोड़), मध्य प्रदेश (₹171.10 करोड़), तमिलनाडु (₹55.17 करोड़), उत्तर प्रदेश (₹18.74 करोड़) और पश्चिम बंगाल (₹254.50 करोड़)।***

[73] ***गुजरात (₹128.37 करोड़), जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित (₹88.26 करोड़), कर्नाटक (₹175.26 करोड़), महाराष्ट्र (₹10.30 करोड़), सिक्किम (₹24.01 करोड़) और पश्चिम बंगाल (₹1177.61 करोड़)।***

उपरोक्त छूट सीसीईए अनुमोदन से विचलन थी, जहां आरईसी द्वारा अन्वीक्षण समिति अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया था।

(ख) आरजीजीवीवाई की 12वीं योजना के अंतर्गत स्वीकृति की शर्तों एवं नियमों के अनुसार, आरईसी द्वारा डिस्कॉम्स को पहली किस्त अर्थात पात्र अनुदान का 30 *प्रतिशत, अन्य बातों के साथ-साथ*, परियोजना के आवंटन तथा डिस्कॉम द्वारा अनुबंध समझौते के निष्पादन के बाद जारी किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 13 राज्यों[74] में से एक राज्य[75] की 14 परियोजनाओं में, जहां आरजीजीवीवाई 12वीं योजना लागू की गई थी, आरईसी ने 2014-15 के दौरान ₹246.28 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी राशि की पहली किस्त जारी की, जबकि परियोजना कार्य डिस्कॉम्स द्वारा अप्रैल 2015 से मई 2017 के दौरान अवार्ड किए गए थे।

विद्युत मंत्रालय ने अभ्युक्तियों (क एवं ख) को स्वीकार करते हुए कहा (जून 2022) कि राज्यों ने निर्धारित समय के भीतर एवं अगली किस्त जारी करने से पहले लक्ष्यों एवं शर्तों के अनुपालन के आश्वासन के साथ निधि जारी करने के लिए अपनी मांगें प्रस्तुत की थीं। दूसरी किस्त जारी करते समय शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया था। इसलिए, अपवाद के तौर पर पहली किस्त जारी की गई थी, हालांकि, भविष्य में ऐसा नही किया जाएगा।

एग्जिट कान्फ्रेस (अगस्त 2022) में आरईसी एवं विद्युत मंत्रालय ने पुष्टि की कि आगामी एवं अंतिम किश्तों को जारी करते समय निधि जारी करने के लिए सभी अपेक्षित शर्तें सुनिश्चित कर ली गई थीं।

विद्युत मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित निधि संवितरण शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने से पहले आरईसी द्वारा निधि जारी करना दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुकूल नहीं था।

अनुशंसा संख्या 7: नोडल एजेंसी यह सुनिश्चित करे कि निधि का निर्गमन अनुमोदित वित्तपोषण दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाए।

4.2 डीडीयूजीजेवाई/आरजीजीवीवाई 12वीं योजना के अंतर्गत निधि जारी करना

डीडीयूजीजेवाई एवं आरजीजीवीवाई 12वीं योजना के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय से आरईसी द्वारा मांगी गई निधि एवं उसके विरुद्ध जारी की गई धनराशि का विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है।

---

[74] *असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर लद्दाख सहित, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।*

[75] *उत्तर प्रदेश*

तालिका 4.2
निधि जारी करने का विवरण

(₹करोड़ में)

	डीडीयूजीजेवाई योजना			आरजीजीवीवाई 12 वीं योजना		
वर्ष	डीडीयूजीजेवाई के लिए विद्युत मंत्रालय से आरईसी द्वारा मांगी गई राशि	विद्युत मंत्रालय द्वारा आरईसी को जारी की गई राशि	आरईसी द्वारा डिस्कॉम को जारी की गई राशि	आरजीजीवीवाई 12वीं योजना के लिए विद्युत मंत्रालय से आरईसी द्वारा मांगी गई राशि	विद्युत मंत्रालय द्वारा आरईसी को जारी की गई राशि	आरईसी द्वारा डिस्कॉम को जारी की गई राशि
2014-15	537.00	500.00	0.00	4,396.00	2,298.73	2,604.27
2015-16	1,676.00	1,326.70	1,123.58	2,248.00	2,939.07	2,226.10
2016-17	3,215.00	2,380.00	2,832.80	5,000.00	3,957.70	3,997.63
2017-18	5,400.00	4,848.74	4,953.09	4,814.00	3,095.72	3,096.60
2018-19	15,861.00	8,008.41	8,189.47	4,734.00	3,208.95	3,411.59
2019-20	6,591.00	3,543.58	3,340.46	1,710.00	1,186.43	977.36
2020-21	3,250.00	2,035.22	1,849.46	1,250.00	1,126.36	1,152.40
2021-22	3,942.82	2,132.90	2,122.03	1,287.00	1,095.25	1,492.91
2022-23	934.85	607.08	1,022.21	128.06	125.52	74.86
2023-24	29.67	29.66	297.46*	-	-	294.02*
कुल	**41,437.34**	**25,412.29**	**25,730.56**	**25,567.06**	**19,033.73**	**19,327.74**

स्रोत: आरईसी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।
**** डिस्कॉम को जारी किए गए आंकड़ों में क्लोजर अनुमोदन के अनुसार आरईसी द्वारा टर्नकी संविदाकारों से वसूल की गई एलडी भी सम्मिलित है।***

तालिका 4.2 से निम्नलिखित देखा जा सकता है:

- पिछले कुछ वर्षों में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी धनराशि, दोनों योजनाओं (2015-16 में आरजीजीवीवाई की 12वीं योजना को छोड़कर) के लिए आरईसी द्वारा मांगी गई धनराशि से लगातार कम रही है ।
- किसी विशेष स्कीम/योजना के लिए आरईसी द्वारा डिस्कॉम्स को वितरण किया गया धन उस स्कीम/योजना के लिए विद्युत मंत्रालय से प्राप्त धन से मेल नहीं खाता था। ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं, जहां किसी विशेष योजना के अंतर्गत

डिस्कॉम्स को किया गया धन वितरण विद्युत मंत्रालय से प्राप्त राशि से अधिक था।

4.2.1 अपेक्षित विवरण के बिना निधि की मांग एवं निर्गम तथा आरईसी द्वारा अलग समर्पित बैंक खातों का रखरखाव न करना

विद्युत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए स्वीकृत आदेशों के अनुसार, आरईसी द्वारा निधि जारी करने के लिए परवर्ती अनुरोध के साथ अनुरोध की तिथि एवं अंतिम भुगतान की तिथि पर परियोजनावार अप्रयुक्त शेष राशि का विवरण होना चाहिए। इसके अलावा, निधि जारी करने के सभी अनुरोधों के साथ परियोजनाओं, डिस्कॉम्स जिन्हें अनुरोधित निधि वितरित की जानी थी एवं डिस्कॉम्स के पास अप्रयुक्त शेष राशि की स्थिति का विवरण देते हुए एक विवरण भी संलग्न करना था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरईसी ने पहले जारी की गई निधि का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है एवं परियोजना कार्य की वास्तविक भौतिक प्रगति के अनुसार निधि जारी की गई है।

इसके अलावा, दिशा-निर्देशों के अध्याय IV के खंड 2.2 के अनुसार, आरईसी के अनुरोध पर, तथा यह संतुष्टि होने के बाद कि उस विशेष किस्त जारी करने के लिए निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया गया है, विद्युत मंत्रालय को उस विशेष किस्त के लिए आरईसी के समर्पित बैंक खातों में सीधे ही धनराशि जारी करनी थी।

(क) अभिलेखों की जांच से पता चला कि आरईसी ने अपेक्षित दस्तावेज अर्थात परियोजना-वार अप्रयुक्त शेष राशि एवं वितरण के लिए विद्युत मंत्रालय से अनुरोधित परियोजना-वार/डिस्कॉम-वार निधि संलग्न किए बिना विद्युत मंत्रालय से एकमुश्त आधार पर धनराशि की मांग की । विद्युत मंत्रालय ने आरईसी से अपेक्षित विवरण मांगे बिना ऐसे अनुरोधों के आधार पर निधि जारी कर दी। इस प्रकार, विद्युत मंत्रालय ने अपने स्वयं के निर्देशों एवं डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

इसके अलावा, आरईसी ने डिस्कॉम्स की भौतिक प्रगति/वास्तविक आवश्यकता को भी सुनिश्चित नहीं किया था तथा डिस्कॉम्स को अनुमान के आधार पर अनुदान जारी किया था।

(ख) लेखापरीक्षा में देखा गया कि विद्युत् मंत्रालय से प्राप्त योजनावार अनुदान के मुकाबले आरईसी द्वारा फंड के योजनावार उपयोग में विसंगति के मामले सामने आए। इसके अलावा, 27 राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से 11 राज्यों (अनुलग्नक 5) में डिस्कॉम्स द्वारा ₹734.01 करोड़ की राशि को आरईसी द्वारा निर्धारित योजनाओं के अलावा अन्य योजनाओं में विचलन के मामले सामने आए। इसके अलावा, आरईसी

ने पैराग्राफ 4.1 में उल्लिखित डिस्कॉम्स द्वारा पालन किए जाने वाले निर्धारित लक्ष्यों से पहले ₹2,391.65 करोड़[76] का अनुदान भी जारी किया।

(ग) डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों में यह परिकल्पना की गई है कि विद्युत मंत्रालय डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत किसी विशेष किस्त को सीधे आरईसी के समर्पित बैंक खाते में जारी करेगा, जो योजना के कोष के प्रबंधन के लिए खोला गया है। आरईसी ने समर्पित अलग बैंक खाता खोलने के बजाय उसी बैंक खाते को जारी रखा जो 10वीं योजना एवं 11वीं योजना के लिए पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई के लिए खोला गया था। विद्युत मंत्रालय के पास आरजीजीवीवाई 10वीं योजना, 11वीं योजना, 12वीं योजना एवं डीडीयूजीजेवाई के लिए अलग-अलग बजट परिव्यय थे, जिसमें कार्य का दायरा एवं डिस्कॉम्स को निधि जारी करने के लिए वित्तपोषण पद्धति अलग-अलग थे। इसके अलावा, आरजीजीवीवाई 12वीं योजना एवं डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत योजना दिशानिर्देश भी अलग-अलग थे।

आरईसी में डीडीयूजीजेवाई के लिए समर्पित बैंक खाते के अभाव में, विद्युत मंत्रालय से प्राप्त निधि की योजनावार प्राप्ति एवं उसके बाद आरईसी द्वारा विभिन्न डिस्कॉम्स को उसका वितरण तथा किसी विशेष तिथि पर योजना के अंतर्गत शेष असंवितरित निधि बैंक स्टेटमेंट से सत्यापित नहीं की जा सकी। इसके परिणामस्वरूप आंतरिक नियंत्रण कमजोर हो गया एवं लेखापरीक्षा विद्युत मंत्रालय के स्वीकृति आदेश के अनुसार डिस्कॉम्स को निधि के वितरण की पुष्टि नहीं कर सका।

विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि आरईसी के लिए मंत्रालय को निधियों की मांग प्रस्तुत करते समय परियोजनावार निधि की सटीक आवश्यकता का अनुमान लगाना कठिन था। इसलिए, आरईसी द्वारा अनुदान की मांग एकमुश्त आधार पर मंत्रालय को प्रस्तुत की गई एवं बजट की उपलब्धता के अनुसार राज्यों को निधियाँ जारी की गईं। यह भी कहा गया कि निधि का कोई विचलन नहीं हुआ क्योंकि आरजीजीवीवाई योजना को डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया था एवं एक ही बजट शीर्ष बनाए रखा गया था। तदनुसार, पूर्ववर्ती योजनाओं की प्रत्येक योजना के लिए अलग बैंक खाता नहीं रखा गया था क्योंकि यह भी अनिवार्य नहीं था।

विद्युत मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि विद्युत मंत्रालय द्वारा आरईसी को तथा तत्पश्चात आरईसी द्वारा डिस्कॉम्स को डीडीयूजीवाई योजना के खंड 2 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना तथा निधि जारी करने के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरा किए बिना निधि जारी की गई। इसके अलावा, योजनाओं के मध्य निधि के गैर हस्तांतरण तथा आरईसी द्वारा अलग-अलग बैंक खाता न खोलने के बारे में विद्युत मंत्रालय का तर्क इस तथ्य के आलोक में देखा जाना है कि दिशा-निर्देशों में दोनों योजनाओं के लिए निधि जारी करने के लिए विशिष्ट बजट परिव्यय

[76] ***₹541.56 करोड़ + ₹1,603.81 करोड़ + ₹246.28 करोड़।***

तथा शर्तें निर्धारित की गई थीं, जबकि विद्युत मंत्रालय के स्तर पर इन्हें एकल बजट शीर्ष से डेबिट किया गया था।

एक्सिट कान्फ्रेंस (अगस्त 2022) में विद्युत मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि लेखा परीक्षा की टिप्पणियों का ध्यान रखा जाएगा एवं आगामी योजना यानी संशोधित वितरण क्षेत्र योजना में सुधारात्मक कार्रवाई सम्मिलित की जाएगी। मंत्रालय ने आगे कहा (नवंबर 2024) कि इस मुद्दे को चालू योजना की नोडल एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे अनुदान प्राप्त संस्थानों द्वारा खोले जाने वाले ट्रेजरी एकल खाते के माध्यम से योजना विशिष्ट अनुदान जारी करें।

4.3 डिस्कॉम द्वारा कॉर्पोरेट लिक्विड टर्म डिपॉजिट सुविधाओं के साथ अलग से समर्पित बैंक खाता न रखना

डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों में सीएलटीडी[77] सुविधा के साथ अलग बैंक खाते रखने तथा अप्रयुक्त निधि पर अर्जित ब्याज को प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार विद्युत मंत्रालय को भेजने की परिकल्पना की गई है।

यह पाया गया कि 27 राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से सात राज्यों में डिस्कॉम्स समय पर सीएलटीडी सुविधा के साथ बैंक खाता नहीं खोल पाए। इस प्रकार, सीएलटीडी सुविधा का लाभ न उठाने की अवधि के लिए अप्रयुक्त निधि शेष पर ₹10.00 करोड़ तक ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया गया, जैसा कि तालिका 4.3 में विस्तृत रूप से बताया गया है।

तालिका 4.3

पृथक लेखा न रखने के कारण ब्याज हानि का विवरण

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	राज्यों का नाम	सीएलटीडी सुविधा के बिना अवधि	सीएलटीडी सुविधा का लाभ न उठाना (महीनों में)	व्याज की हानि
1	अरुणाचल प्रदेश	मार्च 2017 से फरवरी 2018	11 महीने	0.57
2	जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख सहित	अक्टूबर 2017 से 30 जनवरी 2019 के दौरान 4 अवधियों में	14 महीने	3.25
3	मध्य प्रदेश	अगस्त 2015 से मई 2018	34 महीने	0.24

[77] *कॉर्पोरेट लिक्विड टर्म डिपॉजिट*

क्रम सं.	राज्यों का नाम	सीएलटीडी सुविधा के बिना अवधि	सीएलटीडी सुविधा का लाभ न उठाना (महीनों में)	व्याज की हानि
4	राजस्थान[78]	जनवरी 2017 से अप्रैल 2018	15 महीने	0.20
5	तमिलनाडु	अगस्त 2015 से मार्च 2020 तक	56 महीने	2.76
6	तेलंगाना	जनवरी 2017 से मई 2018	17 महीने	0.73
7	त्रिपुरा[79]	अप्रैल 2015 से मार्च 2020	60 महीने	2.25
कुल				**10.00**

एक्ज़िट कॉन्फ्रेंस (अगस्त 2022) में, विद्युत मंत्रालय ने उत्तर दिया कि इन पहलुओं पर परियोजनाओं के समापन के चरण में ध्यान दिया गया था एवं आश्वासन दिया कि आरडीएसएस में लागू नए वित्तपोषण तंत्र के अंतर्गत, लेखापरीक्षा टिप्पणियों का ध्यान रखा जाएगा। विद्युत मंत्रालय ने आगे कहा (नवंबर 2024) कि अब सभी प्रकार के भुगतानों के लिए पीएफएमएस मंच का उपयोग किया जाएगा ताकि निष्क्रिय निधियों एवं ब्याज की हानि से बचा जा सके।

4.4 राज्यों द्वारा राज्य करों का वहन न करना

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, राज्य करों के बारे में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं था, जबकि 12वीं योजना तक, दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि राज्य करों का वहन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाना था। अन्वीक्षण समिति ने 22 दिसंबर 2020 को अपनी 16वीं बैठक में निर्णय लिया कि राज्य करों का वहन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 27 राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से आठ राज्यों के संबंध में राज्य करों की महत्वपूर्ण मात्रा डिस्कॉम्स द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन पर लगाई गई थी एवं राज्यों द्वारा डिस्कॉम को वापस नहीं की गई थी, जैसा कि तालिका 4.4 में विस्तृत रूप से दिया गया है।

---

[78] *अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने 15 महीने की देरी (जनवरी 2017 से अप्रैल 2018) से सीएलटीडी सुविधा का लाभ उठाया।*

[79] *आरजीजीवीवाई 12वीं योजना के लिए शुरुआती दो बैंक खातों का इस्तेमाल अप्रैल 2015 से सीएलटीडी सुविधा के बिना डीडीयूजीजेवाई के संचालन में किया गया था। जुलाई 2017 से डीडीयूजीजेवाई के लिए एक अलग बैंक खाता चालू था और मार्च 2020 तक कोई सीएलटीडी सुविधा नहीं ली गई थी।*

तालिका 4.4
राज्य सरकारों द्वारा डिस्कॉम को वापस न किए गए कर का विवरण

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	राज्यों का नाम	डिस्कॉम[80]	स्कीम/योजनाएं	राज्य कर की राशि[81]
1	छत्तीसगढ	सीएसपीडीसीएल	डीडीयूजीजेवाई	32.45
2	हरियाणा	डीएचवीपीएन	डीडीयूजीजेवाई: 11.26	24.35
		यूएचबीवीएन	डीडीयूजीजेवाई: 13.09	
3	पंजाब[82]	पीएसपीसीएल	डीडीयूजीजेवाई	30.60
4	मणिपुर	एमएसपीडीसीएल	डीडीयूजीजेवाई	4.54
5	मेघालय[83]	एमईपीडीसीएल	डीडीयूजीजेवाई	14.97
6	राजस्थान	एवीवीएनएल	डीडीयूजीजेवाई: 70.54 आरजीजीवीवाई: 26.34	96.88
		जेवीवीएनएल	डीडीयूजीजेवाई: 77.80 आरजीजीवीवाई: 32.04	109.84
		जेडीवीवीएनएल	डीडीयूजीजेवाई: 74.50 आरजीजीवीवाई: 36.73	111.23
7	त्रिपुरा[84]	टीएसईसीएल	डीडीयूजीजेवाई	11.48
8	तमिलनाडु[85]	टैनजेडको	डीडीयूजीजेवाई: 58.08 आरजीजीवीवाई: 0.57	58.65
	कुल			**494.99**

[80] सीएसपीडीसीएल: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, डीएचबीवीएन: दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, यूएचबीवीएन: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, पीएसपीसीएल: पंजाब राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, एमएसपीडीसीएल: मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, एमईपीडीसीएल: मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, एवीवीएनएल: अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जेवीवीएनएल: जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जेडीवीवीएनएल: जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। टीएसईसीएल: त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, टीएएनजीईडीसीओ: तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड।

[81] राज्य कर में राज्य माल एवं सेवा कर और अन्य राज्य शुल्क शामिल थे।

[82] डीडीयूजीजेवाई के तहत पंजाब डिस्कॉम्स (पीएसपीसीएल) को अनुदान जारी करते समय आरईसी ने अनुदान घटक से 9 प्रतिशत एसजीएसटी हिस्सा काट लिया। डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत क्लोजर प्रस्ताव से पता चलता है कि पीएसपीसीएल ने राज्य करों (एसजीएसटी: ₹30.04 करोड़ और डब्ल्यूसीटी: ₹0.56 करोड़) पर ₹30.60 करोड़ का भुगतान किया था। पंजाब सरकार ने पीएसपीसीएल के दावे को खारिज कर दिया और सूचित किया कि राज्य कर देयता केवल पीएसपीसीएल द्वारा वहन की जानी है।

[83] एमईपीडीसीएल ने योजना के लिए प्राप्त अनुदान में से एसजीएसटी के लिए ₹14.56 करोड़ रुपये की राशि संबंधित राज्य प्राधिकरणों को भेज दी थी।

[84] त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड ने 2014-20 के दौरान संबंधित राज्य प्राधिकरणों को ₹12.76 करोड़ का एसजीएसटी, कार्य अनुबंध कर (डब्ल्यूसीटी) और श्रमिक कल्याण उपकर (डब्ल्यूडब्ल्यूसी) भेजा। इस राशि में से, डिस्कॉम ने ₹0.86 करोड़ का दावा किया और राज्य सरकार से इन करों की ₹11.90 करोड़ प्रतिपूर्ति का दावा करने में विफल रहा।

[85] डीडीयूजीजेवाई योजना से संबंधित आरईसी द्वारा अस्वीकृत राज्य कर ₹49.65 करोड़ था और आरजीजीवीवाई के तहत कार्य विस्तार पर ₹0.57 करोड़ था, जिसे तमिलनाडु सरकार द्वारा वापस नहीं किया गया।

डीडीयूजीजेवाई कार्यों पर राज्य कर न लगाया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई न किए जाने के कारण ₹494.99 करोड़ का भुगतान किया गया।

विद्युत मंत्रालय ने बताया (जून 2022) कि राज्य करों के प्रति योजना पर कोई अनुचित बोझ नहीं है क्योंकि आरईसी ने डीडीयूजीजेवाई योजना के अंतर्गत डिस्कॉम्स को धनराशि जारी करने से पहले राज्य करों की उचित कटौती सुनिश्चित की थी एवं परियोजना समापन की प्रक्रिया के समय, राज्य करों में कटौती के बाद पात्र लागत का आकलन किया गया है ।

विद्युत मंत्रालय ने आगे कहा (नवंबर 2024) कि डिस्कॉम्स ने कार्यान्वयन समझौता करते समय राज्य करों की लागत को वहन करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की थी।

उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि परियोजनाओं पर लगाए गए राज्य करों को डिस्कॉम्स द्वार वहन किया गया था, जिसे संबंधित राज्यों द्वारा वहन किया जाना था, जैसा कि 16वीं अन्वीक्षण समिति बैठक (22 दिसंबर 2020) में निर्णय लिया गया था । इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र विकसित करने की आवश्यकता थी कि राज्य करों से डिस्कॉम्स या योजना निधि पर बोझ न पड़े, जैसा कि विद्युत मंत्रालय द्वारा एक्ज़िट कान्फ्रेंस अगस्त 2022) में आश्वासन दिया गया था ।

4.5 सारांश

नोडल एजेंसी (आरईसी) ने भारत सरकार अनुदान घटक अर्थात डीडीयूजीजेवाई के मामले में पहली व तीसरी किस्त तथा आरजीजीवीवाई 12वीं योजना के मामले में पहली किस्त जारी करते समय सीसीईए द्वारा अनुमोदित योजनाओं के वित्तपोषण तंत्र का अनुपालन सुनिश्चत नहीं किया। इसलिए विहित शर्त/निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने से पहले व अन्वीक्षण समिति के अनुमोदन के बिना डिस्काम्स के ₹2,391.65 करोड़ की निधियाँ जारी की गयीं। विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं के तहत परियोजनाओं के भौतिक प्रगति के अनुरूप आरईसी को जारी निधियों के उपयोग की निगरानी नहीं की, जिसके कारण एक योजना हेतु स्वीकृत निधियों को आइईसी द्वारा दूसरी योजना में हस्तांतरित किया गया। इसके अलावा, 11 राज्यों में डिस्कॉम्स द्वारा एक योजना के ₹734.01 करोड़ निधि राशि का दूसरी योजना मै उपयोग के मामले देखे गए।

डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आरईसी ने डीडीयूजीजेवाई कार्य के कार्यान्वयन हेतु समर्पित बैंक खाता नहीं रखा और आरजीजीवीवाई 10वीं व 11वीं योजना के बैंक खाते जारी रखे। विभिन्न योजनाओं जैसे आरवीवीवाई 10वीं योजना, 11वीं योजना, 12वीं योजना तथा डीडीयूजीजेवाई हेतु सूचक बजट परिव्यय कार्यक्षेत्र तथा वित्तपोषण परिपाटियों की पृष्ठभूमि में इससे विभिन्न योजना/स्कीम हेतु स्वीकृत निधियों की तुलना में डिस्काम्स को योजना/स्कीम वार निधियों के भुगतान में विसंगति हुई। आठ राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा डिस्काम्स को राज्य करों की गैर प्रतिपूर्ति के कारण डिस्काम्स को ₹494.99 करोड़ का अदेय बोझ पड़ा।

अध्याय 5: डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन एवं अन्वीक्षण तंत्र

योजना एवं क्रियान्वयन के दौरान योजना की प्रभावी अन्वीक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के उद्देश्य प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक प्राप्त किए जाएं, तथा कार्य को योजना के अनुसार, अपेक्षित गुणवत्ता के साथ एवं समय-सीमा के भीतर निष्पादित किया जाए।

5.1 अप्रभावी/त्रुटिपूर्ण गुणवत्ता आश्वासन तंत्र

डीडीयूजीजेवाई/आरजीजीवीवाई 12वीं योजना के दिशा-निर्देशों में डिस्कॉम के स्तर पर आंतरिक गुणवत्ता अन्वीक्षण तथा आरईसी के स्तर पर आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों (आरक्यूएम) के माध्यम से तृतीय-पक्ष गुणवत्ता अन्वीक्षण की परिकल्पना की गई थी, जिन्हें डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों के अनुपालन तथा अन्वीक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन का निरीक्षण करना था।

प्रत्येक स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) के अन्वीक्षण में देखी गई कमियों पर तालिका 5.1 में चर्चा की गई है।

तालिका 5.1

गुणवत्ता आश्वासन के अन्वीक्षण में अपर्याप्तता

अन्वीक्षण का स्तर	विवरण
डिस्कॉम स्तर का अन्वीक्षण	डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि डिस्कॉम को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए एक विस्तृत व्यापक क्यूए योजना तैयार करनी थी, जो टर्नकी संविदाकारों या उपकरण आपूर्तिकर्ताओं एवं निर्माण एजेंसियों के साथ अनुबंधों का एक अभिन्न अंग होना था। डिस्कॉम एवं टर्नकी संविदाकारों को गुणवत्ता आश्वासन जांच को सख्ती से सुनिश्चित करना था, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* सामग्री के प्रेषण से पहले एवं परियोजना निष्पादन के दैनिक कार्यों के दौरान आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता के लिए 100 *प्रतिशत निरीक्षण* की आवश्यकता होती है । **लेखापरीक्षा में पाया गया कि:** 1. डीडीयूजीजेवाई योजना के अंतर्गत 27 राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से चार राज्यों[86] एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों[87] द्वारा न तो गुणवत्ता आश्वासन योजनाएं तैयार की गईं एवं न ही उन्हें अनुबंध समझौते का अभिन्न अंग बनाया गया।

[86] *गोवा, गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा।*

[87] *अंडमान और निकोबार और दादर और नगर हवेली।*

अन्वीक्षण का स्तर	विवरण
	विद्युत मंत्रालय ने बताया (जून 2022) कि दादरा एवं नगर हवेली तथा गोवा में कार्य विभागीय/टर्नकी आधार पर निष्पादित किया गया तथा इस प्रकार, उनकी गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया को अपनाया गया। गुजरात में, डिस्कॉम ने उन सामग्रियों का निरीक्षण किया था जो खरीद आदेश का हिस्सा थीं। विद्युत मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि क्यूए योजना प्रत्येक डिस्कॉम द्वारा तैयार की जानी थी, चाहे कार्य विभागीय रूप से किया गया हो या टर्नकी संविदाकार द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा, खरीद आदेश के अनुसार निरीक्षण करना उक्त डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। 2. 27 राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से तीन राज्यों[88] एवं एक केंद्र शासित प्रदेश[89] में अधिकृत विक्रेताओं से सामग्री नहीं खरीदी गई। इसके अलावा, 11 राज्यों/केंद्र शासित[90] प्रदेशों द्वारा अनुमोदित विक्रेताओं की सूची वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई । विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि सामान्य तौर पर, विक्रेता का अनुमोदन राज्य का विषय है। डिस्कॉम को केवल अधिकृत विक्रेताओं से सामग्री की खरीद की पूरी जिम्मेदारी है। विद्युत मंत्रालय ने आगे उत्तर दिया कि मध्य प्रदेश में, अनुमोदित विक्रेता सूची वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई थी क्योंकि इस तरह के विक्रेता की स्वीकृति केवल योजना के लिए अन्तिम रूप से दी गई थी। तेलंगाना में, अनुमोदित विक्रेताओं की सूची तेलंगाना राज्य उत्तरी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (टीएसएनपीडीसीएल) वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई थी। हालाँकि, तकनीकी मुद्दों के कारण, वेब पोर्टल को फिर से डिज़ाइन किया गया था। हिमाचल प्रदेश में, अनुमोदित विक्रेता सूची वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई थी। नागालैंड में, अनुमोदित विक्रेता सूची वेब पोर्टल पर अपलोड की जा रही थी। हरियाणा में देखे गए एक उदाहरणात्मक मामले में, मेसर्स दुहान इलेक्ट्रिकल वर्क्स, हिसार ने नवंबर से दिसंबर 2017 की अवधि के दौरान रेलमैक मेक {297 परिपथ किमी (सीकेएम)} की केबल की आपूर्ति एवं स्थापना की थी, जिसकी कीमत ₹9.06 करोड़ थी। परियोजना के निष्पादन के दौरान, संविदाकार भ्रष्ट एवं धोखाधड़ी गतिविधियों में सम्मिलित पाया गया एवं इसलिए, दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल) द्वारा अनुबंध समाप्त कर दिया गया (23 फरवरी 2018)। अनुबंध समाप्त होने के बाद, डीएचबीवीएनएल ने केबलों का स्वीकृति परीक्षण करवाया (10 अगस्त 2018) जो विनिर्देशों को पूरा करने में विफल

[88] *कर्नाटक, मणिपुर और त्रिपुरा।*

[89] *दादर एवं नगर हवेली।*

[90] *दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और तेलंगाना।*

अन्वीक्षण का स्तर	विवरण
	रहा एवं इसे एनएबीएल[91] द्वारा घटिया गुणवत्ता का केबल घोषित (14 अगस्त 2018) किया गया । डीएचबीवीएनएल ने सुरक्षा मानदंडों से समझौता करते हुए संविदाकार द्वारा उक्त केबल को नहीं बदलवाया । इसलिए, डिस्कॉम ने क्यूए तंत्र दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके अनुसार डिस्कॉम को तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार सभी सामग्रियों के 100 *प्रतिशत* पूर्व-प्रेषण निरीक्षण के माध्यम से गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करनी थी। डीएचबीवीएनएल ने कहा (मार्च 2024) कि संविदाकार द्वारा घटिया केबलों को दिसंबर 2023 तक नहीं बदला गया एवं मध्यस्थता मामले का फैसला किया गया (अक्टूबर 2023) लेकिन मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने दोषपूर्ण घटिया सामग्री के लिए कोई राशि नहीं दी थी, एवं इसलिए, डीएचबीवीएनएल ने मध्यस्थता के फैसले के खिलाफ जिला न्यायालय, हिसार में एक याचिका दायर की थी (जनवरी 2024) जहां मामला विचाराधीन था । उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि घटिया केबलों के उपयोग से न केवल विद्युत की अपर्याप्त आपूर्ति के लिए परिस्थितियां निर्मित हुईं, बल्कि केबलों के क्षतिग्रस्त होने तथा जमीन पर गिर जाने के कारण सुरक्षा जोखिम भी उत्पन्न हुआ।
आरईसी स्तर का अन्वीक्षण	डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) तंत्र ने निर्धारित किया कि 100 *प्रतिशत* गैर-विद्युतीकृत ग्रामों (यूईवी) एवं 10 *प्रतिशत* गहन विद्युतीकृत ग्रामों[92] (आईईवी) का निरीक्षण आरईसी गुणवत्ता मॉनिटर (आरक्यूएम) द्वारा दो चरणों में किया जाना था। चरण- I एवं चरण- II निरीक्षणों में 50 *प्रतिशत* यूईवी एवं पांच *प्रतिशत* आईईवी सम्मिलित होने थे। आरक्यूएम का चरण I निरीक्षण एक परियोजना में तब शुरू होना था जब 50 *प्रतिशत* यूईवी एवं 30 *प्रतिशत* आईईवी सभी मामलों में पूरे हो गए थे। आरक्यूएम का चरण II निरीक्षण एक परियोजना में तब शुरू एवं समाप्त होना था जब 100 *प्रतिशत* यूईवी एवं 70 *प्रतिशत* आईईवी सभी मामलों में पूरे हो गए थे। आरक्यूएम को जारी कार्य आदेश पत्र (एलओए) के अनुसार, निरीक्षण रिपोर्ट, निरीक्षण नोटिस जारी करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी थी एवं आरक्यूएम को निरीक्षकों द्वारा उठाए गए अन्वीक्षण टिप्पणियों को अपलोड करने एवं डीडीयूजीजेवाई वेब पोर्टल (साक्ष्य पोर्टल[93]) में साइट की तस्वीरों के विवरण के साथ डिस्कॉम द्वारा अनुपालन प्रस्तुत करने की प्रगति की देखरेख करनी थी।

[91] परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड।

[92] विद्युतीकरण की तत्कालीन प्रचलित परिभाषा के अनुसार जो गांव पहले विद्युतीकृत घोषित किए गए थे, उन्हें नई परिभाषा के तहत आंशिक रूप से विद्युतीकृत माना गया और इसलिए, उन गांवों में एचटी/एलटी लाइनों के विस्तार और अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर जैसे गहनीकरण कार्य किए जाने की आवश्यकता थी ताकि उनका विद्युतीकृत गांवों के रूप में वर्गीकरण बरकरार रखा जा सके। इस तरह के अतिरिक्त कार्य को इस योजना के तहत गहन विद्युतीकरण कहा जाता है।

[93] यह निरीक्षण रिपोर्ट के माध्यम से आरक्यूएम द्वारा देखे गए दोषों को अपलोड करने और अनुपालन रिपोर्ट के माध्यम से दोषों के सुधार को अपलोड करने के लिए ऑनलाइन निगरानी पोर्टल है।

अन्वीक्षण का स्तर	विवरण
	आरक्यूएम द्वारा देखे गए दोषों की संख्या एवं डिस्कॉम द्वारा हल किए गए दोषों की चर्चा निम्नानुसार है: • डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कवर किए गए 27 चयनित राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामों में आरक्यूएम द्वारा देखी गई 4,19,361 खामियों में से 3,82,107 खामियों को संविदाकारों द्वारा अप्रैल 2022 तक हल कर दिया गया। • 12 राज्यों[94] में दोषों की संख्या 1,93,758 थी। इसमें से 1,21,297 दोषों को मार्च 2022 तक ठीक नहीं किया गया था असम राज्य में पहचाने गए शेष 72,461 दोषों को मार्च 2024 तक ठीक नहीं किया जा सका क्योंकि दोष उस कार्य से संबंधित थे जिसे संविदाकार से हटा दिया गया था। तथापि, आरईसी ने डिस्कॉम द्वारा इन दोषों के समाधान में लिए गए समय के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। **2. दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति** लेखापरीक्षा ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 20 राज्यों[95] एवं एक केंद्र शासित प्रदेश[96] के 741 ग्रामों, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 8 राज्यों[97] के 143 ग्रामों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच की 12वीं योजना एवं डीडीजी के अंतर्गत पांच राज्यों[98] के 44 ग्रामों में आरईसी द्वारा क्यूए तंत्र के कार्यान्वयन के लिए काम किया गया एवं पाया गया कि आरक्यूएम द्वारा दिशा-निर्देशों के विभिन्न प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है: **(i) ग्राम का निरीक्षण करने में विलंब** क्यूए तंत्र[99] में यह निर्धारित किया गया था कि आरक्यूएम को निरीक्षण कॉल जारी होने की तिथि से 2 से 3 सप्ताह के भीतर परियोजनाओं का निरीक्षण पूरा करना था एवं निरीक्षण रिपोर्ट निरीक्षण कॉल जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी थी। निरीक्षण रिपोर्ट आयोजित करने एवं प्रस्तुत करने में देरी तालिका 5.1.1 में दी गई है ***(अनुलग्नक 6 में विस्तृत विवरण)***

---

[94] *असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड।*

[95] *आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।*

[96] *पुडुचेरी*

[97] *असम, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा।*

[98] *अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित और झारखंड।*

[99] *एलओए का खंड 9.1.*

तालिका 5.1.1
आरक्यूएम द्वारा ग्राम के निरीक्षण में विलंब का विवरण

योजना	लेखापरीक्षा के दौरान जांचे गए ग्रामों की संख्या	उन ग्रामों की संख्या जिनमें आरक्यूएम द्वारा किए गए निरीक्षण में विलंब हुआ	निरीक्षण में विलंब वाले ग्रामों की संख्या
डीडीयूजीजेवाई	20 राज्यों एवं एक केन्द्र शासित प्रदेश के 741 ग्राम।	20 राज्यों एवं एक केन्द्र शासित प्रदेश के 564 ग्राम।	412 ग्रामों में 100 दिनों तक का विलंब, 87 ग्रामों में 100 दिनों से अधिक से 300 दिनों तक का विलंब तथा 65 ग्रामों में 300 दिनों से अधिक का विलंब।
आरजीजीवीवाई 12वीं योजना	आठ राज्यों के 143 ग्राम	• छह राज्यों[100] के 75 ग्राम • दो राज्यों[101] के 12 ग्रामों द्वारा प्रमाण पत्र सौंपे जाने के बाद भी प्रमाण पत्र साक्ष्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए।	2 ग्रामों में 100 दिनों तक का विलंब, 13 ग्रामों में 100 दिनों से अधिक से 300 दिनों तक का विलंब, तथा 60 ग्रामों में 300 दिनों से अधिक का विलंब।
डीडीजी	पांच राज्यों के 44 ग्राम	पांच राज्यों के 43 ग्राम	20 ग्रामों में 100 दिन तक का विलंब, 7 ग्रामों में 100 दिन से अधिक से 300 दिन तक का विलंब, तथा 16 ग्रामों में 300 दिन से अधिक का विलंब

** इन ग्रामों को सौंपे जाने की तारीख से*

[100] *असम, झारखंड, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।*
[101] *जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित और नागालैंड।*

अन्वीक्षण का स्तर	विवरण
	निरीक्षण में विलंब से पता चला कि आरक्यूएम ने क्यूए तंत्र में परिकल्पित समवर्ती अन्वीक्षण नहीं किया । डीडीयूजीजेवाई, आरजीजीवीवाई 12वीं योजना एवं डीडीजी परियोजनाओं के लिए विद्युत मंत्रालय ने (जून 2022) कहा कि डिस्कॉम द्वारा साक्ष्य पोर्टल पर दोषों को दूर करने एवं अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब कोविड-19 महामारी, सार्वजनिक परिवहन की आवाजाही पर प्रतिबंध एवं चयनित ग्रामों की दुर्गमता के कारण हुआ। इसके अलावा, परियोजनाओं के बंद होने के दौरान, डिस्कॉम ने आरईसी/ एमओपी पर कोई देयता लगाए बिना सभी दोषों को दूर करने का बीड़ा उठाया था । विद्युत मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि अधिकांश ग्रामों को कोविड-19 महामारी से पहले ही सौंप दिया गया था एवं मुख्य रूप से निरीक्षण के लिए आमंत्रण जारी करने में विलंब हुआ, जिसके कारण ग्रामों के निरीक्षण में विलंब हुआ। **(ii) आदर्श गुणवत्ता ग्रामों की पहचान न होना** गुणवत्ता आश्वासन तंत्र में यह निर्धारित किया गया था कि किसी परियोजना में विद्युतीकरण कार्य पूरा होने के तुरंत बाद पांच ग्रामों का गहन निरीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि दोषों के सुधार के बाद वे ग्राम आदर्श गुणवत्ता ग्राम (एमक्यूवी) के रूप में काम कर सकें। इन पांच ग्रामों के निरीक्षण के निष्कर्षों का उपयोग प्रशिक्षण संसाधनों एवं गुणवत्ता आश्वासन में आवश्यक सुधार के रूप में किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 20 राज्यों में से पांच राज्यों[102] में कोई एमक्यूवी नहीं पहचाना गया था। इसके अलावा, डीडीजी परियोजनाओं के लिए जारी किए गए एलओए में ऐसा कोई खंड/प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया था। ग्रामों के विद्युतीकरण कार्य में बड़ी संख्या में दोष देखे गए, जिन्हें टाला जा सकता था यदि एमक्यूवी के निष्कर्षों का उपयोग प्रशिक्षण संसाधनों के रूप में किया जाता। विद्युत मंत्रालय ने बताया (जून 2022) कि उपर्युक्त राज्यों में आरक्यूएम की नियुक्ति में देरी के कारण किसी एमक्यूवी की पहचान नहीं की गई। **(iii) आरक्यूएम द्वारा किए गए निरीक्षणों में पाई गई अन्य कमियां** दिशा-निर्देशों[103] में आरक्यूएम द्वारा सत्यापन/निरीक्षण[104] के लिए विस्तृत प्रावधान निर्धारित किए गए थे, तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि आरक्यूएम द्वारा निरीक्षण दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

[102] ***आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, महाराष्ट्र और तेलंगाना***

[103] ***डीडीयूजीजेवाई क्यूए तंत्र दिशानिर्देश का खंड 1.6.***

[104] ***परियोजना के 100 प्रतिशत यूईवी और 10 प्रतिशत आईईवी गांवों में, बीपीएल कनेक्शनों का 100 प्रतिशत सत्यापन, डीटी और एलटी लाइनों का 100 प्रतिशत सत्यापन, गांव के विद्युतीकरण और बीपीएल लाभार्थियों का सत्यापन, सार्वजनिक स्थानों पर सेवा कनेक्शनों की स्थापना, गांव में बिजली आपूर्ति के घंटे और लाभार्थियों के पक्ष में पहला ऊर्जा बिल बनाने के लिए डिस्कॉम्स द्वारा लिया गया समय।***

अन्वीक्षण का स्तर	विवरण
	• **डीडीयूजीजेवाई:** 20 राज्यों में से 17 राज्यों[105] के 545 ग्रामों में विद्युत आपूर्ति के घंटों एवं 20 राज्यों में से 18 राज्यों[106] के 383 ग्रामों में ग्राम पंचायत प्रमाणपत्रों (जीपीसी) की समीक्षा एवं सत्यापन आरक्यूएम द्वारा नहीं किया गया था। • **आरजीजीवीवाई 12वीं योजना**: आठ राज्यों[107] के 143 ग्रामों में से आठ राज्यों के 79 ग्रामों में विद्युत आपूर्ति के घंटे, आठ राज्यों के 143 ग्रामों में योजना के साइन बोर्ड की स्थापना एवं आठ राज्यों के 143 ग्रामों में से सात राज्यों[108] के 69 ग्रामों में ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र (जीपीसी) की समीक्षा एवं सत्यापन आरक्यूएम द्वारा नहीं किया गया था। विद्युत मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तिओं को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (जून 2022) कि राज्य डिस्कॉम जीपीसी उपलब्ध नहीं करा सके तथा आरक्यूएम द्वारा निरीक्षण से पहले समय पर पोर्टल पर अपलोड नहीं कर सके तथा निरीक्षण में देरी से बचने तथा गुणवत्ता दोषों को दूर करने के लिए आरक्यूएम ने ऐसे ग्रामों का निरीक्षण किया है। इसके अलावा, अधिकांश राज्यों ने उत्तर दिया कि साक्ष्य पोर्टल पर आपूर्ति घंटों के आंकड़ों को दर्ज करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान उपलब्ध नहीं है । विद्युत मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि आरक्यूएम को अपनी प्रत्येक निरीक्षण रिपोर्ट में ग्राम में विद्युत आपूर्ति के औसत घंटों की रिपोर्ट करना आवश्यक था। इसके अलावा, आपूर्ति घंटों के आंकड़ों को कैप्चर करने के लिए साक्ष्य पोर्टल पर कॉलम की अनुपलब्धता से पता चला कि साक्ष्य पोर्टल को क्यूए तंत्र दिशा-निर्देशों के अनुसार डिज़ाइन नहीं किया गया था, जिसके कारण डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ। • डीडीयूजीजेवाई एवं आरजीजीवीवाई 12वीं योजना के अंतर्गत चयनित किसी भी ग्राम में डिस्कॉम द्वारा पहला ऊर्जा बिल जारी करने में लिया गया समय रिपोर्ट नहीं किया गया, जो कि क्यूए तंत्र दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था। विद्युत मंत्रालय ने बताया (जून 2022) कि डिस्काम्स लाभार्थियों के प्रथम ऊर्जा बिल के संबंध में सूचना आरक्यूएम को उपलब्ध नहीं करा सका। विद्युत मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि अधिकांश राज्यों ने उत्तर दिया है कि डिस्कॉम द्वारा पहला ऊर्जा बिल जारी करने में लगने वाले समय का विवरण साक्ष्य पोर्टल पर अपलोड करने का कोई प्रावधान नहीं है, जो कि क्यूए तंत्र दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

[105] *आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, महाराष्ट्र मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।*

[106] *आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, हरियाणा, पुदुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड।*

[107] *असम, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा।*

[108] *असम, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, झारखंड, नागालैंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा।*

अन्वीक्षण का स्तर	विवरण
	• आरजीजीवीवाई 12वीं योजना के अंतर्गत, आठ राज्यों के सभी चयनित 143 ग्रामों में आरक्यूएम द्वारा चार्जिंग प्रमाणपत्र एवं प्रयोगशाला में सामग्री के परीक्षण की समीक्षा नहीं की गई। विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि राज्य डिस्कॉम आरक्यूएम द्वारा निरीक्षण से पहले चार्जिंग प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं करा सके एवं उन्हें पोर्टल पर अपलोड नहीं कर सके। विद्युत मंत्रालय ने आगे उत्तर दिया कि परियोजना स्थल से सामग्री उठाने का प्रावधान एलओए के उक्त खंड के अंतर्गत इस आधार पर सम्मिलित किया गया था कि यदि निरीक्षण के दौरान आरक्यूएम द्वारा रिपोर्ट की गई सामग्री की खराब गुणवत्ता का कोई मामला होता, तो नमूना सामग्री प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए उठाई जाती। विद्युत मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि एलओए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिसके अंतर्गत आरक्यूएम निरीक्षण में गुणवत्ता खराब पाए जाने के आधार पर प्रयोगशाला में सामग्री की जांच की जा सके। **3. अतिरिक्त संरचना के संबंध में नियमों एवं शर्तों का पालन न करना।** अक्टूबर 2017 में "सौभाग्य" योजना के लॉन्च होने के बाद, 19 राज्यों[109] ने कहा कि कई क्षेत्रों में मौजूदा बुनियादी ढांचा सभी घरों को गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के साथ विद्युत संयोजन प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं था। चूंकि "सौभाग्य" के अंतर्गत निधि का प्रावधान केवल सेवा संयोजन एवं अंतिम मील संबद्धता तक ही सीमित था, इसलिए डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अन्वीक्षण समिति द्वारा ₹14,183 करोड़[110] की अतिरिक्त बुनियादी ढांचा निधि अनुमोदित की गई थी । यह अनुमोदन अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पुनः तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/मात्रा का बिल (बीओक्यू) प्रस्तुत करने के अधीन थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि विद्युत मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद, किसी भी डिस्कॉम ने सिस्टम को मजबूत करने के लिए साइट पर बुनियादी ढाँचे की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पुनः निर्मित डीपीआर एवं बीओक्यू प्रस्तुत नहीं किया। इसके अलावा, अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे के लिए बीओक्यू प्रस्तुत करने से संबंधित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना आरईसी द्वारा धन जारी किया गया। विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि स्वीकृत शर्तों के अनुसार, डिस्काम्स को बुनियादी ढाँचे की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बीओक्यू जमा करना आवश्यक था। कुल 19 राज्यों में से केवल छह राज्यों[111] ने ऑनलाइन

[109] *मेघालय, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड।*

[110] *एम.सी. बैठक दिनांक 12.12.2018 और एम.सी. बैठकें दिनांक 26.03.2019 और 16.03.2020।*

[111] *छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड।*

अन्वीक्षण का स्तर	विवरण
	पोर्टल पर अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे के कार्यों के लिए डीपीआर जमा किए थे। हालांकि, "सौभाग्य" के अंतर्गत घरों के विद्युतीकरण के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे के लिए एक समेकित बीओक्यू पहले ही डिस्कॉम्स द्वारा ऑन-लाइन पोर्टल पर जमा कर दिया गया था। विद्युत मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि अन्वीक्षण समिति ने देखा (सौभाग्य की चौथी एमसी बैठक दिनांक 09.07.2018) कि बनाए जा रहे बुनियादी ढाँचे का विवरण "सौभाग्य" के लिए मूल डीपीआर में सम्मिलित /प्रक्षेपित नहीं किया गया था। आरईसी ने अपने उत्तर में यह भी कहा (मार्च 2021) कि संशोधित डीपीआर प्रस्तुत नहीं किए गए क्योंकि इतने कम समय के भीतर डीपीआर को अंतिम रूप देना एवं लाभार्थियों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अंतिम मील संबद्धता आवश्यकताओं को अंतिम रूप देना व्यावहारिक रूप से असंभव था ।

अनुशंसा संख्या 8: गुणवत्ता आश्वासन एवं अन्वीक्षण तंत्र (अर्थात 100 *प्रतिशत* पूर्व-प्रेषण निरीक्षण, टर्नकी अनुबंध के साथ समझौते में सामग्री की खरीद, गुणवत्ता अन्वीक्षण दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना आदि) को डिस्कॉम्स के साथ-साथ आरईसी स्तर पर मजबूत किया जाए।

5.2 डीडीयूजीजेवाई के लिए राज्य स्तरीय स्थायी समिति का कामकाज

योजना के कार्यान्वयन में हितधारकों में से एक के रूप में राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित भौतिक कार्यों की जांच के बाद अन्वीक्षण समिति के अनुमोदन के लिए डीपीआर की अनुशंसा करने के लिए जिम्मेदार थी। इसमें प्रस्तावित वितरण नेटवर्क के अनुरूप अपस्ट्रीम नेटवर्क की पर्याप्तता सुनिश्चित करना, परियोजना क्षेत्र की लोड मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा भारत सरकार की किसी अन्य योजना के साथ कार्य के दोहराव/ओवरलैपिंग से बचना सम्मिलित था। एसएलएससी प्रगति की अन्वीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों जैसे कि मार्ग के अधिकार के मुद्दे, वन स्वीकृति, रेलवे स्वीकृति आदि के समाधान के लिए भी जिम्मेदार थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 27 राज्यों की 142 परियोजनाओं में से 8 राज्यों[112] की 36 परियोजनाओं के मामले में, डिस्कॉम्स द्वारा एसएलएससी की अनुशंसाएँ प्राप्त किए बिना ही डीपीआर आरईसी को प्रस्तुत कर दी गई थी।

[112] *अरुणाचल प्रदेश (2), असम (7), छत्तीसगढ़ (7), मेघालय (2), पुडुचेरी (2), त्रिपुरा (4), तमिलनाडु (7) और पश्चिम बंगाल (5)।*

इसके अलावा, एसएलएससी की अप्रभाविता को दर्शाने वाले विभिन्न उदाहरण देखे गए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

1. नियमित एसएलएससी बैठकें महत्वपूर्ण थीं क्योंकि एसएलएससी परियोजना की प्रगति का अन्वीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं परियोजना से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए जिम्मेदार थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि नागालैंड राज्य में दिसंबर 2014 से अगस्त 2021 के दौरान केवल चार बैठकें आयोजित की गईं। इसी तरह, सिक्किम राज्य में केवल चार बैठकें आयोजित की गईं, तेलंगाना में केवल दो बैठकें आयोजित की गईं एवं पुडुचेरी में दिसंबर 2014 एवं दिसंबर 2023 के मध्य कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। इसके अलावा, दादर एवं नगर हवेली में कोई एसएलएससी नहीं बनाई गई।

2. महाराष्ट्र में, सभी नौ चयनित परियोजनाओं[113] के लिए, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) ने एसएलएससी की अनुशंसा प्राप्त किए बिना मौजूदा संविदाकारों को ₹85.09 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त कार्य[114] दिए थे (सितंबर 2019)।

3. लेखापरीक्षा ने यह भी देखा की मार्ग के अधिकार, वन स्वीकृति, रेलवे स्वीकृति आदि से संबंधित मुद्दों के समाधान में विलम्ब हुआ, जैसा कि तालिका 5.2 में दिया गया है।

तालिका 5.2
मुद्दों के समाधान में विलंब को दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अवलोकन
झारखंड	मार्ग के अधिकार, वन स्वीकृति आदि से संबंधित मुद्दों के समाधान में विलंब के कारण 53 सबस्टेशनों के निर्माण में विलंब हुआ एवं रांची परियोजना के तीन सबस्टेशनों का दायरा समाप्त कर दिया गया।
तमिलनाडु	मार्ग के अधिकार, वन स्वीकृति आदि से संबंधित मुद्दों के समाधान में विलंब के कारण दो सबस्टेशनों का दायरा समाप्त कर दिया गया।
छत्तीसगढ	मार्ग के अधिकार, वन एवं रेलवे स्वीकृति, संविदाकारों के गैर-निष्पादन आदि से संबंधित मुद्दों को विलंब से हल किया, जिसके कारण डीडीयूजीजेवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हुआ।
हिमाचल प्रदेश	
पंजाब	
महाराष्ट्र	
सिक्किम	

[113] *अकोला, औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, नागपुर, सोलापुर, गोंदिया, गढ़चिरौली और कोल्हापुर।*
[114] *लाइन बिछाना, डीटीसी आदि।*

विद्युत मंत्रालय ने स्वीकार किया (जून 2022) कि विभिन्न कारणों से डीपीआर तैयार करने में पर्याप्त समय की अनुपलब्धता एवं अत्यधिक देरी के कारण एसएलएससी से कार्योत्तर अनुमोदन/ अनुशंसा प्राप्त की गई थी। छत्तीसगढ़ में मुद्दों के समाधान में देरी के उत्तर में, विद्युत मंत्रालय ने कहा कि स्वीकृति से जुड़ी लंबी प्रक्रियाओं के कारण वन स्वीकृति जारी करने में मामूली देरी हुई। एक्सिट कांफ्रेंस (अगस्त 2022) में, विद्युत मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि अन्वीक्षण तंत्र को मजबूत किया जाएगा।

यद्यपि विद्युत मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तिओं को स्वीकार कर लिया है, लेकिन कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में उसका उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इससे एसएलएससी द्वारा डीपीआर की जांच कराने का उद्देश्य विफल हो गया है, अर्थात यह देखना कि क्या विद्युत अवसंरचना के अन्य पहलू जैसे अपस्ट्रीम नेटवर्क आदि पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं।

5.3 अन्वीक्षण समिति बैठक आयोजित करने के लिए समयसीमा/आवधिकता का निर्धारण न किया जाना

विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित अन्वीक्षण समिति परियोजनाओं की स्वीकृति, संशोधित लागत अनुमान, योजनाओं के कार्यान्वयन की अन्वीक्षण एवं समीक्षा के अलावा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए जिम्मेदार है।

जबकि आरजीजीवीवाई 11$^{वीं}$ योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अन्वीक्षण समिति बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जानी अपेक्षित थीं जबकि डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों में इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिसंबर 2014 से मार्च 2022 तक की अवधि के दौरान डीडीयूजीजेवाई के लिए आयोजित कुल 25 बैठकों में से 14 बैठकें तीन महीने की अवधि के अंतराल में आयोजित की गईं एवं 11 बैठकें तीन महीने से अधिक 12 महीने के अंतराल आयोजित की गईं (अर्थात 6 बैठकें 3 महीने से अधिक से 6 महीने में आयोजित की गईं, 4 बैठकें 6 महीने से अधिक 9 महीने में आयोजित की गईं एवं एक बैठक 12 महीने से अधिक में आयोजित की गईं)।

बैठकों के रुक-रुक कर एवं देरी से आयोजित होने के कारण, ऐसे उदाहरण सामने आए, जहां आरईसी ने अन्वीक्षण समिति की स्वीकृति के बिना डिस्कॉम्स को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी, जैसे डीपीआर (अरुणाचल प्रदेश, असम एवं मेघालय) के घटकों की मात्रा में संशोधन के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति, आरजीजीवीवाई 12$^{वीं}$ योजना के अंतर्गत कुशीनगर परियोजना (उत्तर प्रदेश) की स्वीकृत मात्रा में कमी, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत सामग्री जुटाने की नई पहल पर होने वाला व्यय, अरुणाचल प्रदेश में यूई ग्रामों को ग्रिड

संबद्धता से ऑफ-ग्रिड में स्थानांतरित करना, डीपीआर का संशोधन एवं अप्रयुक्त पूंजी सब्सिडी का उपयोग, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत मणिपुर, मिजोरम एवं नागालैंड राज्यों के अतिरिक्त डीपीआर के लिए अनुमोदन आदि।

उपरोक्त मामलों में अन्वीक्षण समिति की भूमिका पूर्वव्यापी अनुमोदन देकर आरईसी के निर्णयों को नियमित करने तक सीमित थी।

विद्युत मंत्रालय ने बताया (जून 2022) कि अन्वीक्षण समिति बैठकों की परिकल्पना अन्वीक्षण, राज्य के प्रस्तावों पर विचार, योजना के विभिन्न घटकों के संचालन के लिए आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने, डीपीआर/परियोजनाओं को स्वीकृति देने, परियोजना कार्यान्वयन की अन्वीक्षण एवं समीक्षा करने एवं यदि आवश्यक हो तो परियोजना निष्पादन के लिए समय विस्तार देने के उद्देश्य से की गई थी। कोविड-19 के राष्ट्रव्यापी प्रकोप के कारण स्वास्थ्य कारणों से 15वीं अन्वीक्षण समिति बैठक स्थगित कर दी गई थी।

कोविड-19 के कारण 15वीं अन्वीक्षण समिति के आयोजन में देरी के बारे में विद्युत मंत्रालय के तर्क को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि 14वीं अन्वीक्षण समिति बैठक मार्च 2019 के महीने में आयोजित की गई थी एवं 15वीं अन्वीक्षण समिति बैठक मार्च 2020 के महीने में आयोजित की गई थी, यानी 14वीं अन्वीक्षण समिति बैठक के एक साल बाद।

एक्सिट कांफ्रेंस (अगस्त 2022) में विद्युत मंत्रालय ने अभ्युक्तियों को स्वीकार किया एवं आश्वासन दिया कि अन्वीक्षण तंत्र को मजबूत किया जाएगा।

अनुशंसा संख्या 9 : विद्युत मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि योजनाओं की समय पर स्वीकृति, अन्वीक्षण एवं कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एसएलएससी एवं अन्वीक्षण समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएं ।

5.4 सारांश

कुछ राज्यों में डिस्कॉम्स द्वारा डिस्कॉम स्तर की गुणवत्ता मूल्यांकन योजनाएँ न तो तैयार की गईं एवं न ही उन्हें संविदाओं का अभिन्न अंग बनाया गया। इसके अलावा, कुछ मामलों में, सामग्री अधिकृत विक्रेताओं से नहीं खरीदी गई एवं अनुमोदित विक्रेताओं की सूची भी डिस्कॉम्स के वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई। क्यूए तंत्र दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, कई ग्रामों में डीडीयूजीजेवाई एवं आरजीजीवीवाई 12वीं योजना के अंतर्गत आरक्यूएम द्वारा ग्राम पंचायत प्रमाणपत्र एवं विद्युत आपूर्ति के घंटों जैसे मापदंडों की समीक्षा एवं सत्यापन नहीं किया गया। आठ राज्यों में

चार्जिंग प्रमाणपत्रों की समीक्षा नहीं की गई एवं सामग्रियों का प्रयोगशाला में परीक्षण नहीं किया गया।

"सौभाग्य" के अंतर्गत अंतिम छोर संबद्धता प्रदान करने के लिए बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अन्वीक्षण समिति द्वारा ₹14,183 करोड़ की लागत से अतिरिक्त बुनियादी ढांचा कार्यों को अनुमोदित किया गया (अक्टूबर 2018)। भारत सरकार की स्वीकृत शर्तों का उल्लंघन करते हुए, राज्यों ने न तो कोई पुनर्गठित डीपीआर प्रस्तुत की एवं न ही वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर कोई मात्रा बिल तैयार किया। मंत्रालय के स्तर पर अन्वीक्षण का प्रावधान डीडीयूजीजेवाई में सम्मिलित नहीं किया गया था।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अन्वीक्षण समिति बैठकों के आयोजन की आवधिकता निर्धारित नहीं की गई थी। दिसंबर 2014 एवं मार्च 2022 के दौरान 25 अन्वीक्षण समिति बैठकें आयोजित की गईं जिनमें से 14 बैठकें तीन महीने की अवधि के अंतराल में आयोजित की गईं एवं 11 बैठकें तीन से 12 महीने के अंतराल में आयोजित की गईं।

अध्याय 6: "सौभाग्य" के अंतर्गत विद्युतीकरण

भारत सरकार ने निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की:

1) ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के अंतिम छोर तक संबद्धता एवं विद्युत संयोजन उपलब्ध कराना,

2) दूरदराज एवं दुर्गम ग्रामों/बस्तियों में स्थित गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए सौर फोटोवोल्टेइक (एसपीवी) आधारित स्टैंडअलोन सिस्टम प्रदान करना, जहां ग्रिड संयोजन संभव या लागत प्रभावी नहीं है, एवं

3) शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से गरीब सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को अंतिम छोर तक संबद्धता एवं विद्युत संयोजन प्रदान करना। गैर-गरीब शहरी परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया।

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के आंकड़ों का उपयोग करके पहचाने गए आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को मुफ्त संयोजन प्रदान किए जाने थे। यह योजना डीडीयूजीजेवाई एवं घरेलू विद्युतीकरण के लिए अन्य राज्य योजनाओं के साथ-साथ थी।

"सौभाग्य" के दायरे में परिकल्पित परिवारों की अनुमानित संख्या तालिका 6.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 6.1

"सौभाग्य" योजना के दायरे में आने वाले परिवारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

i)	कुल गैर-विद्युतीकृत घर (अप्रैल 2017)	517 लाख
ii)	कुल गैर-विद्युतीकृत ग्रामीण घर	460 लाख
iii)	कुल गैर-विद्युतीकृत शहरी घर	57 लाख
iv)	डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत स्वीकृत कुल ग्रामीण बीपीएल परिवार जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है	179 लाख
v)	शेष ग्रामीण परिवारों को "सौभाग्य" के अंतर्गत कवर किया जाएगा (ii-iv)	281 लाख
vi)	अनुमानित कुल गैर-विद्युतीकृत गरीब शहरी परिवार	50 लाख
	"सौभाग्य" के अंतर्गत कवर किए जाने वाले कुल गैर-विद्युतीकृत घर (v + vi)	331 लाख (दिशा-निर्देशों में इसे 300 लाख तक पूर्णांकित किया गया है)

योजना की शुरुआत यानी 11 अक्टूबर 2017 से मार्च 2021 तक इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिम्मेदार विभिन्न सरकारों एवं अन्य एजेंसियों के प्रदर्शन का लेखापरीक्षा के दौरान

मूल्यांकन किया गया। "सौभाग्य" का नमूना डीडीयूजीजेवाई/आरजीजीवीवाई XII योजना/ डीडीजी न्यू एवं डीडीजी XII (परियोजना स्तर/ब्लॉक स्तर/ग्राम स्तर) के अंतर्गत चयनित नमूना परियोजनाओं से लिया गया था। डीडीयूजीजेवाई/आरजीजीवीवाई/डीडीजी न्यू एवं डीडीजी XII के अंतर्गत चुने गए नमूना ग्रामों को भी "सौभाग्य" के अंतर्गत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था (विवरण अध्याय 2 में उल्लिखित है)। इस अवधि (अक्टूबर 2017 से मार्च 2020) के दौरान राज्यों द्वारा किए गए व्यय का लेखा-परीक्षण संबंधित राज्यों के लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा किया गया। ₹12,320 करोड़ के सकल बजटीय सहायता में से, विद्युत मंत्रालय/ आरईसी ने राज्य डिस्कॉम एवं अन्य सक्षम गतिविधियों को ₹6,220.23 करोड़ वितरित किए, जिसे लेखापरीक्षण के दौरान कवर किया गया।

प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

6.1 घरेलू विद्युतीकरण की स्थिति

"सौभाग्य" दिशा-निर्देशों में 517 लाख[115] गैर-विद्युतीकृत घरों को दर्शाया गया है (अप्रैल 2017)। "सौभाग्य" के अंतर्गत कवर किए जाने वाले कुल गैर-विद्युतीकृत घरों की अनुमानित संख्या 300 लाख है। "सौभाग्य" डैशबोर्ड ने मार्च 2019 तक 262.84 लाख घरों के विद्युतीकरण पर विद्युतीकरण लक्ष्य की 100 *प्रतिशत* उपलब्धि का दावा किया। सभी 25 राज्यों[116], जहां इस योजना को लागू किया गया था, ने घोषणा की कि नवंबर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य 100 *प्रतिशत* घरेलू विद्युतीकरण हासिल किया गया था। "सौभाग्य" दिशा-निर्देशों एवं "सौभाग्य" डैशबोर्ड के अनुसार विद्युतीकृत किए जाने वाले घरों के आंकड़ों में विसंगति को चित्र 6.1 में दर्शाया गया है।

चित्र 6.1

"सौभाग्य" दिशा-निर्देशों एवं उसके डैशबोर्ड में विसंगतियां

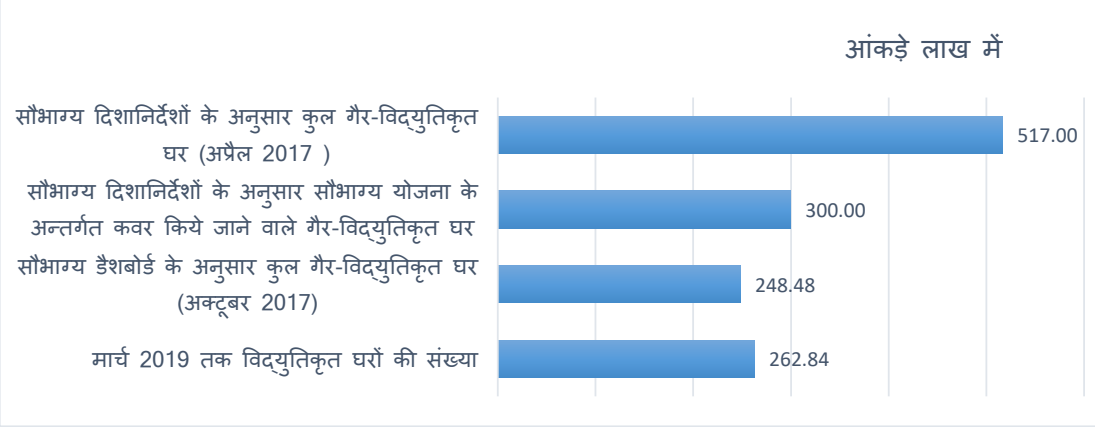

स्रोत: विद्युत मंत्रालय एवं "सौभाग्य" डैशबोर्ड द्वारा जारी "सौभाग्य" दिशा-निर्देश दिनांक 20 अक्टूबर 2017।

[115] ***जनगणना आंकड़ों और राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर।***

[116] ***अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।***

लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी एवं डैशबोर्ड पर उपलब्ध जानकारी के विश्लेषण से पता चला कि डैशबोर्ड पर दर्शाए गए विद्युतीकरण के लिए घरों की अनुमानित संख्या, योजना दिशा-निर्देशों में सम्मिलित 300 लाख घरों से घटकर 248.48 लाख रह गई। सात राज्यों[117] ने 31 मार्च 2019 तक 19.10 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों की सूचना दी थी, जिन्हें सौभाग्य के तहत विद्युतीकरण के लिए चिह्नित किया गया था।

विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि राज्यों द्वारा लक्ष्य घटा दिए गए थे क्योंकि एक ही परिसर में रहने वाले दो या दो से अधिक परिवार केवल एक ही विद्युत संयोजन का लाभ उठा रहे थे। यह भी कहा गया कि चूंकि इच्छुक परिवारों का लक्ष्य गतिशील था, इसलिए राज्यों द्वारा मार्च 2019 तक इसे 248.48 लाख परिवारों के रूप में निर्धारित किया गया था। विद्युत मंत्रालय ने कहा कि कठिन अभियानों के कारण अतिरिक्त इच्छुक घरों का विद्युतीकरण किया गया एवं इस प्रकार अक्टूबर 2017 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान राज्यों द्वारा कुल 262.84 लाख घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी गई। इसीलिए, मार्च 2019 से पहले पहचाने गए इच्छुक घरों के 100 *प्रतिशत* विद्युतीकरण की घोषणा की गई।

इसके अलावा, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान विद्युत मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण की घोषणा प्रगति प्रतिवेदन एवं राज्यों द्वारा सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण के दस्तावेजों के पुष्टि के आधार पर की गई थी। यह दावा करना उचित नहीं होगा कि सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण की घोषणा समय से पहले की गई थी, क्योंकि यह उपभोगताओं एवं सभी राज्यों द्वारा लिए गए उचित निर्णय पर आधारित थी। कई घर पहले (विभिन्न कारणों से) विद्युतीकरण के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन बाद में इच्छुक हो गए एवं ऐसी रिपोर्टों के आधार पर, अप्रैल 2019 से मार्च 2021 तक लगभग 19 लाख घरों को विद्युतीकृत करने की अनुमति भी दी गई। विद्युत मंत्रालय ने आगे कहा (नवंबर 2024) कि उसके बाद, कुछ राज्यों ने बताया कि 11.84 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जाना बाकी है, जबकि राज्यों ने 4.05 लाख घरों का विद्युतीकरण किए जाने की सूचना दी। तदनुसार, कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। विद्युत मंत्रालय ने आगे कहा कि वे इस योजना के अंतर्गत विद्युत संयोजन प्राप्त करने के लिए अनिच्छुक घरों का डेटा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं क्योंकि उन्होंने इसे बनाए नहीं रखा है।

6.1.1 अन्य योजनाओं की उपलब्धियों का समावेश

सौभाग्य दिशा-निर्देशों के अनुसार, देश के कुल 517 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों में से, 100 *प्रतिशत* घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्च 2019 तक 300 लाख घरों का विद्युतीकरण करना आवश्यक है। मार्च 2019 तक 262.84 लाख

[117] ***असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश***

घरों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें से 151.60 लाख घरों का विद्युतीकरण सौभाग्य के तहत किया गया। विभिन्न योजनाओं के तहत विद्युतीकृत घरों का अनुपात चित्र 6.2 में दर्शाया गया है।

चित्र 6.2

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों का हिस्सा

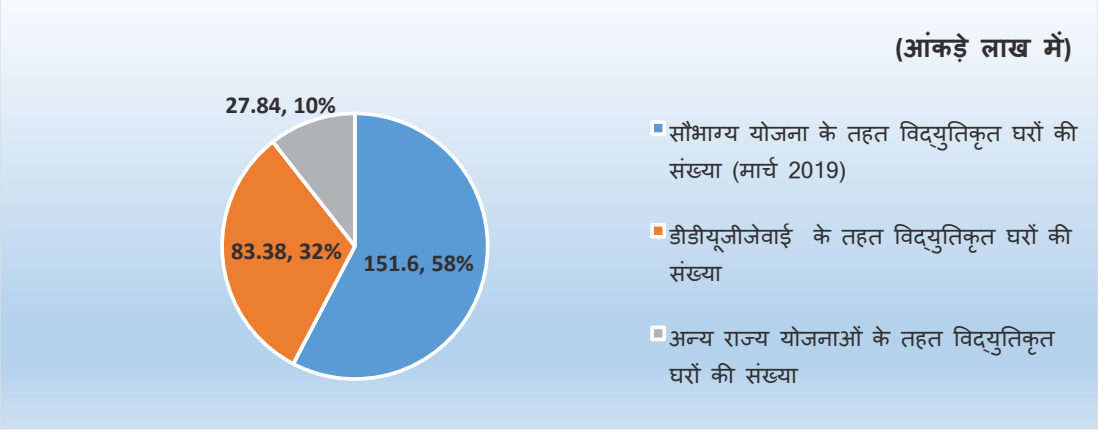

स्रोत: विद्युत मंत्रालय द्वारा बनाए गए "सौभाग्य" का डैशबोर्ड

विद्युत मंत्रालय ने स्वीकार किया (जून 2022) कि "सौभाग्य" के अंतर्गत लगभग 152.30 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया, डीडीयूजीजेवाई {ग्रामीण विद्युतीकरण एवं प्रधानमंत्री विकास परियोजनाओं (ग्रामीण) सहित} के अंतर्गत 73.60 लाख घरों का एवं राज्य आरई योजनाओं के अंतर्गत 36.90 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया। आगे यह बताया गया कि चूंकि सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण की योजना पहली बार "सौभाग्य" के अंतर्गत तैयार की गई थी, इसलिए, सरकार की समग्र नीतियों के अनुरूप प्रगति अन्वीक्षण एवं परिपूर्णता आधारित तरीके का पालन किया गया एवं इसलिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई उपलब्धियों को "सौभाग्य" के अंतर्गत दर्शाया गया।

6.1.2 घर-घर विद्युतीकरण विवरण की अनुपलब्धता

"सौभाग्य" डैशबोर्ड के अनुसार जिन 13 राज्यों[118] में 2.96 लाख घरों (तालिका 6.2) का विद्युतीकरण होने का दावा किया गया है, उनका घर-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं था।

तालिका 6.2

नोडल एजेंसी (आरईसी) के पास परिवार-वार आंकड़ों की उपलब्धता की स्थिति

विवरण	परिवार
मार्च 2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	262.84 लाख
विद्युतीकृत घरों की संख्या जिनके लिए घर-वार विवरण उपलब्ध हैं	259.88 लाख
विद्युतीकृत घरों की संख्या जिनके लिए घर-वार विवरण उपलब्ध नहीं हैं	2.96 लाख

[118] *आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।*

विद्युत मंत्रालय/ आरईसी ने यह कहा है (अप्रैल 2021/ नवंबर 2024) कि योजना के कार्यान्वयन के दौरान, राज्यों द्वारा विद्युतीकृत घरों की प्रगति पोर्टल पर अपलोड की गई है, जिसमें "सौभाग्य" के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों के साथ-साथ राज्य योजनाओं सहित राज्यों में कार्यान्वित की जा रही अन्य समानांतर योजनाएं सम्मिलित हैं। कुछ राज्यों ने राज्य योजनाओं के अंतर्गत योजना के पूर्ण होने से ठीक पहले ग्राम के जनगणना कोड उपलब्ध नहीं कराए थे/कुछ मामलों में ग्राम-वार गलत जनगणना कोड प्रदान किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 2.96 लाख घरों का अंतर हुआ।

6.1.3 राज्य विशिष्ट कमियाँ

लेखापरीक्षा द्वारा 24 राज्यों में से दो राज्यों में घरों के विद्युतीकरण के आंकड़ों में पाई गई कमियों पर तालिका 6.3 में चर्चा की गई है।

तालिका 6.3

राज्यों में 100 *प्रतिशत* घरों के विद्युतीकरण की समयपूर्व घोषणा

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभ्युक्ति
1	उत्तर प्रदेश	एमवीवीएनएल डिस्कॉम के अधिकार क्षेत्र में, नवंबर 2017 में 46.31 लाख गैर-विद्युतीकृत घर होने के बावजूद, मात्र 11.67 लाख घरों के विद्युतीकरण के पश्चात मार्च 2019 में घरों के विद्युतीकरण की पूर्ण उपलब्धि घोषित की गई। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स ने मार्च 2019 में घरों के विद्युतीकरण की पूर्ण उपलब्धि घोषित करने के पश्चात 9.62 लाख संयोजन जारी किए। विद्युत मंत्रालय ने कहा है (जून 2022/नवंबर 2024) कि भारत सरकार ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे के कार्य हेतु मार्च 2021 तक समय विस्तार की अनुमति दी थी, जिससे "सौभाग्य" के अंतर्गत शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युत संयोजन प्रदान किया जा सके, ताकि योजना का मुख्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। इसलिए, आवश्यक विद्युत अवसंरचना के निर्माण के बाद ऐसे चिन्हित गैर-विद्युतीकृत इच्छुक घरों को विद्युत संयोजन दिए गए।
2	झारखंड	झारखंड में 19.32 लाख घरों को विद्युत प्रदान करने की स्वीकृति दी गई थी। हालांकि, राज्य ने दिसंबर 2018 में परिपूर्णता की घोषणा की, जबकि मार्च 2019 तक मात्र 9.34 लाख घरों का विद्युतीकरण ही पूर्ण हुआ तथा 1.99 लाख घरों को अप्रैल 2019 से मार्च 2021 के दौरान किया गया। विद्युत मंत्रालय ने कहा है (जून 2022/नवंबर 2024) कि 31 मार्च 2019 तक सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण किया

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभ्युक्ति
		गया, हालांकि, समय के साथ कुछ अनिच्छुक घरों ने भी इच्छा व्यक्त की इसलिए, "सौभाग्य" के अंतर्गत 1.99 लाख घरों की अतिरिक्त स्वीकृति भी दी गई। इस प्रकार, योजना के अंतर्गत कुल 11.33 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया। सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण करने के पश्चात संतृप्ति का दावा किया गया।

6.2 परियोजना की योजना में कमियाँ

6.2.1 डीपीआर तैयार करने में कमियां

"सौभाग्य" दिशा-निर्देशों के अनुसार, अर्ह संस्थाओं (भाग लेने वाली डिस्कॉम्स) को संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से आरईसी को एक आशय पत्र[119] (एलओआई) एक प्रति विद्युत मंत्रालय को प्रेषित करते हुए प्रस्तुत करना आवश्यक था, जिसमें गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युत संयोजन जारी करने की योजना में भाग लेने के लिए उनकी इच्छा व्यक्त की गई थी। इसके बाद, डिस्कॉम्स द्वारा आरईसी को डीपीआर प्रस्तुत की जानी थी, जिसमें घरेलू विद्युतीकरण एवं ऑनलाइन मोड के माध्यम से अंतिम मील संबद्धता के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का विवरण दिया गया था। डीपीआर को 6 नवंबर 2017 तक एक समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूपों में प्रस्तुत किया जाना था। यद्यपि, यह अधिदेश था कि योजना के कार्यान्वयन को शुरू करने के लिए अर्ह संस्थाएं अर्ह घरों को तुरंत विद्युत संयोजन जारी करना शुरू कर सकती हैं। इसके पश्चात, 11 अक्टूबर 2017 से जारी विद्युत कनेक्शनों के लिए अर्ह संस्थाओं द्वारा किए गए व्यय को "सौभाग्य" के अंतर्गत कवर किया गया है। अर्ह परियोजनाओं (डीपीआर) को आरईसी द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर अन्वीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना था।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, डिस्कॉम्स को लाभार्थियों की पहचान एवं घरों के ग्राम-वार/निवास-वार विवरण के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण करना था। डीपीआर इस विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण पर आधारित होनी थी।

लेखापरीक्षा नें इस संबंध में यह पाया कि 24 राज्यों में से 20[120] राज्यों ने, 28 डिस्कॉम्स[121] को कवर करते हुए, नवंबर 2017 एवं फरवरी 2018 के मध्य आशय पत्र

[119] *आशय पत्र में उपलब्ध आंकड़ों/सर्वेक्षण के आधार पर "सौभाग्य" के अंतर्गत कवर किए जाने वाले घरों, पहले से विद्युतीकृत घरों तथा शेष गैर-विद्युतीकृत घरों की संख्या का जिलावार विवरण भी शामिल होना चाहिए।*

[120] *अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।*

[121] *एपीडीए, एपीडीसीएल, सीएसपीडीसीएल, एचपीएसईबीएल, जेकेपीडीडी, जेबीवीएनएल, सीईएससी, हेसकॉम, जीईएसकॉम, मेसकॉम, एमपीपीएकेवीवीसीएल, एमपीएमकेवीवीसीएल, एमपीपीओकेवीवीसीएल, एमएसपीडीसीएल, एमईपीडीसीएल, एनपीडी, ओपीटीसीएल, पीएसपीसीएल, जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल, एसपीडी, टीएसएसपीडीसीएल, टीएसएनपीडीसीएल, टीएसईसीएल, पीवीवीएनएल, यूपीसीएल, और डब्ल्यूबीएसईडीसीएल।*

प्रस्तुत किए एवं भाग लेने वाले डिस्कॉम्स द्वारा आरईसी को डीपीआर फरवरी 2018 एवं नवंबर 2018 के मध्य प्रस्तुत किया गया। हालांकि, यह देखा गया कि डिस्कॉम्स ने क्षेत्र सर्वेक्षण किए बिना डीपीआर तैयार व प्रस्तुत की।

विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि डिस्कॉम्स ने डीपीआर तैयार करते समय अथक परिश्रम किया क्योंकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात उनके पास भारी मात्रा में क्षेत्रीय आँकडे उपलब्ध थे एवं उनके पास अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से उचित मात्रा में आवश्यक क्षेत्रीय आँकडे थे। समय बचाने के लिए, राज्यों ने अपने स्वयं के संसाधनों/मौजूदा अनुबंधों कार्यों के विषय से क्षेत्र इत्यादि से तदर्थ अग्रिमों/उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके शेष घरों को संयोजन देना शुरू कर दिया।

विद्युत मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के सापेक्ष में देखा जा सकता है कि डिस्कॉम्स, आरईसी एवं अन्वीक्षण समिति की ओर से योजना की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया था।

अनुशंसा संख्या 10: ***विद्युत मंत्रालय को योजना शुरू करने से पहले संभावित लाभार्थियों के बारे में सटीक आंकड़ों की प्राप्ति/सूचना सुनिश्चित करना चाहिए एवं विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षणों के आधार पर योजना के कुशल कार्यान्वयन के लिए विवेकपूर्ण तरीके से निधि आवंटन की योजना बनानी चाहिए। विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षणों के आधार पर डीपीआर की तैयारी सुनिश्चित की जाए।***

6.2.2 डिस्कॉम्स द्वारा डीपीआर प्रस्तुत करना

डिस्कॉम्स को "सौभाग्य" दिशा-निर्देशों के अनुसार विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर डीपीआर तैयार करना था। इसलिए, यह आवश्यक था कि ऐसे क्षेत्र सर्वेक्षण करने एवं डीपीआर तैयार करने में उचित समय लगाया जाए जिससे लाखों नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाली योजनाओं के कार्य को सुव्यवस्थित करने के रूप में ऐसे प्रयोगों का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। फिर भी इन डीपीआर को जमा करने के लिए डिस्कॉम्स को एक महीने से भी कम समय दिया गया (तालिका 6.4)। इस प्रकार, डीपीआर को दिनांक (01 दिसंबर 2017) से 71 से 418 दिनों के विलंब के साथ प्रस्तुत किया गया, जब डीपीआर पोर्टल को कार्यात्मक बनाया गया ।

तालिका 6.4

डीपीआर की वास्तविक प्रस्तुति की स्थिति

अवधि	स्थिति
योजना की अधिसूचना की तिथि	11 अक्टूबर 2017
"सौभाग्य" दिशा-निर्देश जारी करने की तिथि	20 अक्टूबर 2017

अवधि	स्थिति
"सौभाग्य" दिशा-निर्देशों के अनुसार डिस्कॉम्स द्वारा डीपीआर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (पोर्टल पर ऑनलाइन मोड का उपयोग करते हुए)	06 नवंबर 2017
पोर्टल तैयार होने की तिथि	01 दिसंबर 2017
डिस्कॉम्स द्वारा डीपीआर की वास्तविक प्रस्तुति तिथि	24 राज्यों की सभी 36 भागीदार डिस्कॉम्स ने डीपीआर पोर्टल के कार्यात्मक होने की तिथि से 71 से 418 दिनों के मध्य के विलंब से डीपीआर प्रस्तुत की, जिससे डीपीआर की समीक्षा एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु अन्वीक्षण समिति द्वारा घरों की स्वीकृति में विलम्ब हुआ।

विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि "सौभाग्य" के अंतर्गत, राज्यों द्वारा डीपीआर प्रस्तुत किए जाने थे एवं यह एक समय लेने वाली गतिविधि थी, इसलिए, राज्यों ने शेष गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के समानांतर डीपीआर तैयार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा, राज्यों द्वारा प्रस्तुत डीपीआर में शेष गैर-विद्युतीकृत घरों की संख्या एवं चल रही डीडीयूजीजेवाई नई/आरई योजनाओं के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले शेष कार्यों के विवरण से संबंधित विसंगतियां थीं। डीपीआर में विसंगतियों से संबंधित मामले पर 06 जून 2018 को आयोजित समीक्षा आवधिक बैठक (आरपीएम) में चर्चा की गई थी एवं यह निर्णय लिया गया कि सभी राज्य उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए "सौभाग्य" के अंतर्गत स्वीकृत किए जाने वाले गैर-विद्युतीकृत घरों की संख्या को फिर से तैयार करेंगे ।

उत्तर लेखापरीक्षा अभियुक्ति की पुष्टि करता है तथा योजना प्रक्रिया में विसंगतियों को उजागर करता है, जिसके परिणामस्वरूप शेष गैर-विद्युतीकृत घरों की संख्या के आकलन तथा योजना के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले शेष कार्यों के विवरण से संबंधित विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं।

6.3 कार्यान्वयन में अपर्याप्तता

6.3.1 ग्रिड के माध्यम से घरेलू विद्युतीकरण का कार्यान्वयन

ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण हेतु अन्वीक्षण समिति द्वारा स्वीकृत घरों की संख्या एवं विद्युतीकरण की स्थिति का विवरण तालिका 6.5 में दिया गया है।

तालिका 6.5
ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण की स्थिति

विवरण	स्थिति	
अन्वीक्षण समिति द्वारा स्वीकृत ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत किए जाने वाले घरों की संख्या	241.95 लाख	
ग्रिड के माध्यम से मार्च 2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	149.58 लाख	
मार्च 2019 के पश्चात गैर-विद्युतीकृत घरों की संख्या एवं मार्च 2020 तक अन्वीक्षण समिति द्वारा दिया गया विस्तार	19.10 लाख (सात राज्यों[122] में)	
उपरोक्त में से विद्युतीकृत घरों की संख्या 19.10 लाख है।	अप्रैल 2019 से मार्च 2020	12.57 लाख
	अप्रैल 2020 से मार्च 2021	6.14 लाख
30 मार्च 2021 को गैर-विद्युतीकृत घरों की संख्या "सौभाग्य" हेतु अन्वीक्षण समिति की 9वीं बैठक)	11.64 लाख[123] (सात राज्यों[124] में)	

राज्यों ने मार्च 2019 और फिर मार्च 2021 (तालिका 6.5) में बार-बार गैर-विद्युतीकृत घरों की रिपोर्ट दी थी। अन्वीक्षण समिति ने योजना के अंतर्गत ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण हेतु 241.95 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों को स्वीकृति दी, जिनमें से मार्च 2019 तक 149.58 लाख घरों को ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत किया गया। इसके पश्चात, उपरोक्त सात राज्यों ने गैर-विद्युतीकृत घरों की सूचना दी एवं समयसीमा बढ़ाने के लिए विद्युत मंत्रालय/ आरईसी से अनुरोध किया। अन्वीक्षण समिति ने इन सात राज्यों के संबंध में अतिरिक्त घरों के विद्युतीकरण की समयसीमा को 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया। लेखापरीक्षा नें पाया कि उक्त सात राज्यों में विस्तार अवधि (मार्च 2020) तक केवल 12.57 लाख घरों को विद्युतीकृत किया गया एवं अगले एक वर्ष आर्थात अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान 6.14 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया।

विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्यों को समय विस्तार दिया गया, तथापि विस्तार के पश्चात भी, सभी घरों के विद्युतीकरण का उद्देश्य पूर्णरूपेण प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि

---

[122] *असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।*

[123] *इसमें पहले से अनिच्छुक घर और 31 मार्च 2019 के बाद बने नए घर दोनों शामिल हैं।*

[124] *असम (2,45,045), मध्य प्रदेश (2,78,464), मणिपुर (60,000), मिजोरम (729)। नागालैंड (2,123), राजस्थान (1,77,496), और उत्तर प्रदेश (4,00,000)।*

डीडीयूजीजेवाई की 21वीं अन्वीक्षण समिति बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आठ राज्यों[125] में 11.76 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों को डीडीयूजीजेवाई योजना के अंतर्गत अन्वीक्षण समिति द्वारा विद्युतीकरण हेतु पुनः स्वीकृति दी गई, जिनमें से 05 राज्यों[126] में 4.31 लाख घरों को दिसंबर 2023 तक विद्युत संयोजन प्रदान किए गए।

विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि राज्यों में दिन-प्रतिदिन के आधार पर आने वाले नए गैर-विद्युतीकृत घर "सौभाग्य" के अंतर्गत कवर नहीं किए जाते। 30 मार्च 2021 को आयोजित नौवीं अन्वीक्षण समिति बैठक में चर्चा के अधीन घर, नए इच्छुक घर थे, जिन्हें बाद में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कवर किया गया। इसमें यह कहा गया कि घरों का विद्युतीकरण एक गतिशील प्रक्रिया है, एवं "सौभाग्य" मात्र एक विशेष अवधि के लिए थी जिसमें मार्च 2019 तक चिन्हित घरों का विद्युतीकरण सम्मिलित है एवं राज्यों ने मार्च 2019 तक चिन्हित सभी इच्छुक घरों के विद्युतीकरण की घोषणा की है, अतः योजना का उद्देश्य प्राप्त हो गया है।

6.3.1.1 परियोजनाओं के समापन में विलम्ब

"सौभाग्य" के दिशा-निर्देशानुसार, राज्यों को 31 मार्च 2019 तक घरेलू विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करना एवं कार्य पूर्ण होने के एक वर्ष के अंदर परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र (क्लोजर रिपोर्ट) प्रस्तुत करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि अन्वीक्षण समिति (जुलाई 2018 से दिसंबर 2018) द्वारा स्वीकृत ग्रिड एसपीवी संयोजन से 3.75 लाख ऑफ ग्रिड एसपीवी संयोजन सहित 245.70 लाख संयोजन के लक्ष्य के प्रति योजना के समापन तक कुल विद्युतीकृत घर 174.36 लाख (71 *प्रतिशत*) थे, जिसमें 4.16 लाख एसपीवी संयोजन सम्मिलित थे। पांच राज्यों, जिन्होंने 31 मार्च 2019 तक संतृप्ति की घोषणा की एवं जिन्हें विद्युत मंत्रालय द्वारा समय विस्तार नहीं दिया गया, ने मार्च 2019 के पश्चात 1.99 लाख[127] संयोजन जारी किए। हालांकि, डिस्कॉम्स द्वारा काम पूरा करने में देरी के कारण, परियोजनाओं को बंद करने की प्रक्रिया में भी देरी हुई क्योंकि 18 राज्यों ने मार्च 2019 तक संतृप्ति की घोषणा की थी, जिसमें से केवल दो राज्यों ने मार्च 2020 तक परियोजना बंद करने की प्रक्रिया प्रस्तुत की। इसके अलावा, 25 राज्यों ने मार्च 2021 तक संतृप्ति की घोषणा की थी, लेकिन मार्च 2022 तक परियोजना बंद करने की प्रक्रिया प्रस्तुत की।

---

[125] ***असम (4,80,249), छत्तीसगढ़ (21,981), मध्य प्रदेश (99,722), मणिपुर (21,135), मेघालय (420), नागालैंड (7,009), राजस्थान (2,10,843), और उत्तर प्रदेश (3,34,652)।***

[126] ***असम-3,68,610 घर, छत्तीसगढ़-2,577 घर, मेघालय-401 घर, नागालैंड-7,009 घर और राजस्थान-52,206 घर।***

[127] ***जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित-4466 घर, महाराष्ट्र-13751 घर, मेघालय-134794 घर, तेलंगाना-32235 घर और ओडिशा-13735 घर शामिल हैं।***

लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम्स द्वारा समापन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में विलंब के संबंध में आरईसी द्वारा कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं की गई तथा पूर्व-समापन[128] के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई जोकि आरईसी की ओर से अपर्याप्त अन्वीक्षण का संकेत देता है।

विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि राज्य डिस्कॉम्स मार्ग के अधिकार के मामलों, वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब, विभिन्न संविदात्मक मुद्दों इत्यादि के कारण 24 माह की निर्धारित समयसीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा नहीं कर सके एवं समयसीमा बढ़ाने की अनुमति मांगी, जिसे अन्वीक्षण समिति ने स्वीकृति दी। यह भी कहा गया कि इन सभी कारकों के कारण आरईसी द्वारा परियोजनाओं के समापन में विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों में "सौभाग्य" परियोजनाओं को निर्धारित परियोजना पूर्ण होने की तिथि से परे समय सीमा के विस्तार के साथ पूर्ण किया गया एवं सभी "सौभाग्य" परियोजनाओं का समापन कर दिया गया एवं शेष निधियों वित्तीय वर्ष 2021-22 के सनसेट से पूर्व जारी कर दी गई।

6.3.1.2 दोहरे लाभ का दावा

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के घरों एवं "सौभाग्य" के अंतर्गत आर्थिक रूप से गरीब[129] घरों को विद्युत संयोजन की अनुमति है। "सौभाग्य" के दिशा-निर्देशों द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि, यदि डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत डिस्कॉम परियोजना क्षेत्रों में स्वीकृत पर्याप्त संख्या में गरीबी रेखा से नीचे के घरों को खोजने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें "सौभाग्य" के अनुसार शेष गैर-विद्युतीकृत घरों के समान संख्या में विद्युत संयोजन जारी करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, ऐसे कनेक्शनों के लिए निधीकरण पर केवल डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो राज्यों[130] में "सौभाग्य" के अनुसार डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 16,728 घरों को संयोजन जारी किए गए। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत आवश्यक अनुदान प्राप्त करने के बावजूद, आरईसी से ₹7.53[131] करोड़ के अनुदान का दावा भी "सौभाग्य" के अंतर्गत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप डिस्कॉम को दोहरा भुगतान किया गया। यह आरईसी की ओर से चूक को दर्शाता है क्योंकि आरईसी द्वारा डिस्कॉम्स को अनुदान जारी किया गया था, एवं डिस्कॉम्स ने दावों को पर्याप्त रूप से सत्यापित किए बिना संविदाकार को दोहरा भुगतान किया।

---

[128] *यदि उपयोगिता कंपनी परियोजना समाप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो आरईसी को स्वप्रेरणा से कार्य और उस पर किए गए व्यय का आकलन करने के लिए एक टीम भेजनी चाहिए तथा परियोजना समापन के लिए अपनी सिफारिश नगर निगम को प्रस्तुत करनी चाहिए।*

[129] *केन्द्र सरकार द्वारा बीपीएल के लिए निर्धारित आय का मानदंड 27,000 रुपये प्रति वर्ष है, तथा आर्थिक रूप से गरीब लोगों के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित आय का मानदंड, जो राज्य दर राज्य अलग-अलग होता है।*

[130] *मध्य प्रदेश-159 घर और उत्तर प्रदेश-16,569 घर।*

[131] *16,728 x ₹4,500 प्रति कनेक्शन।*

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान विद्युत मंत्रालय ने कहा है (अगस्त 2022) कि अन्य राज्यों जैसे सिक्किम, मध्य प्रदेश में भी परियोजनाओं के समापन के समय अन्य योजनाओं के अंतर्गत समान संयोजन का दावा करने के मामले पाए गए एवं अनुदान देने से मना कर दिया गया।

विद्युत मंत्रालय ने कहा है (नवंबर 2024) कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों ने दोहरे कनेक्शनों के विरुद्ध दावा की गई राशि के लिए भारत सरकार को क्रमशः ₹10.37 करोड़ एवं ₹0.03 करोड़ के अनुदान भाग की वसूली (उत्तर प्रदेश ने अप्रैल/मई 2024 एवं मध्य प्रदेश ने जून 2024) प्रेषित की है।

अनुशंसा संख्या 11: विद्युत मंत्रालय एक ही अवधि के दौरान क्रियान्वित सभी योजनाओं के अंतर्गत घरेलू विद्युतीकरण के आंकड़ों का समय-समय पर मिलान करने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करे तथा खामियों के लिए जिम्मेदार कर्मियों की उत्तरदेही तय करे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का दावा अन्य समान योजनाओं के अंतर्गत न किया जाए।

6.3.1.3 अनर्ह कार्यों एवं अनर्ह भुगतानों का प्रसंस्करण

"सौभाग्य" दिशा-निर्देशों के अनुसार डिस्कॉम्स को यह सुनिश्चित करना था कि उन्हें प्राप्त निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए उसे जारी किया गया था तथा उसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए विपथित ना किया जाए। तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि जम्मू एवं कश्मीर के जिला प्रभागीय प्राधिकरणों ने ऐसे कार्यों के निष्पादन के कारण सात परियोजनाओं में ₹27.59 करोड़ का व्यय दर्ज किया, जोकि डीपीआर में अनुमोदित नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप योजना के अंतर्गत अनर्ह कार्यों का निष्पादन हुआ। जम्मू एवं कश्मीर में ₹27.59 करोड़ मूल्य के अनर्ह कार्यों के निष्पादन के ऐसे मामलों के विवरण पर ***(अनुलग्नक-7)*** में चर्चा की गई है। संविदाकारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उदाहरण, जैसे काम पूरा किए बिना भुगतान करना एवं एक ही काम के लिए ₹2.24 करोड़ का दोहरा भुगतान भी देखा गया ***(अनुलग्नक-8)*** है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ₹1.01 करोड़ की अप्रयुक्त सामग्री की लागत के परिणामस्वरूप विभिन्न डिस्कॉम्स द्वारा योजना निधि पर निधि/लोडिंग का अवरोधन हुआ ***(अनुलग्नक-9)***

विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि आरईसी द्वारा किसी भी अनियमित व्यय या अयोग्य कार्यों की अनुमति नहीं दी गई और दिशा-निर्देशों के अनुसार दावों की जाँच के बाद आरईसी द्वारा परियोजनाये बंद करने को मंजूरी दी गई।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विद्युत मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि अनियमित व्यय, जैसे **(i)** डीपीआर से विचलन में कार्यों का निष्पादन, **(ii)** कार्य पूरा किए बिना

ठेकेदारों को भुगतान, और **(iii)** अप्रयुक्त सामग्री की लागत की लोडिंग, आदि के बारे में निष्कर्षों का सत्यापन किया जाएगा और अनुपलब्ध अनुलग्नक/दस्तावेज प्रदान किए जाएँगे। विद्युत मंत्रालय ने आगे कहा (नवंबर 2024) कि मिजोरम के संबंध में, 2019 के दौरान कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए गए और चालू किए गए। साइट पर डीटी में सुधार के बाद हैंडओवर और टेकओवर किया गया। अरुणाचल प्रदेश के संबंध में, 2021 और 2023 के बीच हुई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए सामग्री का उपयोग किया गया था। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹0.35 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान पर विचार किया गया है और आवंटन प्राप्त होने पर, इसे विद्युत मंत्रालय की समेकित निधि में जमा कर दिया जाएगा। मणिपुर के संबंध में, ₹0.66 करोड़ की वसूली योग्य राशि 11.07.2024 को भारतकोष के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के खाते में जमा कर दी गई है। विद्युत मंत्रालय का नवीनतम उत्तर (नवंबर 2024) संबंधित अनुलग्नकों में शामिल है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि मिजोरम के संबंध में, ठेकेदार को काम पूरा होने से पहले ही पूरा भुगतान जारी कर दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश के संबंध में, परियोजनाओं के अंतिम समापन के समय पीआईए से अप्रयुक्त सामग्री की लागत वसूल नहीं की गई थी। मणिपुर के संबंध में, अतिरिक्त घरेलू कनेक्शन किट खरीदे गए थे और डिस्कॉम के पास अप्रयुक्त पड़े थे। इस प्रकार, अनियमित व्यय, ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने तथा योजना निधि को अप्रयुक्त सामग्री की लागत से अवरुद्ध/अतिरिक्त कर दिए जाने के मामले लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए, जो कार्यान्वयन में कमियों को दर्शाते हैं।

6.3.2 सौर फोटोवोल्टाइक (एसपीवी) आधारित स्टैंडअलोन प्रणाली के माध्यम से घरेलू विद्युतीकरण का कार्यान्वयन

"सौभाग्य" के अंतर्गत, उन गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए सौर फोटोवोल्टाइक (एसपीवी) आधारित स्टैंडअलोन प्रणाली जारी करने का प्रावधान किया गया था जो दूरदराज एवं दुर्गम ग्रामों/ निवास स्थानों में स्थित थे, जहां ग्रिड विस्तार संभव अथवा लागत प्रभावी नहीं था । 19 राज्यों[132] में अन्वीक्षण समिति (चित्र 6.3) द्वारा कुल 3,75,137 घरों को स्वीकृति दी गई थी जिनमें से 17 राज्यों में इस योजना के अंतर्गत एसपीवी प्रणाली के माध्यम से ₹1,569.97 करोड़ की लागत से मार्च 2021 तक 4,16,469 घरों को वास्तव में विद्युतीकृत किया गया एवं दो राज्यों[133] में कोई कार्य नहीं किया गया था। ***(अनुलग्नक 10)***

---

[132] *अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।*

[133] *पश्चिम बंगाल और पंजाब।*

चित्र 6.3

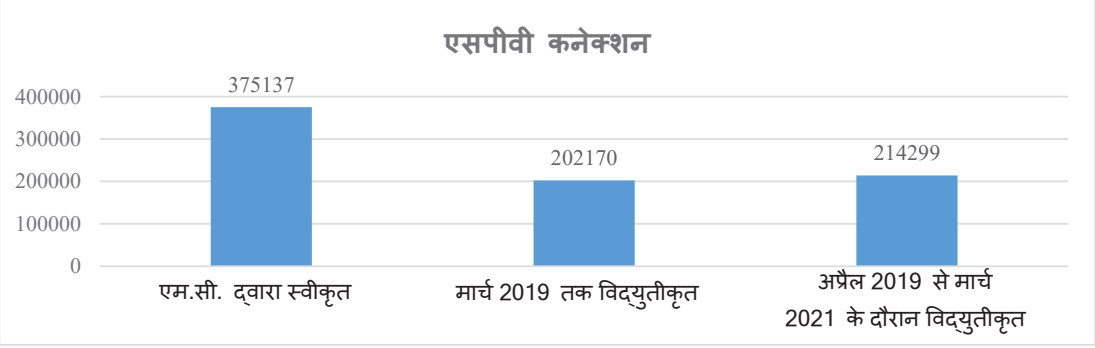

6.3.2.1 स्वीकृत घरों एवं विद्युतीकृत घरों की राज्यवार भिन्नता

"सौभाग्य" दिशा-निर्देशों के अनुसार, सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में गैर-विद्युतीकृत घरों के मामले में, जहाँ ग्रिड संबद्धता संभव नहीं है, 200 से 300 वाट पीक (डब्ल्यूपी) (बैटरी बैंक के साथ) के पावर पैक के साथ अधिकतम पाँच एलईडी लाइट, एक डीसी पंखा, एक डीसी पावर प्लग आदि के साथ पाँच वर्षों के लिए मरम्मत एवं रखरखाव (आरएंडएम) के प्रावधान सहित प्रदान किए जाने थे। एसपीवी के माध्यम से जारी किए जाने वाले विद्युत कनेक्शनों के संबंध में राज्य डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तुत डीपीआर के आधार पर, अन्वीक्षण समिति ने 19 राज्यों में एसपीवी मोड के माध्यम से 3,75,137 विद्युत संयोजन (जून से दिसंबर 2018) स्वीकृत किए जोकि प्रति एसपीवी संयोजन ₹50,000/- की अधिकतम सीमा या वास्तविक लागत जो भी कम हो, के अधीन है।

नौ राज्यों[134] में, अन्वीक्षण समिति ने (जून से दिसंबर 2018 तक) एसपीवी के माध्यम से 1,70,701 घरों को विद्युत प्रदान करने की स्वीकृति दी, जबकि 2,71,214 घरों को वास्तव में विद्युत दी गई, जिसके परिणामस्वरूप इन नौ राज्यों में कुल 1,00,513 अतिरिक्त एसपीवी स्थापित किए गए, जिन्हें एसपीवी की स्थापना से पूर्व अन्वीक्षण समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। असम में यह अंतर सबसे अधिक था, जहां वास्तव में विद्युतीकृत घरों की संख्या (अर्थात 50,754) अन्वीक्षण समिति द्वारा स्वीकृत घरों (अर्थात 6,376) से 44,378 अधिक थी।

इसके अतिरिक्त तीन राज्यों[135] में वास्तव में विद्युतीकृत घरों की संख्या स्वीकृत घरों की संख्या से कम थी । उत्तर प्रदेश में अन्वीक्षण समिति द्वारा स्वीकृत 1,00,000 घरों की तुलना में वास्तव में मात्र 53,234 घरों का विद्युतीकरण किया गया था।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि स्वीकृत कनेक्शनों की तुलना में वास्तव में जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या में व्यापक अंतर है, यह लक्षित घरों के शिथिल मूल्यांकन को दर्शाता है जो कि क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा समर्थित नहीं है।

---

[134] *असम, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा।*

[135] *मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश*

विद्युत मंत्रालय ने कहा है (जून 2022) कि राज्यों द्वारा सुदूर स्थित घरों को एसपीवी प्रदान करने हेतु अनुमान लगाया गया था, परंतु मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मामले में बड़ी संख्या में घरों को ग्रिड मोड के माध्यम से जोड़ा गया इस कारण से एसपीवी के माध्यम से जारी किए गए संयोजन लक्ष्य से कम थे, जबकि उत्तराखंड के मामले में, सभी इच्छुक एवं अर्ह घरों को संयोजन दिए गए । असम के संबंध में, यह कहा गया कि ऑफ-ग्रिड संयोजन उन निवास स्थानों को दिए गए थे जो अपेक्षाकृत सुदूर स्थित थे, अतः प्रशासन एवं डिस्कॉम के पास उपलब्ध गैर-विद्युतीकृत घरों का आंकड़ा अशुद्ध था।

यह तथ्य है कि डीपीआर वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर तैयार नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप राज्यों में घरों की संख्या में व्यापक अंतर आया है।

6.3.2.2 संतृप्ति की समयपूर्व घोषणा

"सौभाग्य" के अंतर्गत, राज्यों को 31 मार्च 2019 तक एसपीवी स्टैंडअलोन प्रणालियों के माध्यम से 3.75 लाख घरों का विद्युतीकरण पूर्ण करना था। निर्धारित समयावधि के भीतर परियोजनाओं का त्वरित एवं सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम्स को एक प्रभावी कार्यान्वयन योजना तैयार करनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन राज्यों[136] में, जहां विद्युत मंत्रालय/अन्वीक्षण समिति से एसपीवी के माध्यम से घरेलू विद्युतीकरण के कार्य हेतु मार्च 2019 से आगे समय विस्तार नहीं मांगा गया, 31 मार्च 2019 को अनाधिकृत रूप से संतृप्ति की घोषणा कर दी गई थी एवं उसके बाद 28,084 घरों का विद्युतीकरण भी किया गया।

विद्युत मंत्रालय ने (नवंबर 2024) कहा है कि एमएसईडीसीएल ने ऑफ-ग्रिड सौर होम लाइट प्रणाली के लिए 13,751 इच्छुक घरों की पहचान की एवं 31 दिसंबर 2019 तक विद्युतीकरण पूरा करने के लिए 07 दिसंबर 2019 को कार्य आदेश जारी किए। ओडिशा में, हालांकि 31 मार्च 2019 से पहले अतिरिक्त घरों की पहचान की गई थी लेकिन ओआरईडीए द्वारा लंबित लेखा-समाधान प्रक्रिया के कारण उन्हें पहले प्रस्तावित/रिपोर्ट नहीं किया जा सका। मेघालय के लिए, एसपीवी (डीडीजी) के माध्यम से "'सौभाग्य" के अंतर्गत 428 नग सुदूर स्थित घरों के विद्युतीकरण के लिए एलओए 8 मार्च 2019 को जारी किया गया एवं बाद में 19 सितंबर 2019 को इसे संशोधित कर 598 नग कर दिया गया।

6.3.2.3 एसपीवी मोड के माध्यम से अर्ह घरों का कवरेज न होना

झारखंड में डिस्कॉम (झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने ऑफ-ग्रिड (एसपीवी) मोड के माध्यम से घरेलू विद्युत संयोजन जारी करने के लिए झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (जेआरईडीए) को 475 ग्रामों /टोलों की सूची प्रदान

[136] ***महाराष्ट्र-13,751, मेघालय-598 और ओडिशा-13,735***

की। लेखापरीक्षा नें पाया कि उक्त 475 ग्रामों/ टोलों में से 190 को कठिन क्षेत्रों / पहाड़ियों, घने जंगल इत्यादी के कारण विद्युतीकरण के लिए विचार भी नहीं गया था, जिससे सुदूर के क्षेत्रों में घरों के लिए अंतिम मील संबद्धता का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ था। इस तथ्य की पुष्टि क्षेत्र सर्वेक्षण में भी हुई जहां ऐसे ग्रामों/टोले के मुखिया[137] ने 506 घरों वाले 10 ग्रामों/ टोलों की सूची प्रदान की, जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान विद्युत मंत्रालय ने कहा है (अगस्त 2022) कि झारखंड में अर्ह घरों को सौर फोटोवोल्टाइक (एसपीवी) उपलब्ध न कराने के संबंध में लेखापरीक्षा अभियुक्ति को नोट किया गया था। आरईसी ने सूचित किया कि ऐसे मामलों के लिए, राज्य परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों पर भरोसा किया गया था क्योंकि उनके पास जमीनी स्तर पर पहुंच उपलब्ध है।

विद्युत मंत्रालय ने आगे उत्तर दिया है (नवंबर 2024) कि जेआरईडीए द्वारा डीडीयूजीजेवाई-डीडीजी (ऑफ-ग्रिड) योजना के अंतर्गत 190 में से 178 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। गढ़वा जिले के शेष 12 ग्राम जो पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों एवं कठिन भौगोलिक भूभाग पर स्थित हैं प्रवासी जनजातियों द्वारा बनाए गए हैं। परिवहन का उपयुक्त साधन मिलने के बाद ही उन ग्रामों/टोलों में विद्युत संयोजन संभव है।

विद्युत मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के सापेक्ष देखा जा सकता है कि प्रस्तावित 11,851 घरों में से मात्र 7,740 घरों को ही एसपीवी प्रणाली के माध्यम से विद्युत प्रदान की गई है एवं 10 ग्रामों में सर्वेक्षण के दौरान भी इन तथ्यों की पुष्टि हुई है, जहां ग्राम प्रधानों ने यह घोषणा की है कि उनके ग्रामों में 506 घरों में विद्युत नहीं है।

6.3.2.4 ऑफ-ग्रिड (एसपीवी) मोड के माध्यम से घरेलू विद्युतीकरण के कार्यान्वयन पर टिप्पणियां - अनुबंध कार्य

(i) घरेलू विद्युतीकरण के लिए एसपीवी प्रणालियों की आपूर्ति में विलंब

"सौभाग्य" दिशा-निर्देशों में प्रदान की गई समय-सीमा के अनुसार, अनुबंध दिसंबर 2017 तक प्रदान एवं मार्च 2019 तक पूरे किए जाने थे । लेखापरीक्षा ने यह पाया कि जिन 17 राज्यों[138] में से तीन राज्यों[139] में जहां एसपीवी के माध्यम से विद्युतीकरण का कार्य निष्पादित किया गया था, उनमें से पांच डिस्कॉमों[140] के द्वारा घरेलू विद्युतीकरण के लिए एसपीवी प्रणालियों की आपूर्ति के लिए परियोजनाओं के प्रदान करने की निर्धारित

---

[137] *हज़ारीबाग के अंतर्गत चौपारण ब्लॉक के ताजपुर पंचायत के अंतर्गत 116 घरों और चतरा के अंतर्गत प्रतापपुर ब्लॉक के योगियारा पंचायत के अंतर्गत 390 घरों।*

[138] *अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश।*

[139] *राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र*

[140] *झारखंड-जेआरईडीए-276 दिन, राजस्थान-जेवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल, एवीवीएनएल- 248 से 681 दिन, महाराष्ट्र- एमईडीए- 248 दिन।*

तिथि से 248 से 681 दिनों (चित्र 6.4) के मध्य विलम्ब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप इन राज्यों में घरों के वास्तविक विद्युतीकरण में मार्च 2021 तक विलम्ब हुआ। विभिन्न राज्यों में विलंब के कारण नए गैर-विद्युतीकृत घरों के पहचान में विलम्ब, डिस्कॉम द्वारा समय-समय पर निविदा के नियमों एवं शर्तों में परिवर्तन, बोलियों को आमंत्रित करने वाले नोटिस को रद्द करना, डिस्कॉमों के मध्य खराब समन्वय, अन्वीक्षण समिति द्वारा अनुमोदन के लिए लिया गया समय, आरईसी द्वारा टुकड़ों में वित्तीय संस्वीकृति आदि थे।

चित्र 6.4

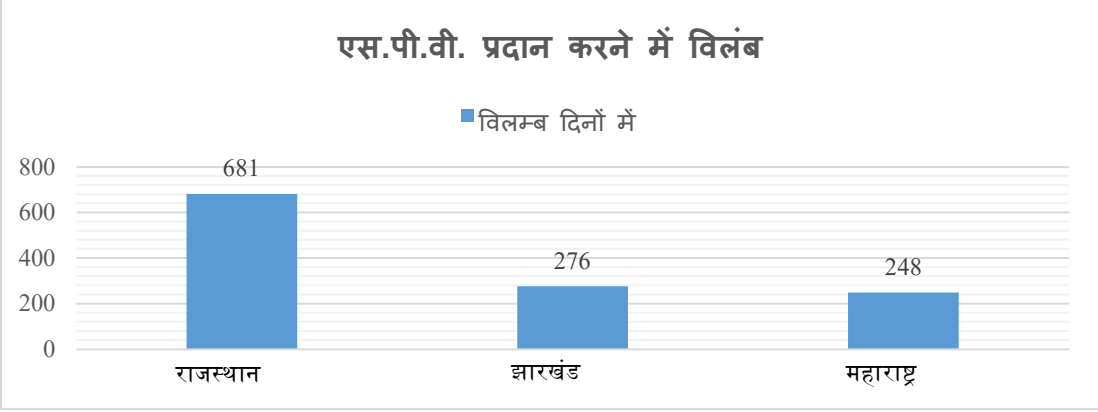

विद्युत मंत्रालय ने कहा है (जून 2022) कि राजस्थान की डिस्कॉम ने सितंबर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य ऑफ-ग्रिड विद्युतीकरण के लिए कार्य प्रदान किया। इसमें कहा गया कि झारखंड के संबंध में, कार्य 17 जनवरी 2019 को एकमुश्त आधार पर दिया गया एवं महाराष्ट्र की डिस्कॉम ने 07 दिसंबर 2019 को कार्य आदेश जारी किया था।

उत्तर लेखापरीक्षा की इस टिप्पणी को पुष्ट करता है कि ऑफ-ग्रिड एसपीवी संयोजन का कार्य इन राज्यों द्वारा काफी विलंब के पश्चात शुरू किया गया था।

(ii) निविदा दस्तावेजों/कार्य-आवंटन पत्रों में पांच वर्षों तक एसपीवी के रखरखाव की शर्त को सम्मिलित न करना

"सौभाग्य" दिशा-निर्देशों में निर्धारित किया गया है कि एसपीवी की आपूर्ति/स्थापना के लिए अनुबंध में उपकरण की स्थापना की तिथि से पांच वर्षों के लिए मरम्मत एवं रखरखाव (आरएंडएम) सम्मिलित होना चाहिए।

हालांकि, मध्य प्रदेश में दो डिस्कॉम्स मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमपीपीओकेवीवीसीएल) एवं मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमपीएमकेवीवीसीएल) ने क्रमशः रतलाम एवं रायसेन जिलों में ऑफ ग्रिड कनेक्शनों के संबंध में मात्र 18 महीने तक के रखरखाव का प्रावधान किया है। इस प्रकार, इन दोनों जिलों में एसपीवी प्रणालियों के 18 महीने से अधिक रखरखाव तंत्र के

अस्तित्व में न होने के कारण, पांच वर्ष तक मरम्मत एवं रखरखाव के प्रावधान सहित अंतिम मील संबद्धता प्रदान करने के लिए योजना दिशा-निर्देश का प्रावधान सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इसके अलावा, आरईसी द्वारा नियुक्त आरईसी गुणवत्ता मॉनिटर की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश में दो डिस्कॉम्स[141] द्वारा प्रदान की गई आठ परियोजनाओं के 11 ग्रामों में 1,203 एसपीवी प्रणालियों में से 266 मरम्मत के अभाव में निष्क्रिय पाई गई। इसके अलावा, डिस्कॉम द्वारा बैतूल परियोजना में प्रदान की गई 587 एसपीवी में से 90 को भी आरईसी गुणवत्ता मॉनिटर ने बैटरी समस्या के कारण क्रियाशील नहीं पाया गया।

विद्युत मंत्रालय ने कहा है (जून 2022/नवंबर 2024) कि कार्य जारी होने के पश्चात, संबंधित संविदाकार /कार्यकारी अभिकरणों से कुल 5 वर्ष की अवधि के लिए एसपीवी के वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ के कार्य प्राप्ति की सहमति/स्वीकृति ली गई थी। एमपीपीओकेवीवीसीएल एवं एमपीएमकेवीवीसीएल ने यह प्रमाणित किया है कि आरक्यूएम द्वारा पाई गई सभी कमियों को ठीक कर लिया गया है ।

(iii) संविदाकारों द्वारा एसपीवी का चालू न होना/रख रखाव न किया जाना

अरुणाचल प्रदेश में डिस्कॉम्स ने पांच वर्ष की वारंटी अवधि के साथ ₹21.86 करोड़ की लागत से 5,398 एसपीवी प्रणाली का प्रापण किया, जिसमें से वारंटी अवधि के दौरान चार जिलों[142] में दोषपूर्ण इनवर्टर के 154 मामले सामने आए। लेखापरीक्षा ने पाया कि वारंटी के अंतर्गत दावा करने के स्थान पर डिस्कॉम ने अपने नियमित वार्षिक रखरखाव संविदाकार को मरम्मत कार्य प्रदान किया।

अरुणाचल प्रदेश विद्युत विकास अभिकरण (एपीडा) ने कहा (दिसंबर 2021) कि वार्षिक रखरखाव संविदाकार की अनुशंसा आरईसी विद्युत विकास एवं परामर्श लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) द्वारा की गई थी एवं उन्होंने पाए गए दोषों को ठीक करने के लिए आरईसीपीडीसीएल को लिखा था लेकिन आपूर्तिकर्ता ने आवश्यक मरम्मत/ प्रतिस्थापन करने से मना कर दिया।

विद्युत मंत्रालय ने कहा है (जून 2022/नवंबर 2024) कि एपीडा ने "सौभाग्य" योजना के अंतर्गत मात्र एसपीवी प्रणाली की स्थापना का कार्य किया है। इसलिए, एपीडा ने फरवरी 2020 में मेसर्स भारतीय विद्युत प्रणाली (आईपीएस), नई दिल्ली के साथ वार्षिक रखरखाव अनुबंध करार किया गया है।

---

[141] *एमपीएमकेवीवीसीएल-90 और एमपीपीओकेवीवीसीएल-176.*

[142] *पूर्वी कामेंग जिला (124 संख्या), अंजॉ जिला (26 संख्या), लोहित जिला (3 संख्या) और पश्चिम सियांग जिला (1 संख्या)।*

विद्युत मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के सापेक्ष देखा जा सकता है कि चार्ज कंट्रोलर/ वितरण बोर्ड/प्लग पॉइंट आदि सहित विद्युत वस्तुओं में न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए दोषों को भी विनिर्माण दोषों के अतिरिक्त वारंटी खंड में सम्मिलित किया जाना था। एपीडा ने यह सुनिश्चित नहीं किया है कि दोषों की मरम्मत की जाए या एसपीवी को नियमों एवं शर्तों के अनुसार वारंटी अवधि के भीतर बदल दिया जाए। इसके अलावा, दोषों के सुधार के लिए पत्राचार के संबंध में साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए ।

6.4 सारांश

विद्युत मंत्रालय ने "सौभाग्य" योजना के कार्यान्वयन से पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया । डिस्कॉम्स को विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर डीपीआर तैयार करना था जिसके लिए ऐसे क्षेत्र सर्वेक्षण करने एवं डीपीआर तैयार करने में उचित समय लगाना अपेक्षित था। डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए डिस्कॉम्स को एक माह से भी कम समय प्रदान किया गया था। डिस्कॉम्स ने 71 से 418 दिनों के मध्य के विलंब के साथ डीपीआर प्रस्तुत किए ।

संतृप्ति की घोषणा के पश्चात 7 राज्यों में 19.10 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया। डीडीयूजीजेवाई के साथ-साथ "सौभाग्य" में दो राज्यों में 16,728 घरों को संयोजन जारी किए गए, जिसके कारण संविदाकार द्वारा एक ही काम का दोहरा दावा किया गया। झारखंड में 190 ग्रामों में अर्ह घरों को एसपीवी प्रणाली प्रदान नहीं की गई थी जिससे सुदूर क्षेत्रों में घरों को अंतिम मील संबद्धता का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका। इसके अलावा, मध्य प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश में आरक्यूएमएस को दौरे के दौरान आपूर्ति अनुबंध में रखरखाव खंड के अभाव में संविदाकार/आपूर्तिकर्ता द्वारा रखरखाव की कमी के कारण कई स्थानों पर निष्क्रिय परिस्थितियों में एसवीपी पाए गए।

अध्याय 7: "सौभाग्य" के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन

"सौभाग्य" के निधि संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुसार, आरईसी द्वारा डिस्कॉम्स को पूंजीगत अनुदान जारी करने का प्रतिमान तालिका 7.1 में दिया गया है।

तालिका 7.1
डिस्कॉम्स को पूंजीगत अनुदान जारी करने का प्रतिमान

क्रम सं.	जारी करने की शर्त	भारत सरकार के अनुदान घटक को जारी करना (*प्रतिशत* में)
1	निम्नलिखित की प्राप्ति पर जारी किए गए तदर्थ अग्रिम, यदि कोई हो, के उचित समायोजन के बाद अर्ह अनुदान घटक (प्रथम किश्त) का 30 *प्रतिशत* जारी किया जाएगा: (i) अन्वीक्षण समिति द्वारा परियोजनाओं का अनुमोदन (ii) राज्यों द्वारा स्वीकृति प्रस्तुत करना (iii) डिस्कॉम्स द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए लैटर ऑफ अवार्ड (एलओए) का स्थानन	30
2	स्वीकृत घरों के 20/40/60/80/100 *प्रतिशत* के लक्ष्य को प्राप्त करने पर प्रति घर अनुदान के आधार पर भारत सरकार के अनुदान का 60 *प्रतिशत* (पांच किश्तों में से प्रत्येक में 12 *प्रतिशत*-किस्त संख्या दूसरी से छठी) का प्रगतिशील भुगतान।	60
3	"सौभाग्य" दिशा-निर्देशों में परिभाषित कार्य पूरा होने के बाद शेष अर्ह अनुदान जारी करना (7वीं किश्त)	10
	कुल	**100**

आरईसी को अर्ह डिस्कॉम्स से अनुरोध प्राप्ति होने पर तालिका 7.1 के अनुसार तदर्थ अग्रिम एवं अनुदान जारी करना आवश्यक है।

7.1 अतिरिक्त बजटीय उधार के माध्यम से अतिरिक्त राशि जुटाना

आरईसी ने अतिरिक्त बजटीय उधार के माध्यम से (मार्च 2020) ₹500 करोड़ जुटाए, जिसमें से वह मार्च 2021 तक मात्र ₹95.65 करोड़ खर्च कर सका एवं ₹404.35 करोड़ (80.87 *प्रतिशत*) अप्रयुक्त रह गए क्योंकि निधियां आकलन किए एवं डिस्कॉम्स को निधियां जारी करने की औपचारिकताएं पूरी किए बिना जुटाई गई थीं। इसके अलावा, आरईसी द्वारा ₹500 करोड़ की यह राशि तब जुटाई गई जब उसके पास पहले से ही ₹352.32 करोड़ की राशि पड़ी हुई थी (तालिका 7.2)। इससे पता चलता है कि

डिस्कॉम्स को संवितरण के लिए निधियों की आवश्यकता का आरईसी द्वारा पर्याप्त रूप से आकलन नहीं किया गया था। ₹404.35 करोड़ पर 7.20 *प्रतिशत* की दर से ब्याज देय था, जबकि बचत बैंक खाते में पड़ी इस राशि पर 3.25 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष ब्याज मिलता था परिणामस्वरूप ईबीआर के माध्यम से जुटाई गई अप्रयुक्त निधियों पर उच्च दरों पर ब्याज का भुगतान करने के कारण विद्युत मंत्रालय पर ₹15.97 करोड़[143] का अनावश्यक ब्याज भार पड़ा।

तालिका 7.2

व्यय न किए गए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का विवरण दर्शाने संबंधी विवरण।

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	
(i)	आरईसी द्वारा 2017-18 एवं 2019-20 के मध्य विद्युत मंत्रालय से मांगी गई राशि	₹5,623.32 करोड़	
(ii)	2017-18 एवं 2019-20 के मध्य विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राशि (iii +iv)	₹6,220.23 करोड़	
(iii)	2017-2019[144] के मध्य बजटीय सहायता	₹4,520.23 करोड़	
(iv)	आरईसी द्वारा बॉन्डों के माध्यम से जुटाई गई राशि (अतिरिक्त बजटीय संसाधन)	मार्च 2019 में आरईसी द्वारा बॉन्डों (ईबीआर) के माध्यम से जुटाई गई राशि	₹1,200 करोड़
		मार्च 2020 में आरईसी द्वारा बॉन्डों (ईबीआर) के माध्यम से जुटाई गई राशि	₹500 करोड़
(v)	मार्च 2020 तक आरईसी द्वारा डिस्कॉम्स को संवितरित राशि	₹5,367.91 करोड़	
(vi)	मार्च 2020 तक आरईसी द्वारा अव्ययित राशि	₹852.32 करोड़ (₹352.32 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि के बावजूद मार्च 2020 में आरईसी द्वारा ईबीआर के माध्यम से जुटाए गए ₹500 करोड़ सहित)	
(vii)	आगामी वर्ष 2020-21 में व्यय की गई राशि	₹447.97 करोड़	
(viii)	मार्च 2021 तक अव्ययित राशि(vi-vii)	₹404.35 करोड़	

विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022/ नवंबर 2024) कि विद्युत मंत्रालय द्वारा ₹1,200 करोड़ की ईबीआर राशि संस्वीकृत की गई थी। चूंकि इस योजना का मार्च 2020 तक

[143] ***₹15.97 करोड़ = ब्याज का भुगतान: ₹404.35 करोड़ x 7.20/100 = ₹29.11 करोड़ - ब्याज प्राप्त: ₹404.35 करोड़ x 3.25/100 = ₹13.14 करोड़***

[144] ***"सौभाग्य" दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के तहत यदि कोई स्पिलओवर कार्य है, तो उसे 2021-22 तक जारी रखना था। हालांकि, विद्युत मंत्रालय ने अपने नियमित बजट से 31 मार्च 2019 से आगे की अवधि के लिए कोई बजटीय सहायता आवंटित नहीं की। विद्युत मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से स्वीकृति लेने के बाद आरईसी को ईबीआर के माध्यम से धन जुटाने का निर्देश दिया था।***

समापन करना था, इसलिए ईबीआर के माध्यम से पुनः ₹500 करोड़ की व्यवस्था की गई। हालांकि, कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के अचानक एवं भारी प्रभाव के कारण, राज्यों को समापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समय विस्तार दिया गया था। "सौभाग्य" के लिए बजट में कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई गई एवं अतिरिक्त निधि की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। तदनुसार, आवंटित बजट 2019-20 के प्रति ईबीआर के माध्यम से निधि जुटाई गई थी। इस प्रकार, आरईसी ने उचित परिश्रम के पश्चात निधि आवश्यकताओं को मंत्रालय को प्रस्तुत किया ।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विद्युत मंत्रालय ने (अगस्त 2022) आरईसी को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि ईबीआर जुटाने से पूर्व उचित परिश्रम किया जाए एवं विद्युत मंत्रालय से निधि जारी करने की मांग तभी की जाए जब जारी करने संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं।

"सौभाग्य" दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के सापेक्ष देखा जा सकता है कि आरईसी को विद्युत मंत्रालय को उपयोगिताओं हेतु आगे निधियाँ जारी करने के लिए प्रस्ताव तब प्रस्तुत करना था जब उपयोगिताओं हेतु निधियां जारी करने संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं जिससे आरईसी द्वारा निधि की प्राप्ति एवं आरईसी द्वारा डिस्कॉम्स को जारी करने के मध्य न्यूनतम अंतर सुनिश्चित किया जा सके। आरईसी द्वारा विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अनुसार, मार्च 2020 के अंत में आरईसी के पास ₹852.32 करोड़ उपलब्ध थे (ईबीआर ₹500 करोड़ सहित) जिसमें से वर्ष 2020-21 के दौरान मात्र ₹447.97 करोड़ का संवितरण किया जा सका एवं पूरे वर्ष के लिए ₹404.35 करोड़ अप्रयुक्त रहे, जो यह दर्शाता है कि ईबीआर जुटानें से पूर्व आरईसी ने डिस्कॉम्स से प्राप्त मांगों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत समापन के आधार पर संवितरित की जाने वाली निधियों की आवश्यकता का आकलन नहीं किया।

अनुशंसा संख्या 12: विद्युत मंत्रालय/ आरईसी एक तंत्र विकसित करे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईबीआर के माध्यम से निधियां, निधियां जारी करने के तौर-तरीके के कठोरता के साथ पालन होने के पश्चात निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार जुटाई जाए।

7.2 "सौभाग्य" के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन अभिकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति में विसंगतियां

7.2.1 "सौभाग्य" दिशा-निर्देशों में *अन्य बातों के साथ-साथ* यह प्रदान किया गया है कि, "यदि किसी राज्य को परियोजना प्रबंधन अभिकरणों (पीएमए) की सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो पीएमए की नियुक्ति की लागत को डीपीआर में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

राज्यों द्वारा प्रस्तुत सभी डीपीआर पीएमए प्रभार के बिना थे एवं उन्हें आरईसी की अनुशंसाओं पर अन्वीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। चूंकि राज्य "सौभाग्य" के कार्यान्वयन के लिए पीएमए की अनुमति देने का अनुरोध कर रहे थे इसलिए विद्युत मंत्रालय ने (मार्च 2019) आरईसी को निर्देश जारी किए कि राज्य द्वारा किए गए सत्यापन अर्ह व्यय के साथ विधिवत पुष्टि किए गए प्रस्तावों पर विचार किया जाए एवं आरईसी की अनुशंसाओं के साथ अन्वीक्षण समिति को प्रस्तुत किया जाए।

तदनुसार, राज्यों[145] ने (मार्च 2019) "सौभाग्य" के अंतर्गत पीएमए प्रभार (₹419.71 करोड़) के अनुमोदन हेतु अनुरोध किया। अन्वीक्षण समिति द्वारा (मार्च 2020) अनुरोध स्वीकार किया गया एवं डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों के अनुरूप परियोजना लागत के 0.5 *प्रतिशत* की दर से पीएमए प्रभार का अनुमोदन दिया गया। इसके अलावा, 20 नवंबर 2020 को आयोजित 8वीं बैठक में अन्वीक्षण समिति द्वारा 100 *प्रतिशत* अनुदान के रूप में कुल संस्वीकृत लागत अथवा निष्पादित लागत के 0.5 *प्रतिशत* की दर से पीएमए प्रभार को अनुमोदन दिया गया। हालांकि, उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों ने कहा (मार्च 2020) कि उन्होंने परियोजना लागत के 0.5 *प्रतिशत* से अधिक पीएमए प्रभार व्यय किया था एवं उत्तर प्रदेश ने डीपीआर तैयार करने, "सौभाग्य" के सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की अन्वीक्षण हेतु प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्र में जनशक्ति की तैनाती के लिए पीएमए प्रभार के रूप में ₹238.50 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति का अनुरोध किया था। तदनुसार, अन्वीक्षण समिति ने 30 मार्च 2021 की 9वीं बैठक में "सौभाग्य" के अंतर्गत 100 *प्रतिशत* अनुदान के रूप में परियोजना लागत का 5 *प्रतिशत* या पीएमए प्रभार के वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, पीएमए प्रभार को अनुमोदन प्रदान किया।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 25 में से 14[146] राज्यों में, पीएमए को योजना के अंतर्गत परियोजनाओं/ कार्य निष्पादन के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया था जिसके प्रति स्वीकृत अंतिम समापन रिपोर्ट के अनुसार पीएमए प्रभार के रूप में ₹187.66 करोड़ जारी किए गए। हालांकि, 23.31 लाख घरों का विद्युतीकरण करने वाले 11 राज्यों[147] ने "सौभाग्य" के कार्यान्वयन के दौरान पीएमए की नियुक्ति नहीं की। छह राज्यों[148] हेतु जिन्होंने 65.38 लाख घरों का विद्युतीकरण किया, पीएमए प्रभार की प्रतिपूर्ति अंतिम परियोजना के समापन होने की लागत के प्रति 0.5 *प्रतिशत* (₹9.79 करोड़) की सीमा के भीतर थी, अर्थात ₹3,044.68 करोड़, जबकि, अन्य आठ राज्यों ***(अनुलग्नक 11)*** के

---

[145] ***असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश।***

[146] ***असम, बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।***

[147] ***अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।***

[148] ***बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और ओडिशा।***

लिए, जिन्होंने 85.67 लाख घरों का विद्युतीकरण किया, ₹177.87 करोड़ का पीएमए प्रभार ₹4,353.59 करोड़ की परियोजना लागत के 0.85 *प्रतिशत* एवं 5.43 *प्रतिशत* के मध्य था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं असम को अनुमत पीएमए प्रभार परियोजना लागत (₹4,149.62 करोड़) के क्रमशः 5.43 *प्रतिशत*, 1.70 *प्रतिशत* एवं 1.76 *प्रतिशत* की सीमा तक थे।

विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि उत्तर प्रदेश को ₹150.58 करोड़ तक पीएमए प्रभार की अनुमति दी गई थी।

विद्युत मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के सापेक्ष देखा जा सकता है कि परियोजना लागत ₹2,773.38 करोड़ के प्रति उत्तर प्रदेश को 5.43 *प्रतिशत* की दर से ₹150.58 करोड़ का पीएमए प्रभार मानदंडों से अधिक था।

7.2.2 परियोजना प्रबंधन के अतर्गत डिस्कॉम्स द्वारा की गई अनर्ह गतिविधियों के लिए पीएमए प्रभार पर अनियमित व्यय

लेखापरीक्षा में पाए गए ₹46.66 करोड़ की राशि के 14 राज्यों[149] में से दो राज्यों में परियोजना प्रबंधन अभिकरणों पर किए गए व्यय में विसंगतियों के महत्वपूर्ण मामलों पर तालिका 7.3 में चर्चा की गई है।

तालिका 7.3
पीएमए पर किए गए व्यय में विसंगतियों को दर्शाने संबंधी विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
1	**मिजोरम**	पीआईए (मिजोरम विद्युत विभाग) ने समझौते[150] की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही पीएमए प्रभार की पूरी राशि ₹0.39 करोड़ जारी कर दी, जिसके परिणामस्वरूप पीएमए को अनुचित लाभ हुआ। विद्युत मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2024) कि अन्य योजनाओं की परियोजना प्रबंधन अभिकरणों को भविष्य में किए जाने वाले भुगतान में उचित सावधानी बरती जाएगी।

[149] *असम, बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।*

[150] *नियुक्ति में भुगतान शर्तों के अनुसार, (क) अनुबंध मूल्य का 25 प्रतिशत पावती और सुरक्षा जमा प्राप्त होने के बाद जारी किया जाएगा, (ख) शेष 50 प्रतिशत नियुक्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर जारी किया जाएगा और (ग) शेष 25 प्रतिशत कार्य के भौतिक रूप से पूरा होने के दो महीने के भीतर जारी किया जाएगा।*

क्रम सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
2	**उत्तर प्रदेश**	चार डिस्कॉम्स नें तैनात (फरवरी-अप्रैल 2018) जनशक्ति को डीपीआर तैयार करने, परियोजना प्रबंधन अभिकरण की नियुक्ति के लिए जारी की गई निधियों के प्रति ₹73.47 करोड़ की लागत से विभिन्न संविदाकारों द्वारा अनुबंध प्रदान करने एवं परियोजना के अन्वीक्षण के लिए आपूर्ति की। समझौतों को बाद में (दिसंबर 2018 से फरवरी 2019) इस स्पष्टीकरण के साथ समाप्त कर दिया गया कि परामर्श में धन की उपलब्धता कम थी क्योंकि भुगतान पीएमए एवं संचार जैसे अन्य शीर्षों में किया जाना था। हालांकि, डिस्कॉम्स ने परियोजना प्रबंधन अभिकरण प्रभार के लिए आवंटित बजट से संविदाकारों को पहले ही ₹46.27 करोड़ का भुगतान कर दिया था। विद्युत मंत्रालय ने कहा है (जून 2022/नवंबर 2024) कि आकस्मिकता निधि के अंतर्गत पीएमए प्रभार ₹219.34 करोड़ था, हालांकि, आरईसी ने केवल ₹150.58 करोड़ का पीएमए प्रभार स्वीकार किया एवं शेष ₹68.76 करोड़ (पीएमए: ₹22.89 करोड़ + जनशक्ति अभिकरण: ₹45.87 करोड़) का भुगतान डिस्कॉम्स द्वारा अपनी आंतरिक निधियों से किया गया।

7.3 डिस्कॉम्स द्वारा "सौभाग्य" निधि का अस्थायी विपथन

"सौभाग्य" दिशा-निर्देशों के अनुसार डिस्कॉम्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जारी की गई निधियों का उपयोग जारी किए जाने के इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाए एवं इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए विपथन नहीं किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा नें पाया कि चार राज्यों की आठ डिस्कॉम ने ₹507.18 करोड़ की धनराशि/सामग्री को अन्य कार्यों/योजनाओं में विपथन किया गया, जैसा कि तालिका 7.4 में चर्चा की गई है।

तालिका 7.4
निधियों के अस्थायी विपथन का विवरण

राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभियुक्तियां
असम	डिस्कॉम[151] नें 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2018 के दौरान डीडीयूजीजेवाई/ आरजीजीवीवाई/डीडीजी योजनाओं के अंतर्गत सामग्री के प्रापण हेतु "सौभाग्य" निधि से विभिन्न किश्तों में ₹61.55 करोड़ जारी किए।
जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख सहित	डिस्कॉम (जेकेपीडीसीएल) ने जम्मू एवं कश्मीर की 5 परियोजनाओं/ जिलों में "सौभाग्य" के कार्यान्वयन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए ₹18.60 करोड़ की अप्रयुक्त सामग्री का विपथन किया।
मध्य प्रदेश	तीन डिस्कॉम्स[152] ने "सौभाग्य" के लिए बैंक खाते से निधि को अपने बैंक खातों में स्थानांतरित कर लिया एवं इसका उपयोग ₹226.96 करोड़ मूल्य की सामग्री के प्रापण के लिए किया, जिसका उपयोग '"सौभाग्य" के अंतर्गत नहीं किया गया था।
उत्तर प्रदेश	तीन डिस्कॉम्स[153] ने "सौभाग्य" योजना के ₹200.07 करोड़ डीडीयूजीजेवाई/ आरजीजीवीवाई के अंतर्गत प्रापण की गई सामग्री के भुगतान हेतु विपथन कर दिए।

तथ्यों को स्वीकारते हुए, विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि डिस्कॉम्स द्वारा निधियों का उपयोग अस्थायी रूप से भारत सरकार के अंतर्गत विशेष रूप से केंद्रीय क्षेत्र की वित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की प्राप्ति के लिए समय अंतराल को पूरा करने के लिए किया गया था एवं बाद में इन्हें नियमित कर दिया गया। निधियों का यह विपथन मुख्य रूप से योजना के अंतर्गत जारी की गई निधि का इष्टतम उपयोग करने एवं अप्रयुक्त शेष को कम करने के लिए भौतिक कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए किया गया था।

7.4 सारांश

विद्युत मंत्रालय ने 2018-19 के दौरान आवश्यकता से अधिक निधियों को जारी किया जबकि बाद की अवधि में आरईसी को उसके पास पहले से उपलब्ध निधियों का उपयोग किए बिना ईबीआर के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति दी। आरईसी ने निधियों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन नहीं किया, जिसके कारण पूरे वर्ष 2020-21 के दौरान ₹404.35 करोड़ गैर-संवितरित रहे एवं ₹15.97 करोड़ का परिहार्य ब्याज भार

[151] *असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड।*
[152] *मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड; मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड।*
[153] *मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड; दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।*

हुआ। इसी प्रकार की अन्य योजनाओं में परियोजना लागत के 0.5 *प्रतिशत* की दर से पीएमए प्रभार की प्रतिपूर्ति की सीमा के विरूद्ध अन्वीक्षण समिति ने बिना किसी विस्तृत विश्लेषण के तीन राज्यों को पीएमए प्रभार की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी, जोकि परियोजना लागत के क्रमशः 5.43 *प्रतिशत*, 1.70 *प्रतिशत* एवं 1.76 *प्रतिशत* की सीमा तक थी। पीएमए की नियुक्ति के अतिरिक्त, उद्देश्यों के लिए राज्य डिस्कॉम्स द्वारा पीएमए निधि को व्यय करने के उदाहरण थे। इसके अलावा चार राज्यों की डिस्कॉम्स ने अन्य योजनाओं के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु "सौभाग्य" निधि को अस्थायी रूप से स्थानांतरित एवं उपयोग किया।

अध्याय 8: "सौभाग्य" के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन एवं निगरानी तंत्र

"सौभाग्य" दिशा-निर्देशों में आरईसी गुणवत्ता मॉनिटर (आरक्यूएम) के माध्यम से आरईसी के स्तर पर डिस्कॉम एवं तृतीय-पक्ष गुणवत्ता अन्वीक्षण के स्तर पर संस्थागत गुणवत्ता अन्वीक्षण की परिकल्पना की गई थी, जिन्हें "'सौभाग्य" दिशा-निर्देशों के अनुपालन एवं अन्वीक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन का निरीक्षण करना था।

8.1 अप्रभावी/दोषपूर्ण गुणवत्ता आश्वासन तंत्र

"सौभाग्य" परियोजनाओं में डिस्कॉम्स के बाद इन-हाउस प्रक्रिया गुणवत्ता जांच के अलावा एक एकल स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन तंत्र (क्यूएएम) होना था। "सौभाग्य" कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु डिस्कॉम्स पूर्ण रूप से जिम्मेदार एवं उत्तरदायी थे। डिस्कॉम्स को गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना कार्यों के उद्देश्य से योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए एक विस्तृत व्यापक गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) योजना तैयार करनी थी। क्यूए एवं निरीक्षण योजना एकमुश्त/आंशिक एकमुश्त/या कार्यों के विभागीय निष्पादन के मामले में, एकमुश्त संविदाकार या उपकरण आपूर्तिकर्ता एवं निर्माण अभिकरण, के साथ अनुबंध समझौते का अभिन्न अंग होना था। डिस्कॉम को यह सुनिश्चित करना था कि साइट पर आपूर्ति की गई सामग्रियों/उपकरणों की गुणवत्ता एवं योजना के अंतर्गत क्षेत्र में किए गए कार्यों का निष्पादन क्रमशः विनिर्माण गुणवत्ता योजना (एमक्यूपी)/गारंटीकृत तकनीकी विवरण (जीटीपी) एवं क्षेत्र गुणवत्ता योजना (एफक्यूपी)/अनुमोदित ड्राइंग/डेटा शीट के अनुसार था।

प्रत्येक स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन में देखी गई अपर्याप्तताओं पर तालिका 8.1 में चर्चा की गई है।

तालिका 8.1

गुणवत्ता आश्वासन में देखी गईं अपर्याप्तताएं

अन्वीक्षण का स्तर	विवरण
डिस्कॉम	उपरोक्त पैरा 8.1 में उल्लिखित डिस्कॉम द्वारा "सौभाग्य" कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता के प्रति डिस्कॉम द्वारा गुणवत्ता जांच में निम्नलिखित कमियाँ देखी गईं: (a) "सौभाग्य" के गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) दिशा-निर्देशों के अनुसार 24 राज्यों में से 11 राज्यों[154] के सभी 15 डिस्कॉम्स द्वारा सभी सामग्रियों का पूर्व-प्रेषण निरीक्षण नहीं किया गया था।

[154] *अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम और त्रिपुरा।*

अन्वीक्षण का स्तर	विवरण
	(b) "सौभाग्य" के गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के अनुसार 24 राज्यों में से 10 राज्यों[155] में सभी 12 डिस्कॉम्स द्वारा जारी किए गए घरेलू संयोजनों का 100 *प्रतिशत* सत्यापन नहीं किया गया था। विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022/नवंबर 2024) कि परियोजना क्षेत्रों में सामग्री के पूर्व-प्रेषण निरीक्षण एवं विभिन्न वस्तुओं/उपकरणों के क्षेत्र निरीक्षण का सत्यापन प्रथम स्तरीय अन्वीक्षण तंत्र के अंतर्गत आता है अर्थात पीआईए के दायरे में एवं अधिकांश डिस्कॉमों ने प्रमुख सामग्रियों के विद्युत वितरण अवसंरचना (पीडीआई) सहित पूर्ण एवं चालू वस्तुओं की गुणवत्ता जांच सुनिश्चित की थी एवं अपने कार्य के दायरे के अनुसार घरेलू संयोजनों का 100 *प्रतिशत* सत्यापन किया एवं उनके स्वीकृत समापन प्रस्तावों में मात्रा के बिल को निष्पादित किया। डिस्कॉम्स ने पहले से ही विनिर्माण गुणवत्ता योजना (एमक्यूपी) एवं क्षेत्र गुणवत्ता योजना (एफक्यूपी) सहित गुणवत्ता आश्वासन एवं निरीक्षण योजना तैयार की थी एवं निविदा दस्तावेजों में "सौभाग्य" के गुणवत्ता आश्वासन तंत्र दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उनकी विशिष्ट जरूरतों एवं गुणवत्ता योजना के अनुसार उनके अनुकूलित मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के प्रावधानों में सम्मिलित किया एवं उन्हें परियोजना स्थलों पर काम शुरू करने से पहले एकमुश्त संविदाकारों के साथ निष्पादित एलओए/अनुबंध समझौते में एक अभिन्न भाग बनाया गया था। उत्तर को इस तथ्य के सापेक्ष देखा जा सकता है कि सभी राज्यों के लिए इस प्रकार का अनुपालन अनिवार्य था जो सुनिश्चित नहीं किया गया था।
आरईसी	**(i) आरईसी गुणवत्ता अन्वीक्षण (आरक्यूएम) दिशा-निर्देशों से विचलन** "सौभाग्य" गुणवत्ता आश्वासन तंत्र दिशा-निर्देशों के अनुसार, आरईसी गुणवत्ता अन्वीक्षण एक परियोजना में पांच *प्रतिशत* ग्रामों में कार्यों की गुणवत्ता को सत्यापित करना था, जहां अवसंरचना कार्य किया गया था। "सौभाग्य" के अंतर्गत अवसंरचना कार्य दो चरणों[156] में जारी घरेलू संयोजनों के 100 *प्रतिशत* सत्यापन के साथ किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि आरईसी ने अन्वीक्षण समिति का अनुमोदन प्राप्त किए बिना आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों की नियुक्ति हेतु।

[155] ***अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।***

[156] ***चरण-I और चरण-II निरीक्षणों में पीआईए द्वारा रिपोर्ट की गई वास्तविक प्रगति के आधार पर प्रत्येक चरण में 2.5 प्रतिशत ग्रामों को शामिल किया जाएगा। चरण-I निरीक्षण कॉल आरईसी द्वारा जारी किए जाएंगे और तब पूरे किए जाएंगे। जब 40 से 50 प्रतिशत के बीच भौतिक प्रगति प्राप्त की जाएगी, जबकि चरण-II निरीक्षण कॉल तब जारी और पूरे किए जाएंगे जब किसी परियोजना/जिले में 80 से 90 प्रतिशत के बीच भौतिक प्रगति प्राप्त की जाएगी।***

अन्वीक्षण का स्तर	विवरण
	निविदा दस्तावेज में शर्तों[157] को बदल दिया एवं आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों को लैटर ऑफ अवार्ड जारी किए। इसलिए, आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों द्वारा चरण I एवं चरण-II निरीक्षण शुरू करने एवं पूरा करने के लिए किसी परियोजना/जिले में काम की भौतिक प्रगति की उपलब्धि के संबंध में निविदा दस्तावेजों एवं आबंटन पत्र का प्रावधान अन्वीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित गुणवत्ता आश्वासन तंत्र दिशा-निर्देशों से विचलन में था। विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि "सौभाग्य" के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन तंत्र दिशा-निर्देशों के अनुसार, आरईसी गुणवत्ता यादृच्छिक नमूना आधार पर 5 *प्रतिशत* ग्रामों में कार्यों की गुणवत्ता की अन्वीक्षण करती है जहां "सौभाग्य" के अंतर्गत जारी घरेलू कनेक्शनों के 100 *प्रतिशत* सत्यापन सहित अवसंरचना कार्य किये गये थे। अन्वीक्षण समिति के अनुमोदन के बिना आरईसी गुणवत्ता मॉनिटर के संबंध में अनुमोदित दिशा-निर्देशों से विचलन के संबंध में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है। (ii) **आरईसी गुणवत्ता मॉनिटर की नियुक्ति में विलम्ब** "सौभाग्य" दिशा-निर्देशों के अनुसार, आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों का निरीक्षण एकल स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन तंत्र[158] के अंतर्गत किया जाना था। आरईसी ने मई 2019 में 17 राज्यों के लिए एवं अक्टूबर 2019 में अन्य दो राज्यों के लिए आरईसी गुणवत्ता मॉनिटर के लिए लैटर ऑफ अवार्ड जारी किए, हालांकि यह योजना मार्च 2019 में पूरी होनी थी। शेष 5 राज्यों में, डीडीयूजीजेवाई की गुणवत्ता अन्वीक्षण के लिए पहले नियुक्त आरक्यूएम को "सौभाग्य" के अंतर्गत आरक्यूएम कार्य सौंपा गया था। लेखापरीक्षा नें पाया कि योजना के अंतर्गत जब 17 राज्यों ने पहले ही संतृप्ति की घोषणा कर दी थी, कुल 86.46 *प्रतिशत* घरों में विद्युतीकरण का कार्य 11 अक्टूबर 2017 एवं 31 मार्च 2019 के मध्य पूरा हो गया था। मई 2019 एवं अक्टूबर 2019 के मध्य सभी 24 राज्यों में ग्रामों के निरीक्षण के लिए आरईसी द्वारा आरईसी गुणवत्ता मॉनिटर नियुक्त किए गए, जिससे समवर्ती गुणवत्ता अन्वीक्षण का उद्देश्य विफल हो गया।

---

[157] ***किसी परियोजना में चरण-I निरीक्षण तब शुरू और पूरा होगा जब परियोजना में 2.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की भौतिक प्रगति प्राप्त की जाएगी। प्रत्येक परियोजना में पाँच ग्रामों का निरीक्षण आरक्यूएम द्वारा परियोजना निष्पादन की शुरुआत में ही किया जाएगा, जैसे ही ग्रामों का विद्युतीकरण पीआईए द्वारा भौतिक रूप से पूरा कर लिया जाएगा। किसी परियोजना में आरक्यूएम का चरण-II निरीक्षण तब शुरू और पूरा होगा जब परियोजना में 60 से 70 प्रतिशत की भौतिक प्रगति प्राप्त की जाएगी।***

[158] ***आरईसी खरीदी गई सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आरईसी गुणवत्ता मॉनिटर (आरक्यूएम) के रूप में नामित स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी (एजेंसियों) को आउटसोर्स करेगा और "सौभाग्य" के तहत निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता का सत्यापन भी करेगा। आरक्यूएम पोल, कंडक्टर, केबल जैसी प्रमुख सामग्रियों का प्रेषण-पूर्व निरीक्षण करेगा।***

अन्वीक्षण का स्तर	विवरण
	इसके अलावा, डीडीयूजीजेवाई के आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों को "सौभाग्य" के अंतर्गत केरल, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में गुणवत्ता अन्वीक्षण का अतिरिक्त कार्य दिया गया। हालाँकि, नियुक्त आरक्यूएम द्वारा 31 मार्च 2021 तक केरल एवं सिक्किम में सामग्री/ग्राम निरीक्षण कार्य शुरू नहीं किया गया था। विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022/नवंबर 2024) कि "सौभाग्य" को दिसंबर 2018 तक संस्वीकृति दी गई एवं कार्यों के संभावित दायरे को अंतिम रूप दिया गया एवं 21 मई 2018 को 20 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 489 परियोजनाओं को कवर करने के लिए आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों की नियुक्ति के लिए निविदा जारी की गई थी। डिस्कॉम्स द्वारा योजना के अंतर्गत घरेलू संयोजन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का ग्राम-वार विवरण प्राप्त न होने के कारण, इसे साक्ष्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सका, जिससे आरईसी गुणवत्ता मॉनिटर द्वारा निरीक्षण में विलंब हुआ। उत्तर को इस तथ्य के सापेक्ष देखा जा सकता है कि सभी 24 चयनित राज्यों में ग्रामों के निरीक्षण के लिए आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों को मई 2019 एवं अक्टूबर 2019 के मध्य आरईसी द्वारा नियुक्त किया गया था। इसके अलावा 24 में से 17 राज्यों ने 31 मार्च 2019 तक संतृप्ति की घोषणा की एवं शेष सात राज्यों में 85 *प्रतिशत* से अधिक घरेलू विद्युतीकरण कार्य भी इसी अवधि तक पूरा हो गया । इस प्रकार, ग्राम/ घरेलू विद्युतीकरण का सत्यापन 31 मार्च 2019 तक पूरा हो जाना चाहिए था। आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों की नियुक्ति में विलम्ब एवं इसके परिणामस्वरूप विद्युतीकृत घरों के सत्यापन में विलम्ब ने योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों में आरक्यूएम द्वारा बताए गए दोषों के सुधार को विलंबित कर दिया। **(iii) ग्राम के निरीक्षण के दौरान आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों द्वारा निभाए गए कर्तव्यों में कमियाँ** सामग्री एवं ग्राम के निरीक्षण के लिए आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों के संबंध में लैटर ऑफ अवार्ड में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार, आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों को अन्वीक्षण अभियुक्तियों को अपलोड करना सुनिश्चित करना था, जिसमें दिनांक एवं समय के साथ मुद्रित तस्वीरें सम्मिलित थीं एवं डिस्कॉम्स द्वारा उनके द्वारा किए गए चरण-I एवं चरण-II निरीक्षणों के लिए साइट की तस्वीरों सहित अनुपालन प्रस्तुत करना था। लेखापरीक्षा ने 20 राज्यों[159] में चुने गए 518 ग्रामों के नमूने से आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों द्वारा साक्ष्य पोर्टल पर प्रस्तुत ग्राम निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा की एवं अभियुक्ति नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत की गई हैं:

[159] ***अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।***

अन्वीक्षण का स्तर	विवरण

तालिका 8.1.1

विवरण	ग्रामों की संख्या	518 नमूना ग्रामों का *प्रतिशत*
ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया	205	40
सुपुर्दगी प्रमाणपत्र अपलोड नहीं किया गया	174	34
"सौभाग्य" साइनबोर्ड की तस्वीर अपलोड नहीं की गई	483	93

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रासंगिक दस्तावेजों के अभाव में यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि कार्य निर्धारित समय सीमा में बीओक्यू एवं योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार मात्रा एवं गुणवत्ता वाले अवसंरचना के साथ पूरा हो गया था।

विद्युत मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2024) कि जिन मामलों में "सौभाग्य" साइन बोर्ड की तस्वीर अपलोड नहीं की गई वहां ग्राम में साइन बोर्ड लगाने से पूर्व आरक्यूएम ग्राम का निरीक्षण किया गया है। हालांकि, "सौभाग्य" योजना के अंतर्गत अधिकांश राज्यों में राज्य डिस्कॉम्स/ पीआईए द्वारा साइन बोर्ड नहीं लगाए गए हैं एवं साइन बोर्ड लगाने के लिए किसी राशि का दावा नहीं किया गया है।

उत्तर ने लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को पुष्ट किया। इसके अलावा, इसे इस तथ्य के सापेक्ष देखा जा सकता है कि ये प्रमाणपत्र आरईसी के गुणवत्ता आश्वासन एवं अन्वीक्षण तंत्र के भाग के रूप में निर्धारित किए गए थे, एवं ऐसे सभी प्रमाणपत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक था। आरईसी ने यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि डिस्कॉम्स द्वारा कार्यपूर्ति के तुरंत बाद तथा आरईसी गुणवता मानीटर द्वारा निरीक्षण से पूर्व साइनबोर्ड लगाए जाने थे।

"सौभाग्य" योजना के दिशा-निर्देशानुसार, योजना के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली परिसंपत्तियां जैसे कि खम्भे, केबल, ऊर्जा मीटर वितरण ट्रांसफॉर्मर, एलईडी लैंप आदि "सौभाग्य" योजना के निर्धारित पहचान चिन्ह (लोगो) या नाम पट्ट पर "सौभाग्य" योजना नाम के मुद्रण, खम्भों पर उत्कीर्ण/चित्रण या उपयुक्त रंग कोड आदि के साथ उपयुक्त रूप से पहचान योग्य होनी चाहिए। आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों द्वारा प्रस्तुत ग्राम निरीक्षण रिपोर्ट की तस्वीरों की समीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि तालिका 8.1.1 में दिए गए मामलों में डिस्कॉम द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया था।

अन्वीक्षण का स्तर	विवरण
	विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022/नवंबर 2024) कि राज्यों में "सौभाग्य" योजना के अंतर्गत कार्य के क्रियान्वयन के लिए कई एजेंसियों को तैनात किया गया था, इसलिए, उनमें से प्रत्येक को सौंपा गया कार्य सीमित था, इस प्रकार प्रत्येक सामग्री पर योजना का नाम छापना एक बड़ी चुनौती थी। योजना के पहचान चिन्ह के अभाव में "सौभाग्य" योजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

8.2 "सौभाग्य" योजना में मंत्रालय स्तरीय अन्वीक्षण

"सौभाग्य" योजना में डीडीयूजीजेवाई में अपनाए गए अन्वीक्षण तंत्र का पालन किया जाना आवश्यक था एवं केंद्रीय स्तर पर, विद्युत मंत्रालय एवं डीडीयूजीजेवाई की अंतर-मंत्रालयी अन्वीक्षण समिति (अन्वीक्षण समिति) को इस योजना के कार्यान्वयन का अन्वीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना आवश्यक था। "सौभाग्य" योजना की पहली अन्वीक्षण समिति बैठक दिसंबर 2017 में आयोजित की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना प्रस्ताव/दिशानिर्देश/आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के नोट में अन्वीक्षण समिति बैठकें आयोजित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी एवं बैठकें एक से 11 महीने की अंतराल अवधि के साथ आयोजित की गईं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 8.2

अन्वीक्षण समिति की बैठकों का विवरण

क्रम संख्या	अन्वीक्षण समिति की बैठकों की संख्या	अन्वीक्षण समिति की आयोजित की गई बैठकों की तिथि	पिछली बैठक के संबंध में समय अंतराल (महीनों में)
1	पहली अन्वीक्षण समिति बैठक	05 दिसंबर 2017	--
2	दूसरी अन्वीक्षण समिति बैठक	28 मार्च 2018	3
3	तीसरी अन्वीक्षण समिति बैठक	07 जून 2018	2
4	चौथी अन्वीक्षण समिति बैठक	09 जुलाई 2018	1
5	5वीं अन्वीक्षण समिति बैठक	12 दिसंबर 2018	5
6	6वीं अन्वीक्षण समिति बैठक	26 मार्च 2019	3
7	7वीं अन्वीक्षण समिति बैठक	16 मार्च 2020	11
8	8वीं अन्वीक्षण समिति बैठक	20 नवंबर 2020	8
9	9वीं अन्वीक्षण समिति बैठक	30 मार्च 2021	4

क्रम संख्या	अन्वीक्षण समिति की बैठकों की संख्या	अन्वीक्षण समिति की आयोजित की गई बैठकों की तिथि	पिछली बैठक के संबंध में समय अंतराल (महीनों में)
10	10वीं अन्वीक्षण समिति बैठक	28 मई 2021	2
11	11वीं अन्वीक्षण समिति बैठक	13 जुलाई 2021	1
12	12वीं अन्वीक्षण समिति बैठक	02 अगस्त 2021	1

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कई महत्वपूर्ण मामलों में अनुमोदन जैसे कि 31 मार्च 2019 के बाद अतिरिक्त 19.10 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए योजना की समयसीमा बढ़ाने के लिए राज्यों के अनुरोध, विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ₹301 करोड़ की पुरस्कार योजना का अनुमोदन एवं पीएमए प्रभारों में 0.5 से 5.0 *प्रतिशत* तक की वृद्धि का अनुमोदन, विद्युत मंत्रालय द्वारा दिया गया था, जिसे बाद की बैठकों में पूर्वव्यापी अनुमोदन के माध्यम से अन्वीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि "सौभाग्य" योजना के दिशा-निर्देशों में अन्वीक्षण समिति बैठकें आयोजित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी; आरईसी द्वारा अनुरोध किए जाने पर ही बैठकें आयोजित की गईं। विद्युत मंत्रालय ने आगे कहा (जून 2022) कि कोविड-19 के राष्ट्रव्यापी विस्तार के कारण स्वास्थ्य कारणों के आधार पर 7वीं अन्वीक्षण समिति बैठक स्थगित कर दी गई थी एवं बताया कि भविष्य की अन्वीक्षण समिति बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएंगी।

तथ्य यह रहा कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित अन्वीक्षण समिति के निर्णय, जैसे कि योजना की समय-सीमा का विस्तार, विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पुरस्कार योजना का अनुमोदन आदि, समय के भीतर अन्वीक्षण समिति से नहीं मांगे जा सके एवं उन्हें केवल पूर्वव्यापी अनुमोदन के माध्यम से ही अनुमोदित किया गया था।

अनुशंसा संख्या 13: *विद्युत मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि सभी स्तरों पर नियंत्रण एवं अन्वीक्षण तंत्र को मजबूत किया जाए, साथ ही आगामी योजनाओं में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा गुणवत्ता आश्वासन ढाँचे का सख्ती से पालन किया जाए।*

8.3 डैशबोर्ड में पाई गई कमी

"सौभाग्य" योजना के अध्याय-IV के पैरा 1 के दिशा-निर्देशानुसार, डीडीयूजीजेवाई में अपनाई गई अन्वीक्षण तंत्र का पालन किया जाना था, जिसमें "दिशा" समिति[160] की संस्थागत प्रणाली भी सम्मिलित थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

[160] *"दिशा" समिति का गठन संसद, राज्य विधानसभाओं एवं स्थानीय सरकारों में सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के मध्य बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, ताकि जिला स्तर पर सभी विकास गतिविधियों की तिमाही समीक्षा की सुविधा प्रदान करके सहभागी शासन एवं विचार-विमर्श लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा सके। "दिशा" समिति की बैठकें तिमाही आधार पर सांसद की अध्यक्षता में आयोजित की जाएंगी एवं इसमें जिले के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल होंगे।*

- 24 राज्यों की 479 परियोजनाओं में से 13 राज्यों[161] की सभी 146 चयनित परियोजनाओं में, "दिशा" समितियों ने नियमित अंतराल[162] पर बैठकें आयोजित नहीं की (जिन्हें तिमाही आधार पर आयोजित किया जाना आवश्यक था)। इसके अलावा, "दिशा" समितियों ने अपनी बैठकों में "सौभाग्य" योजना की 146 चयनित परियोजनाओं पर चर्चा/अन्वीक्षण नहीं की।

- डिस्कॉम्स ने 24 राज्यों की 479 परियोजनाओं में से 21 राज्यों[163] की 224 परियोजनाओं (47 *प्रतिशत*) में व्यापक गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) योजना तैयार नहीं की गई।

- 24 राज्यों की 479 परियोजनाओं में से सात राज्यों[164] की 80 परियोजनाओं (17 *प्रतिशत*) में एकमुश्त कार्य करने वाले संविदाकारों के साथ गुणवत्ता आश्वासन योजना को अनुबंध करार का अभिन्न अंग नहीं बनाया गया।

विद्युत मंत्रालय ने बताया (जून 2022) कि मध्य प्रदेश में "सौभाग्य" योजना के लिए "दिशा" समिति का गठन नहीं किया गया। उत्तराखंड में 2015-16 से 2020-21 के दौरान "दिशा" समिति की कुल 121 बैठकें हुईं। छत्तीसगढ़ में "दिशा" समिति का गठन किया गया तथा इसने समय-समय पर प्रगति की समीक्षा की। इसमें यह भी कहा गया कि डिस्कॉम्स को निर्देश दिया गया है कि वे गुणवत्ता आश्वासन एवं निरीक्षण योजना को एकमुश्त कार्य करने वाले संविदाकार या उपकरण आपूर्तिकर्ता/विक्रेता एवं निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध करार का अभिन्न अंग बनाएं एवं यह सुनिश्चित करें कि परियोजना के अंतर्गत साइट एवं कार्य के क्षेत्र क्रियान्वयन में आपूर्ति की गई सामग्री/उपकरण की गुणवत्ता आश्वासन एवं निरीक्षण योजना के अनुरूप हो।

विद्युत मंत्रालय के उत्तर में उन अन्य राज्यों के बारे में नहीं कहा गया है, जिन्होंने नियमित अंतराल पर "दिशा" समिति की बैठकें आयोजित नहीं की थीं। तथापि, तथ्य यह रहा कि उपरोक्त 13 राज्यों में से 12 में "दिशा" समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की गईं, एवं इस प्रकार, बैठकों में "सौभाग्य" योजना परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा नहीं की जा सकी। गुणवत्ता आश्वासन योजना के संबंध में, उत्तर में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि 21 राज्यों में व्यापक गुणवत्ता आश्वासन

---

[161] ***अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख सहित, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।***

[162] ***सौभाग्य योजना के लिए "दिशा" समितियों की बैठकें या तो राज्यों के प्रत्येक जिले में आयोजित नहीं की गईं या कई जिलों में 12 महीने से 24 महीने की अवधि के अंतराल पर आयोजित की गईं।***

[163] ***अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख सहित, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।***

[164] ***अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम।***

योजना तैयार नहीं की गई थी तथा 7 राज्यों में इसे अनुबंध करार का अभिन्न अंग नहीं बनाया गया था।

अनुशंसा संख्या 14: विद्युत मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि "दिशा" समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं, ताकि परियोजना क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की जा सके एवं उनका समय पर समाधान किया जा सके।

8.4 सारांश

डिस्कॉम्स द्वारा "सौभाग्य" योजना के गुणवत्ता आश्वासन तंत्र का सख्ती से पालन नहीं किया गया। डिस्कॉम्स ने व्यापक गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) योजना तैयार नहीं की एवं इसे अनुबंधों का अभिन्न अंग नहीं बनाया। अनुबंधों में ऐसी गुणवत्ता आश्वासन योजना के अभाव के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि संविदाकारों द्वारा निष्पादित कार्य "सौभाग्य" योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

11 राज्यों में डिस्कॉम्स द्वारा सामग्री का प्रेषण-पूर्व निरीक्षण नहीं किया गया तथा योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों का 100 *प्रतिशत* सत्यापन नहीं किया गया। आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों की नियुक्ति समय पर नहीं की गई, जिसके कारण घरेलू विद्युतीकरण की समवर्ती अन्वीक्षण में विलंब हुआ। परियोजनाओं की अन्वीक्षण के लिए "दिशा" समिति की बैठकें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियमित रूप से आयोजित नहीं की गईं तथा कुछ राज्यों में "दिशा" समितियों का गठन नहीं किया गया। अन्वीक्षण समिति बैठकों की आवृत्ति अनियमित थी तथा बैठकें एक से 11 माह के अंतराल पर आयोजित की गई थी।

अध्याय 9: निष्कर्ष

योजनाओं के परिभाषित उद्देश्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए 'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' (डीडीयूजीजेवाई) एवं 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। डीडीयूजीजेवाई के लेखापरीक्षा उद्देश्य में कृषि एवं कृषि कार्य से इतर फीडरों को अलग करने की समीक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में उप-संचरण एवं वितरण प्रणाली को मजबूत करना एवं बढ़ाना, अंत में वितरण ट्रांसफॉर्मरों/फीडरों/उपभोक्ता मीटर सहित ग्रामों का पूर्ण विद्युतीकरण करना सम्मिलित था। "सौभाग्य" योजना का लेखापरीक्षा उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या अंतिम छोर तक संबद्धता प्रदान करके घरों का विद्युतीकरण किया गया है। परियोजना नियोजन, वित्तीय प्रबंधन, परियोजना कार्यान्वयन, गुणवत्ता आश्वासन एवं अन्वीक्षण तंत्र का भी मूल्यांकन किया गया ताकि इच्छित योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनकी सुदृढ़ता एवं दक्षता का आकलन किया जा सके।

डीडीयूजीजेवाई/राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को ₹63,027 करोड़ की बजटीय सहायता सहित ₹75,893 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ क्रियान्वित किया गया तथा ₹45,025 करोड़ के बजटीय सहायता सहित ₹64,495 करोड़ की लागत के साथ समाप्त किया गया। "सौभाग्य" योजना को ₹12,320 करोड़ के बजटीय सहायता सहित ₹16,320 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ क्रियान्वित किया गया तथा ₹5,782 करोड़ के बजटीय सहायता सहित ₹9,246 करोड़ की लागत के साथ समाप्त किया गया।

विद्युत मंत्रालय ने "सौभाग्य" योजना के अंतर्गत शेष गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए आवश्यक वितरण नेटवर्क को मजबूत करने हेतु अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे के लिए ₹14,183 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की एवं ₹7,543 करोड़ की बजटीय सहायता सहित ₹11,373 करोड़ की लागत के साथ इस योजना को समाप्त किया।

अन्वीक्षण समिति (एमसी) द्वारा स्वीकृत मात्रा के सापेक्ष प्रणाली सुदृढ़ीकरण के घटक 96.71 *प्रतिशत* से 180.69 *प्रतिशत* की सीमा में प्राप्त[165] किए गए। फीडर पृथक्करण घटक स्वीकृत मात्रा की तुलना में 86.85 *प्रतिशत* प्राप्त किया गया। एमसी द्वारा स्वीकृत संख्याओं की तुलना में वास्तव में निष्पादित फीडर पृथक्करण कार्यों की संख्या में महत्वपूर्ण भिन्नताएँ दर्शाती हैं कि फीडर पृथक्करण की राज्य-वार आवश्यकता का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था।

डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों में परिकल्पित एटीएंडसी हानियों के लक्ष्य नौ राज्यों में प्राप्त कर लिए गए, जबकि 12 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित लक्ष्य

[165] ***33 केवी/11 केवी नए/संवर्धित उप-स्टेशन (112.60 प्रतिशत), 66 केवी/33 केवी लाइन (110.06 प्रतिशत), 11 केवी लाइन (104.90 प्रतिशत), वितरण ट्रांसफॉर्मर (96.71 प्रतिशत), एलटी लाइन (180.69 प्रतिशत) और मीटर (112.26 प्रतिशत)।***

हासिल नहीं हो पाए तथा 31 मार्च 2022 तक 10 *प्रतिशत* से 26 *प्रतिशत* के मानदंडों की बजाए यह 11.08 *प्रतिशत* से 59.28 *प्रतिशत* के मध्य रहा।

भारत सरकार, राज्यों, विद्युत निगमों और अन्य हितधारकों के प्रयासों से, सौभाग्य/ डीडीयूजीजेवाई और अन्य राज्य योजनाओं के अंतर्गत कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। हालाँकि, 300 लाख घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विपरीत, सौभाग्य के अंतर्गत कुल 174.36 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया।

परियोजना क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में उल्लेखनीय विलंब परिलक्षित हुआ। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, 24 राज्यों एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों में 605 परियोजनाओं में से 494 परियोजनाओं (81.65 *प्रतिशत*) में अवाड में विलंब हुआ। चौदह राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में 184 परियोजनाओं (30 *प्रतिशत*) के मामले में 12 महीने से अधिक का विलंब हुआ। 27 राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों में 605 पूर्ण परियोजनाओं में से 555 परियोजनाओं (91.74 *प्रतिशत*) के पूरा होने में भी विलंब हुआ। 27 राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से 19 राज्यों में 263 परियोजनाओं (47 *प्रतिशत*) के मामले में 24 महीने से अधिक का विलंब हुआ। "सौभाग्य" योजना के अंतर्गत, 24 राज्यों के सभी 36 भागीदार डिस्कॉम्स ने 71 से 418 दिनों की देरी के साथ डीपीआर प्रस्तुत किए, जिससे योजना के कार्यान्वयन के लिए अन्वीक्षण समिति द्वारा डीपीआर की समीक्षा एवं घरों की स्वीकृति में विलंब हुआ।

विद्युत मंत्रालय द्वारा आरईसी को जारी की गई ₹57,766 करोड़ की धनराशि में से, जिसे आरईसी द्वारा डीडीयूजीजेवाई (आरजीजीवीवाई सहित), "सौभाग्य" योजना एवं अतिरिक्त अवसंरचना के अंतर्गत डिस्कॉम्स को जारी किया गया था, निर्धारित शर्तों/ लक्ष्यों की पूर्ति से पहले 10 राज्यों में डिस्कॉम्स को ₹2,391.65 करोड़ की धनराशि जारी करने में सीसीईए द्वारा अनुमोदित वित्तपोषण तंत्र का अनुपालन न करने के मामले पाए गए।

डीडीयूजीजेवाई की योजना दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, 27 राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से चार राज्यों एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों में डिस्कॉम्स द्वारा डिस्कॉम स्तर की गुणवत्ता मूल्यांकन योजनाएँ तैयार नहीं की गईं। इसके अलावा, तीन राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में अधिकृत विक्रेताओं से सामग्री नहीं खरीदी गई एवं स्वीकृत विक्रेताओं की सूची भी डिस्कॉम्स के वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत निष्पादित कार्यों की समवर्ती अन्वीक्षण सुनिश्चित करने के लिए, परियोजनाओं का निरीक्षण आरईसी गुणवत्ता मॉनिटरों (आरक्यूएम) द्वारा किया जाना था। हालांकि, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 20 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के 741 ग्रामों में से 564 ग्रामों, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत आठ राज्यों के 143 ग्रामों में से छह राज्यों के 75 ग्रामों एवं डीडीजी परियोजनाओं के अंतर्गत पांच राज्यों के 44

ग्रामों में से 43 ग्रामों में परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए आरक्यूएम निरीक्षण में विलंब हुआ।

"सौभाग्य" योजना के अंतर्गत 24 राज्यों में से 11 राज्यों में डिस्कॉम्स द्वारा सामग्री का प्रेषण-पूर्व निरीक्षण नहीं किया गया जबकि 10 राज्यों में विद्युतीकृत घरों का 100 *प्रतिशत* सत्यापन नहीं किया गया। "सौभाग्य" योजना के अंतर्गत आरक्यूएम की नियुक्ति मई 2019 से अक्टूबर 2019 के दौरान की गई जबकि योजना को मार्च 2019 में पूरा किया जाना था; इससे घरेलू विद्युतीकरण की समवर्ती अन्वीक्षण में विलंब हुआ।

लेखापरीक्षा ने 14 अनुशंसाएँ की हैं जो भविष्य की योजनाओं की बेहतर योजना, क्रियान्वयन एवं अन्वीक्षण में मंत्रालय की सहायता करेंगी। इसके अलावा, निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उत्तर में, विद्युत मंत्रालय ने कहा (14 नवंबर 2024) कि विद्युत मंत्रालय/आरईसी द्वारा सीएजी की अनुशंसा पर उचित रूप से विचार किया गया है एवं विद्युत मंत्रालय द्वारा अपनाई गई प्रणाली के अनुरूप भविष्य की योजनाओं के क्रियान्वयन में इसे सुनिश्चित किया जाएगा।

नई दिल्ली
दिनांक: 08 अगस्त 2025

(आनंद मोहन बजाज)
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 13 अगस्त 2025

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

S.E.J GOVERNMENT L.P SCHOOL
ESTD-1944
SIEJ VILLAGE

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1

(संदर्भित पैरा 1.3)

योजना शुरू होने से लेकर पूरा होने तक किए गए उपायों को दर्शाने वाला प्रवाह आरेख

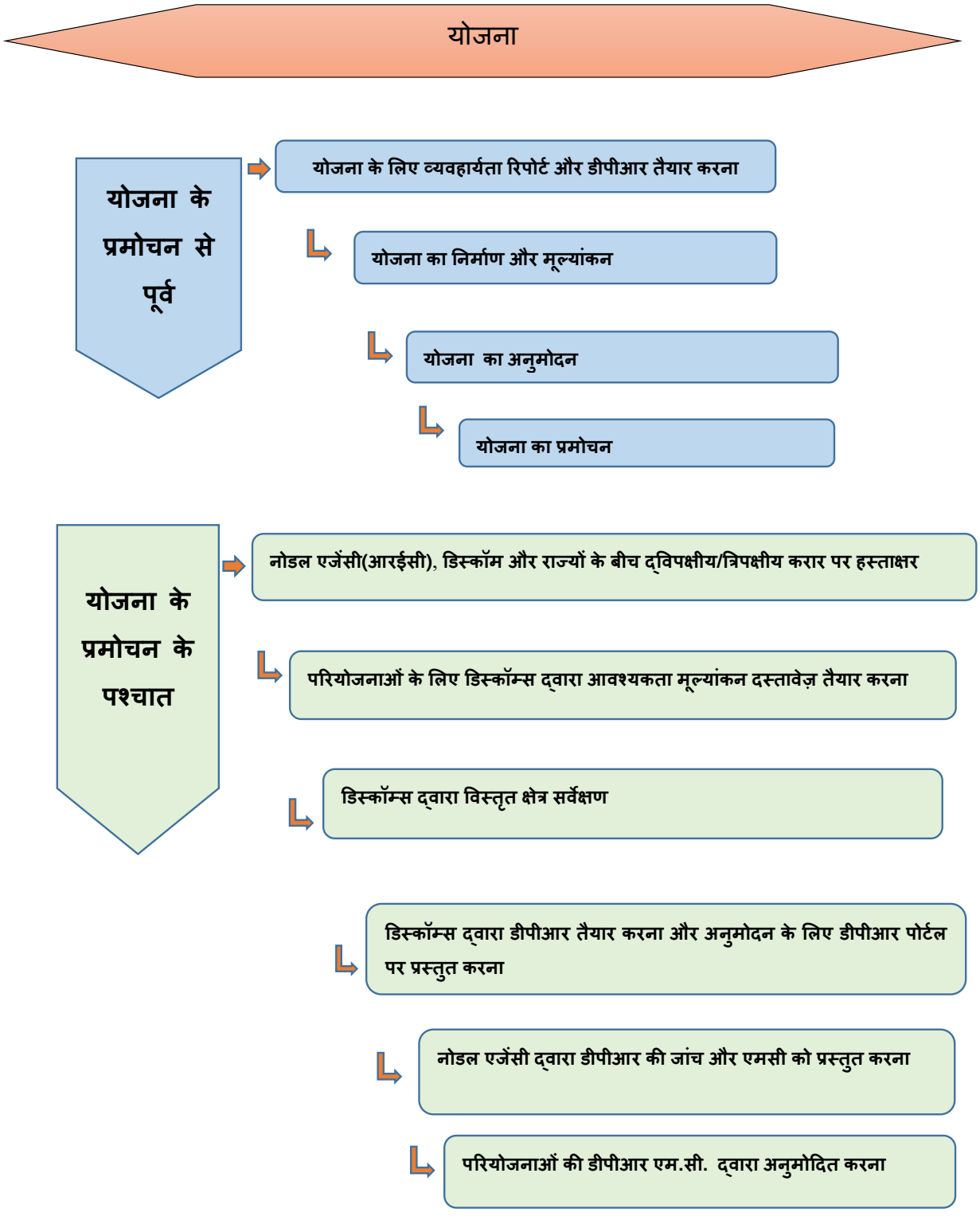

अन्वीक्षण समिति द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन के पश्चात

- अन्वीक्षण समिति द्वारा निधि की स्वीकृति करना
- डिस्कॉम्स द्वारा अनुबंध प्रदान करना
- डिस्कॉम्स द्वारा विस्तृत व्यापक क्यूए योजना का निर्माण करना
- एकमुश्त (टर्न-की) ठेकेदारों/विभागीय आधार पर परियोजना का निष्पादन
- नोडल एजेंसी द्वारा तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी करना
- निधि के (आवधिक) संवितरण के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना

परियोजना का पूर्ण होना

- डिस्कॉम्स द्वारा समापन का प्रस्ताव प्रस्तुत करना
- नोडल एजेंसी द्वारा परियोजनाओं के समापन का मूल्यांकन
- परियोजना के समापन की स्वीकृति प्रदान करना

अनुलग्नक-2
(संदर्भित पैरा 2.2)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार चयनित परियोजनाओं, ब्लॉकों एवं ग्रामों की संख्या

क्रम.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	डीडीयूजीजेवाई		आरजीजीवीवाई (12वीं योजना) (नई)		डीडीजी	डीडीजी	ग्राम
		परियोजनाएँ	ब्लॉक	परियोजनाएँ	ब्लॉक	परियोजनाएँ	परियोजनाएँ	
	राज्य							
1	अरुणाचल प्रदेश	4	7	-	-	-	60	85
2	असम	7	17	4	9	-	21	197
3	छत्तीसगढ़	7	14	2	5	2	36	183
4	गोवा *	2	3	-	-	-	-	3
5	गुजरात *	7	14	-	-	-	-	70
6	हरियाणा	5	7	-	-	-	-	46
7	हिमाचल प्रदेश	3	8	-	-	-	-	75
8	जम्मू एवं कश्मीर (लद्दाख सहित)	5	11	2	4	-	1	85
9	झारखंड	6	15	4	9	-	13	227
10	कर्नाटक	8	17	2	4	2	2	202
11	केरल	4	11	-	-	2	-	65
12	मध्य प्रदेश	13	30	9	21	-	2	467
13	महाराष्ट्र	9	24	-	-	-	-	218
14	मणिपुर	1	2	2	4	-	5	32
15	मेघालय	2	4	-	-	-	5	44
16	मिजोरम	5	4	-	-	-	-	10
17	नागालैंड	6	8	3	6	-	-	86
18	ओडिशा	6	8	7	13	-	-	176
19	पंजाब	8	10	-	-	-	-	78
20	राजस्थान	8	19	7	16	-	8	304
21	सिक्किम	2	4	-	-	-	-	23
22	तमिलनाडु *	7	14	-	-	-	-	52
23	तेलंगाना	3	9	-	-	-	-	58
24	त्रिपुरा	2	4	2	5	-	-	46
25	उत्तर प्रदेश	4	10	3	7	-	-	166

क्रम.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	डीडीयूजीजेवाई		आरजीजीवीवाई (12वीं योजना) (नई)		डीडीजी	डीडीजी	ग्राम
		परियोजनाएँ	ब्लॉक	परियोजनाएँ	ब्लॉक	परियोजनाएँ	परियोजनाएँ	
26	उत्तराखंड	3	6	-	-	-	2	48
27	पश्चिम बंगाल	5	15	2	5	-	-	65
	कुल (क)	**142**	**295**	**49**	**108**	**6**	**155**	**3111**
	केंद्र शासित प्रदेश							
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह*	1	2	-	-	-	-	15
2	दादरा एवं नगर हवेली*	1	3	-	-	-	-	13
3	पुडुचेरी *	2	3	-	-	-	-	11
	कुल (ख)	**4**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39**
महायोग (क+ख)		**146**	**303**	**49**	**108**	**6**	**155**	**3150**

** इन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में "सौभाग्य" योजना लागू नहीं की गई*

अनुलग्नक-3
(संदर्भित पैरा 3.1.4)
क्षेत्र सर्वेक्षण के बिना तैयार किए गए डीपीआर के लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं प्रभाव

क्रम सं.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के नाम	निष्कर्ष एवं उसका प्रभाव
1	असम	• सात परियोजनाओं के अंतर्गत 2,588 ग्रामों में से केवल 974 ग्रामों को ही क्रियान्वयन के दौरान कवर किया गया. • कामरूप परियोजना के लिए डीपीआर में सम्मिलित 22 गैर-विद्युतीकृत ग्रामों में से, डिस्कॉम ने क्रियान्वयन के लिए सर्वेक्षण के दौरान पाया कि केवल एक ग्राम गैर-विद्युतीकृत था, दो ग्राम बस्ती रहित थे, एक ग्राम का पहले से ही विद्युतीकरण हो चुका था एवं शेष 18 ग्राम आंशिक रूप से विद्युतीकृत (पीई) थे। • उदलगुरी परियोजना में 78 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें से 72 ग्राम अनुमोदित डीपीआर का हिस्सा नहीं थे। • ग्वालपाड़ा परियोजना की डीपीआर में सम्मिलित 12 में से 11 ग्राम पहले से ही विद्युतीकृत पाए गए। उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए, विद्युत मंत्रालय ने बताया (जून 2022) कि डीपीआर तैयार करने के दौरान, डीपीआर प्रस्तुत करने में समय की कमी के कारण ग्रामों का 100 *प्रतिशत* सर्वेक्षण नहीं किया जा सका। डीपीआर उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किए गए थे।
2	छत्तीसगढ़	• कबीरधाम परियोजना में, डीपीआर में सम्मिलित नौ फीडर पृथक्करण कार्यों में से, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत डीपीआर के अनुमोदन से पहले ही छह फीडरों में उच्च वोल्टेज वितरण योजना (एचवीडीएस) में कार्य पूरा कर लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप डीपीआर में लागत का अनुमान ₹21.97 करोड़ से अधिक लगाया गया। • 56 गैर-विद्युतीकृत ग्रामों को ऑफ-ग्रिड संबद्धता से ग्रिड संबद्धता में पथांतरित किया गया, जिनमें से 16 ग्रामों को ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत नहीं किया जा सका एवं इसलिए उन्हें ग्रिड से असम्बद्ध करना पड़ा। • स्वीकृत ग्रामों की तुलना में विद्युतीकृत वास्तविक गैर-विद्युतीकृत/ पीई ग्रामों की संख्या में भिन्नता (-) 59.54 एवं 53.15 *प्रतिशत* के मध्य थी एवं बीपीएल परिवारों के संदर्भ में, भिन्नता (-) 58.51 एवं 96.84 *प्रतिशत* के मध्य थी। (स्वीकृत/डीपीआर आँकड़े)

क्रम सं.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के नाम	निष्कर्ष एवं उसका प्रभाव
		• आरजीजीवीवाई की 12वीं योजना में दो परियोजनाओं[166] में 52 ग्रामों एवं 24,096 घरों को कवर नहीं किया जा सका क्योंकि वे पहले से ही विद्युतीकृत थे। • डीडीजी 12वीं योजना के अंतर्गत दो परियोजनाओं[167] में स्वीकृत घरों तथा वास्तव में विद्युतीकृत घरों के मध्य अंतर (-) 16.58 तथा 88 *प्रतिशत* के मध्य रहा तथा डीडीजी नई 34 परियोजनाओं में अंतर (-) 89.94 तथा 641.18 *प्रतिशत* के मध्य रहा। विद्युत मंत्रालय ने बताया (जून 2022) कि नक्सली गड़बड़ी/पहुंच प्रतिबंधों/घने वन क्षेत्रों में स्थित ग्रामों के ग्रिड से ऑफ ग्रिड में बदल जाने एवं अन्य राज्य योजना/मुख्यमंत्री एम/टी विद्युतीकरण योजना (एमएमएमटीवाई) के शुभारंभ के कारण भी बीपीएल परिवारों की संख्या में कमी आई है।
3	हरियाणा	योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी 112 फीडर पृथक्करण कार्य डीपीआर की स्वीकृति से पहले ही अलग कर दिए गए थे। इस प्रकार, डीपीआर में लागत ₹26.80 करोड़ अधिक आँकी गई एवं बाद में डिस्कॉम्स द्वारा प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों में इसका उपयोग किया गया। विद्युत मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जून 2022) कि यह योजना 2015 में शुरू की गई थी एवं कार्यों की प्राथमिकता के कारण डिस्कॉम्स द्वारा अपने स्वयं के धन के माध्यम से समय-समय पर कई विद्युत सुदृढ़ीकरण कार्य पहले से ही किए जा रहे थे।
4	झारखंड	• स्वीकृत डीपीआर में 372 फीडर पृथक्करण कार्य सम्मिलित थे। क्रियान्वयन के दौरान फीडर पृथक्करण कार्यों का दायरा घटाकर 162 कर दिया गया, जिससे डीपीआर में अधिक आकलन दर्शाया गया। • नमूना जांच की गई आठ परियोजनाओं में वास्तविक क्रियान्वयन के दौरान 155 ग्राम पहले से ही विद्युतीकृत पाए गए तथा 379 ग्रामों का पता नहीं चल पाया। विद्युत मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (जून 2022) कहा कि फीडर पृथक्करण में कमी डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन के मध्य में "सौभाग्य" योजना को सम्मिलित करने के कारण है क्योंकि जेबीवीएनएल को झारखंड के सभी घरों के लिए अवसंरचना की आवश्यकताओं को

[166] ***धमतरी एवं जांजगीर चांपा***
[167] ***बदवार एवं पुंदाग***

क्रम सं.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के नाम	निष्कर्ष एवं उसका प्रभाव
		पूरा करना था। तदनुसार, फीडर पृथक्करण के स्वीकृत फंड का उपयोग "सौभाग्य" योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घरेलू संयोजन के लिए अवसंरचना के निर्माण के लिए किया गया था।
5	राजस्थान	डीपीआर में 41765 बस्तियों को विद्युतीकृत किया जाना सम्मिलित था। कार्य के क्रियान्वयन की शुरुआत से पहले एकमुश्त कार्य करने वाले संविदाकार द्वारा किए गए साइट सर्वेक्षण से पता चला कि डीपीआर में गैर-विद्युतीकृत दर्शाई गई 16765 बस्तियाँ पहले से ही विद्युतीकृत थीं एवं 2327 बस्तियाँ अस्तित्व में नहीं थीं। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, विद्युत मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2022) कि बस्तियाँ के आँकडों में भिन्नता डीडीयूजीजेवाई में सर्वेक्षण किए जाने एवं उसके क्रियान्वयन से पहले राज्य की चल रही योजनाओं (एमएमएसएलवीवाई) में इसके कवरेज के कारण थी। इसके अलावा, कई बस्तियाँ प्रवासी प्रकृति की थीं एवं स्थान बदलते रहते थे, इसलिए 2327 बस्तियाँ अस्तित्व में नहीं थीं।
6	मणिपुर	चुराचांदपुर परियोजना में आपूर्ति एलओए के अनुसार 11 केवी लाइन की लंबाई 529.25 परिपथ किमी. थी, जिसमें से 11 केवी की केवल 453.03 परिपथ किमी. लाइन ही बिछाई गईं । विद्युत मंत्रालय ने बताया (जून 2022) कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र की आवश्यकता एवं उसी समय "सौभाग्य" योजना के कार्यान्वयन के कारण मात्रा कम हो गई।
7	कर्नाटक	तुमकुर परियोजना के अंतर्गत तुमकुर एवं कुनिगल कस्बों में 99 एवं 44 डिटीज, जो पहले से ही अन्य योजनाओं में सम्मिलित थे, को डीडीयूजीजेवाई में सम्मिलित किया गया। विद्युत मंत्रालय ने बताया (जून 2022) कि क्रियान्वयन के दौरान, उक्त प्रस्तावित कार्य अत्यावश्यकता के कारण राज्य/बीईएससीओएम की अन्य योजनाओं में किए गए एवं इसलिए डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत नहीं लिए गए।
8	तमिलनाडु	22 परियोजनाओं[168] में 972 पीई ग्रामों में 6,171 एपीएल घरों के प्रस्ताव की तुलना में डीपीआर एवं वास्तविक क्रियान्वयन के मध्य आंशिक रूप से विद्युतीकृत ग्रामों में अंतर था। टैनजेडको ने 1,031 पीई ग्रामों में 6,679 एपीएल परिवारों को विद्युतीकृत किया।

[168] *इरोड, नमक्कल, सेलम, डिंडीगुल, रामनाथपुरम, शिवगंगा, थेनी, कन्नियाकुमारी, थूथुकुडी, विरुधुनगर, अरियालुर, करूर, नागपट्टिनम, पेरम्बलुर, पुदुकोट्टई, तिरुवरुर, वेल्लोर, कुड्डालोर, तिरुवन्नमलाई, विलुप्पुरम, कांचीपुरम एवं तंजावुर।*

क्रम सं.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के नाम	निष्कर्ष एवं उसका प्रभाव
		तथ्यों को स्वीकार करते हुए, विद्युत मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2022) कि प्रस्तावित एपीएल परिवारों की संख्या में भिन्नता सलेम जिले (390) में अतिरिक्त एपीएल परिवारों को कवर करने के कारण थी क्योंकि सौर रूफ टॉप प्रणाली के अंतर्गत एवं शिवगंगा जिले में (118 एपीएल परिवार) प्रस्तावित एवं अतिरिक्त एपीएल परिवारों को तीन फेज संयोजन के बजाय सिंगल फेज संयोजन प्रदान करके उपरोक्त कार्य को प्रदान करने एवं कार्यान्वित करने में कठिनाइयाँ थीं।
9	तेलंगाना	लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीपीआर में स्वीकृत ग्राम एवं डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत समापन वाले ग्रामों के मध्य 612 ग्रामों का अंतर था। तथ्यों को स्वीकार करते हुए विद्युत मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2022) कि डिस्कॉम को निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने एवं नियमित प्रक्रिया के अनुसार सेवाएं जारी रखने के लिए कुछ आपातकालीन नेटवर्क जोड़ने पड़े। इसलिए, विभिन्न ग्रामों में समय-समय पर क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर अवसंरचना के साथ-साथ सेवाओं को जारी करने में भी बदलाव होते रहते हैं।

अनुलग्नक-4
(संदर्भित पैरा 3.1.5)
एटीएंडसी हानियों के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	2021-22 के लिए एटीएंडसी हानि[169] का लक्ष्य (*प्रतिशत* में)	2021-22 के लिए एटीएंडसी हानि की वास्तविक उपलब्धि (*प्रतिशत* में)	अंतर (*प्रतिशत* में)
1	छत्तीसगढ	14.00	18.13	(-) 04.13
2	हिमाचल प्रदेश	10.00	12.90	(-) 02.90
3	झारखंड	18.00	33.79	(-) 15.79
4	जम्मू एवं कश्मीर	26.00	59.28	(-) 33.28
5	मध्य प्रदेश	15.00	22.55	(-) 07.55
6	महाराष्ट्र	14.00	15.25	(-) 01.25
7	मेघालय	20.79	27.30	(-) 06.51
8	ओडिशा	20.50	31.26	(-) 10.76
9	पुडुचेरी (कें.शा. प्र.)	11.00	11.08	(-) 00.08
10	राजस्थान	14.00	17.49	(-) 03.49
11	सिक्किम	20.00	30.77	(-)10.77
12	उत्तर प्रदेश	15.00	30.52	(-) 15.52
13	उत्तराखंड	14.00	14.15	(-) 00.15

स्रोत: डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देश, पीएफसी की विद्युत उपयोगिताओं के निष्पादन पर रिपोर्ट (2021-22)

[169] *जम्मू एवं कश्मीर के लिए एटीएंडसी हानि आंकड़े 2021-22 के लिए विद्युत उपयोगिताओं के निष्पादन पर पीएफसी रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं था, इसलिए वर्ष 2020-21 के लिए आँकड़े उपरोक्त तालिका में लिया गया था।*

अनुलग्नक-5

(संदर्भित पैरा 4.2.1)

डीडीयूजीजेवाई एवं आरजीजीवीवाई 12वीं योजना से अन्य योजना/स्कीम में एवं इसके विपरीत पथांतरित निधि को दर्शाने वाला विवरण

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य के नाम	पथांतरित निधि की राशि	टिप्पणियां
1	असम	179.15	"सौभाग्य" योजना को स्थानांतरित
2	गुजरात	59.35	जीईटीसीओ को पथांतरित होने तक दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए उपयोग की गई (मार्च 2019 से अगस्त 2021 तक)
3	जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख सहित	4.49	डीडीयूजीजेवाई निधि से ₹4.49 करोड़ का बनाया गया एफडीआर समर्पित बैंक खाते में वापस जमा नहीं किया गया।
4	झारखंड	160.99	आरजीजीवीवाई XII योजना से डीडीयूजीजेवाई में पथांतरित (₹128.99 करोड़ एवं ₹32.00 करोड़)
5	मध्य प्रदेश	212.26	डिस्कॉम्स एमपीएमकेवीवीसीएल (₹49.45 करोड़), एमपीपीएकेवीवीसीएल (₹70.31 करोड़) एवं एमपीपीओकेवीवीसीएल (₹92.50 करोड़) ने धनराशि को अन्य योजनाओं में पथांतरित कर दिया
6	मणिपुर	2.49	बिना पुनःपूर्ति के सामग्री को परिचालन एवं रखरखाव तथा अन्य जमा कार्यों के लिए पथांतरित की गईं ।
7	मिज़ोरम	0.65	डीडीयूजीजेवाई से असंबंधित कार्यों के लिए पथांतरित की गई।
8	नागालैंड	9.19	• डीडीयूजीजेवाई की ₹5.99 करोड़ की निधि को "सौभाग्य" योजना के कार्यों के भुगतान के लिए पथांतरित की गई। • योजना के अंतर्गत खरीदी गई ₹3.20 करोड़ की सामग्री को अस्थायी रूप से अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग कर लिया गया।
9	सिक्किम	0.21	डीडीयूजीजेवाई के अलावा अन्य कार्यों की आपूर्ति हेतु जारी की गई निधि

क्रम सं.	राज्य के नाम	पथांतरित निधि की राशि	टिप्पणियां
10	त्रिपुरा	0.22	आरजीजीवीवाई 12वीं योजना से डीडीयूजीजेवाई में पथांतरित
11	उत्तर प्रदेश	105.01	आरजीजीवीवाई 12वीं योजना की निधि से खरीदी गई ₹17.17 करोड़ की सामग्री को अन्य योजनाओं ("सौभाग्य"- ₹10.82 करोड़, सुगम - ₹0.06 करोड़, आरएमएल योजना - ₹0.56 करोड़ एवं बिजनेस प्लान - ₹5.73 करोड़) में लगा दिया गया। इसके अलावा, आरजीजीवीवाई 12वीं योजना निधि से खरीदी गई ₹14.55 करोड़ की सामग्री को डिस्कॉम (एमवीवीएनएल) के अभिलेखों में मूल्य में कमी/स्क्रैप के रूप में दिखाया गया। इसके अतिरिक्त, डीडीयूजी-जेवाई निधि के ₹73.29 करोड़ "सौभाग्य" योजना में पथांतरित किए गए।
कुल		**734.01**	

स्रोत: संबंधित राज्य डिस्कॉम डेटा

अनुलग्नक-6

{पैरा 5.1 में संदर्भित}

डीडीयूजीजेवाई

क्रम संख्या	राज्य के नाम	नमूना परीक्षित गाँवों की संख्या	उन ग्रामों की संख्या जहां निरीक्षण में विलंब हुआ	आरक्यूएम द्वारा निरीक्षण में विलंब	आरक्यूएम द्वारा निरीक्षण करने में विलंब की सीमा		
					उन ग्रामों की संख्या जिनमें 100 दिनों तक का विलंब हुआ	उन ग्रामों की संख्या जहां विलंब 100 से 300 दिनों से अधिक था	ऐसे ग्रामों की संख्या जहां विलंब 300 दिनों से अधिक थी
1	आंध्र प्रदेश	33	32	1 दिन से 134 दिन	26	6	0
2	असम	93	90	1 दिन से 463 दिन	44	15	31
3	छत्तीसगढ	29	24	8 दिन से 231 दिन	22	2	0
4	उत्तर प्रदेश	139	135	1 दिन से 594 दिन	87	31	17
5	गुजरात	25	16	1 दिन से 21 दिन	16	0	0
6	महाराष्ट्र	196	79	1 दिन से 93 दिन	79	0	0
7	तमिलनाडु	27	23	2 दिन से 54 दिन	23	0	0
8	केरल	17	1	109 दिन	0	1	0
9	मिज़ोरम	7	5	10 दिन से 112 दिन	3	2	0
10	मेघालय	22	20	26 दिन से 145 दिन	13	7	0
11	मणिपुर	3	3	259 दिन से 270 दिन	0	3	0
12	नागालैंड	17	14	15 दिन से 500 दिन	3	7	4
13	जम्मू एवं कश्मीर	31	26	7 दिन से 493 दिन	11	5	10
14	हरियाणा	22	22	4 दिन से 127 दिन	21	1	0
15	पुडुचेरी	2	2	12 दिन	2	0	0
16	सिक्किम	10	9	70 दिन से 134 दिन	8	1	0
17	तेलंगाना	18	17	20 दिन से 47 दिन	17	0	0
18	त्रिपुरा	6	6	73 दिन से 109 दिन	4	2	0
19	पश्चिम बंगाल	12	12	48 दिन से 331 दिन	5	4	3
20	उत्तराखंड	22	19	2 दिन से 48 दिन	19	0	0
21	पंजाब	10	9	1 दिन से 83 दिन	9	0	0
	कुल	**741**	**564**	1 दिन से 594 दिन[170]	**412**	**87**	**65**

[170] *100 दिन तक = 412 ग्राम, 100 दिन से 300 दिन तक का विलंब = 87 ग्राम, 300 दिन से अधिक का विलंब = 65 ग्राम*

आरजीजीवीवाई-**12**वीं योजना

क्रम संख्या	राज्य के नाम	नमूना परीक्षित गाँवों की संख्या	ग्रामों की संख्या जहां ग्रामों को सौंपने से निरीक्षण में विलंब	इन ग्रामों को सौंपने से निरीक्षण में विलंब	आरक्यूएम द्वारा निरीक्षण करने में विलंब की सीमा		
					उन ग्रामों की संख्या जिनमें 100 दिनों तक का विलंब हुआ	उन ग्रामों की संख्या जिनमें 100 दिनों तक का विलंब हुआ	उन ग्रामों की संख्या जिनमें 100 दिनों तक का विलंब हुआ
1	असम	16	6	211 दिन से 1148 दिन	0	2	4
2	झारखंड	20	2	133 दिन से 592 दिन	0	1	1
3	मणिपुर	10	7	808 दिन से 1523 दिन	0	0	7
4	राजस्थान	5	5	546 दिन से 642 दिन	0	0	5
5	उत्तर प्रदेश	45	25	169 दिन से 1238 दिन	0	4	21
6	ओडिशा	35	30	26 दिन से 921 दिन	2	6	22
	कुल	**131**	**75**	**26 दिन से 1523 दिन**[171]	**2**	**13**	**60**

[171] *100 दिन तक = 2 ग्राम, 100 दिन से 300 दिन तक का विलंब = 13 ग्राम, 300 दिन से अधिक का विलंब = 60 ग्राम*

डीडीजी परियोजनाएं

क्रम संख्या	राज्य के नाम	नमूना परीक्षित गाँवों की संख्या	उन ग्रामों की संख्या जहां निरीक्षण में विलंब हुआ	आरक्यूएम द्वारा निरीक्षण में विलंब	आरक्यूएम द्वारा निरीक्षण में विलंब का परिसर		
					उन ग्रामों की संख्या जिनमें 100 दिनों तक का विलंब हुआ	उन ग्रामों की संख्या जिनमें 100 दिनों तक का विलंब हुआ	उन ग्रामों की संख्या जिनमें 100 दिनों तक का विलंब हुआ
1	अरुणाचल प्रदेश	10	10	309 दिन से 437 दिन	0	0	10
2	असम	8	8	84 दिन से 421 दिन	2	0	6
3	छत्तीसगढ	13	12	1 दिन से 201 दिन	10	2	0
4	जम्मू एवं कश्मीर	1	1	75 दिन	1	0	0
5	झारखंड	12	12	41 दिन से 220 दिन	7	5	0
	कुल	**44**	**43**	**1 दिन से 437 दिन**[172]	**20**	**7**	**16**

[172] *100 दिन तक = 20 ग्राम, 100 दिन से 300 दिन तक का विलंब = 7 ग्राम, 300 दिन से अधिक का विलंब = 16 ग्राम*

अनुलग्नक-7

(संदर्भित पैरा 6.3.1.3)

अनर्ह कार्यों को सम्मिलित करने के कारण अनियमित व्यय को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य के नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
1	जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख सहित	जिला संभागीय प्राधिकरणों ने जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख सहित की सात परियोजनाओं में ₹27.59 करोड़ का व्यय निर्धारित किया, जो उन कार्यों के क्रियान्वयन के कारण हुआ, जिन्हें डीपीआर में अनुमोदित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप योजना के अंतर्गत अनर्ह कार्यों का क्रियान्वयन हुआ। विद्युत मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि केपीडीसीएल के संबंध में, योजनाओं के समापन में कोई अनियमित व्यय या अनर्ह कार्य सम्मिलित नहीं किया गया था क्योंकि दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच एवं अन्वीक्षण समिति के अनुमोदन के बाद आरईसी द्वारा समापन को स्वीकृति दी गई थी। जहां तक जेपीडीसीएल का संबंध है, योजना के समापन का प्रस्ताव दिया गया तथा केवल उन्हीं कार्यों को योजना निधि में लोड किया गया जो सभी प्रकार से पूर्ण थे। उपर्युक्त उत्तर के लेखापरीक्षा खंडन के प्रत्युत्तर में, विद्युत मंत्रालय ने समापन रिपोर्ट प्रदान की जिसमें केवल एक डिवीजन भाग को कवर किया गया जिसमें ₹0.09 करोड़ का व्यय हुआ। शेष भाग के संबंध में लेखापरीक्षा को उत्तर के सहायता में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।

अनुलग्नक-8

(संदर्भित पैरा 6.3.1.3)

संविदाकारों को अनर्ह लाभ प्रदान करने के उदाहरणों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य के नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
1	**मिज़ोरम**	ममित परियोजना में, दो निर्माण कार्यों एवं पश्चिम फैलेंग एवं ज़ॉलनुआम उप-मंडल में डीटीआर की शुरुआत के लिए संविदाकार को अक्टूबर 2018 में ₹1.78 करोड़ की लागत से दिए गए थे, जिन्हें पूर्ण करने की दिनाकं 15 दिसंबर 2018 थी। प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2019 तक कार्य पूरा नहीं हुआ था, फिर भी संविदाकार को 21 दिसंबर 2018 को पूरा भुगतान जारी कर दिया गया, अर्थात कार्य पूरा होने से पहले। विद्युत मंत्रालय ने बताया (जून 2022/नवंबर 2024) कि 2019 के दौरान कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए एवं चालू कर दिए गए। साइट पर डी.टी. में सुधार के बाद हैंडओवर एवं टेकओवर का काम किया गया। उत्तर से पुष्टि होती है कि काम तय समय पर पूरा नहीं हुआ, फिर भी संविदाकार को काम पूरा होने से पहले ही पूरा भुगतान जारी कर दिया गया। एटीएन की जाँच के दौरान इसकी पुष्टि की जाएगी।
2	**उत्तर प्रदेश**	विद्युत संयोजन का काम टीकेसी, व्यक्तिगत संविदाकार एवं विभाग को दिया गया था। दो परियोजनाओं (वाराणसी एवं कौशाम्बी) के विभिन्न टीकेसी/संविदाकारों के संयोजन डेटा के प्रति-सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक ही खाता संख्या वाले 1,540 (वाराणसी-780 एवं कौशाम्बी-760) कनेक्शनों का दावा दो टीकेसी/संविदाकारों ने डिस्कॉम (पीयूवीवीएनएल) से किया था। इस प्रकार, डिस्कॉम ने ऐसे दावे के लिए ₹0.46 करोड़ (1,540 x ₹3,000) की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया। विद्युत मंत्रालय ने बताया (जून 2022) कि 36,792 डुप्लीकेट कनेक्शनों के विरुद्ध संबंधित फर्म से करों सहित वसूली के लिए ₹8.65 करोड़ की राशि अधिरोपित की गई है। पीयूवीवीएनएल ने विद्युत मंत्रालय को ₹4.74 करोड़ (सब्सिडी वाला हिस्सा) की वसूली राशि लौटा दी है। तथ्य यह है कि "सौभाग्य" योजना के अंतर्गत कार्य के क्रियान्वयन के समय समुचित सावधानी नहीं बरती गई, जिसके कारण संविदाकार द्वारा अवैध दावा किया गया।

अनुलग्नक-9

(संदर्भित पैरा 6.3.1.3)

"सौभाग्य" योजना के अंतर्गत योजना निधियों के अवरुद्ध/अप्रयुक्त सामग्री की लागत के साथ लोड होने के उदाहरणों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य के नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
1	**अरुणाचल प्रदेश**	लोअर दिबांग घाटी परियोजना में, मार्च 2019 के दौरान काम पूरा हो गया था एवं ₹0.35 करोड़ मूल्य की सामग्री अप्रयुक्त रह गई थी, हालांकि, अप्रयुक्त सामग्री के लिए व्यय निर्धारित/योजना के अंतर्गत प्रभारित किया गया था तथा आरईसी से दावा भी किया गया था। विद्युत मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2024) कि इन सामग्रियों का उपयोग 2021 एवं 2023 के मध्य हुई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विद्युत आपूर्ति की बहाली के लिए किया गया था। इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 0.35 करोड़ के बजट प्रावधान का विचार किया गया तथ आवंटन प्राप्ति पर, इसे विद्युत मंत्रालय की समेकित निधि में भेज दिया जाएगा। उत्तर को इस तथ्य के रूप में देखा जा सकता है कि अप्रयुक्त सामग्री की लागत परियोजनाओं के अंतिम समापन के समय पीआईए से वसूल की जानी चाहिए थी।
2	**मणिपुर**	डिस्कॉम (एमएसपीडीसीएल) ने नौ परियोजनाओं में घरेलू संयोजन के विभागीय क्रियान्वयन हेतु घरेलू संयोजन किट खरीदे। इन परियोजनाओं में ₹0.66 करोड़ मूल्य की घरेलू संयोजन किट डिस्कॉम के पास (अगस्त 2021) अप्रयुक्त पड़ी थीं, जबकि परियोजनाओं को मार्च 2020 तक पूरा घोषित कर दिया गया था। विद्युत मंत्रालय ने बताया (जून 2022/नवंबर 2024) कि ₹0.66 करोड़ की वसूली योग्य राशि 11.07.2024 को भारतकोश के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के खाते में भेज दी गई है। तथ्य यह है कि "सौभाग्य" योजना के अंतर्गत कार्य के क्रियान्वयन के समय उचित सावधानी नहीं बरती गई थी।

अनुलग्नक-10

(संदर्भित पैरा 6.3.2)

सौर फ़ोटोवोल्टाइक (एसपीवी) प्रणाली के माध्यम से घरेलू विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत लागत (₹करोड़ में)	अक्टूबर 2017 तक एसपीवी के माध्यम से विद्युतीकृत किए जाने के लिए स्वीकृत घरों की संख्या	31 मार्च 2019 तक एसपीवी के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की वास्तविक संख्या	1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 के मध्य एसपीवी के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या	1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 2021 के मध्य एसपीवी के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या	एसपीवी मोड के अंतर्गत घरों का पूर्ण विद्युतीकरण	एसपीवी के माध्यम से लक्षित एवं वास्तविक घरों के विद्युतीकरण (संख्या में) में भिन्नता अतिरिक्त/कम (+/-)	समापन प्रतिवेदन के अनुसार एसपीवी की अंतिम लागत (₹करोड़ में)
1	अरुणाचल प्रदेश	27.15	5,430	5,398	0	0	5,398	(-)32	25.37
2	असम	31.88	6,376	33,332	17,422	0	50,754	44,378	237.69
3	बिहार	100.05	20,010	39,100	0	0	39,100	19,090	194.52
4	छत्तीसगढ	326.87	65,373	37,519	22,060	5,794	65,373	0	199.39
5	जम्मू एवं कश्मीर (लद्दाख सहित)	10.23	2,046	168	0	0	168	(-)1,878	0.51
6	झारखंड	18.69	3,738	3,738	4,002	0	7,740	4,002	28.68
7	कर्नाटक	1.04	207	0	207	0	207	0	0.86
8	मध्य प्रदेश	87.81	17,562	12,651	0	0	12,651	(-)4,911	38.33
9	महाराष्ट्र	117.80	23,560	16,787	13,751	0	30,538	6,978	117.57
10	मणिपुर	16.94	3,387	208	3,179	0	3,387	0	16.76
11	मेघालय	2.14	428	0	598	0	598	170	2.94

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत लागत (₹करोड़ में)	अक्टूबर 2017 तक एसपीवी के माध्यम से विद्युतीकृत किए जाने के लिए स्वीकृत घरों की संख्या	31 मार्च 2019 तक एसपीवी के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की वास्तविक संख्या	1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 के मध्य एसपीवी के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या	1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 2021 के मध्य एसपीवी के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या	एसपीवी मोड के अंतर्गत घरों का पूर्ण विद्युतीकरण	एसपीवी के माध्यम से लक्षित एवं वास्तविक घरों के विद्युतीकरण (संख्या में) में भिन्नता अतिरिक्त/कम (+/-)	समापन प्रतिवेदन के अनुसार एसपीवी की अंतिम लागत (₹करोड़ में)
12	मिज़ोरम	6.95	1,390	1,466	0	0	1,466	76	5.93
13	ओडिशा	35.44	7,088	0	13,735	0	13,735	6,647	68.68
14	पंजाब	0.07	14	0	0	0	0		0.00
15	राजस्थान	522.56	1,04,512	14,152	97,853	11,677	1,23,682	19,170	420.69
16	त्रिपुरा	18.00	3,599	3,601	0	0	3,601	2	14.85
17	उत्तर प्रदेश	500.00	1,00,000	29,213	4,076	19,945	53,234	(-)46,766	175.31
18	उत्तराखंड	42.78	8,556	4,837	0	0	4,837	(-)3,719	21.89
19	पश्चिम बंगाल	9.31	1,861	0	0	0	0		0.00
	कुल	**1,875.71**	**3,75,137**	**2,02,170**	**1,76,883**	**37,416**	**4,16,469**	**43,207**	**1,569.97**

अनुलग्नक-11

(संदर्भित पैरा 7.2)

राज्य डिस्कॉम को उच्च दरों पर पीएमए प्रभार की प्रतिपूर्ति

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	डिस्कॉम का नाम	विद्युतीकृत घर (ग्रिड एवं ऑफ-ग्रिड)	"सौभाग्य"योजना के अंतर्गत समापन लागत (पी.एम.ए. को छोड़कर)	अन्वीक्षण समिति की पूर्व स्वीकृति के अनुसार परियोजना लागत का 0.5% पीएमए शुल्क प्रभार स्वीकार्य	"सौभाग्य"योजना के अंतर्गत जारी पीएमए प्रभार	अंतर
			(क)	(ख)	(ग)=(ख*0.5%)	(घ)	(च) =(घ-ग)
			संख्या	राशि	राशि	राशि	राशि
1	**असम**	एपीडीसीएल	13,99,688	882.66	4.41	15.52	11.11
2	**हरियाणा**	डीएचबीवीएनएल	4,8714	13.48	0.07	0.37	0.30
3	**जम्मू एवं कश्मीर**	जेकेपीडीडी	17,6935	58.23	0.29	1.67	1.38
4	**मिज़ोरम**	मिजोरम विद्युत विभाग	26,926	45.35	0.23	0.38	0.15
5	**नागालैंड**	नागालैंड विद्युत विभाग	74,463	59.49	0.30	0.64	0.34
6	**राजस्थान**	एवीवीएनएल, अजमेर	5,52,557	319.71	1.60	5.11	3.51
		जेडीवीवीएनएल, जोधपुर		163.75	0.82	2.81	1.99
		जेवीवीएनएल, जयपुर		10.12	0.05	0.47	0.42
7	**तेलांगना**	टीएसएनपीडीसीएल	69,690	27.42	0.13	0.32	0.19
8	**उत्तर प्रदेश**	पीयूवीवीएनएल	62,18,197	1,003.26	5.02	54.89	49.87
		एमवीवीएनएल		927.02	4.64	50.15	45.51
		पीएसवीवीएनएल		317.02	1.58	17.16	15.58
		डीवीवीएनएल		526.08	2.63	28.38	25.75
	उत्तर प्रदेश का पूर्ण योग			**2,773.38**	**13.87**	**150.58**	**136.71**
			85,67,170	**4,353.59**	**21.77**	**177.87**	**156.10**

पारिभाषिक शब्दों की शब्दावली

क्रम संख्या.	पारिभाषिक शब्द	अर्थ
1	तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों का कुल योग	तकनीकी हानियाँ विद्युत के संचरण एवं वितरण के लिए प्रयुक्त उपकरणों की अंतर्निहित प्रकृति के कारण होती हैं, तथा वाणिज्यिक हानियाँ ऊर्जा की चोरी, दोषपूर्ण मीटरों तथा बिना मीटर वाली आपूर्ति के कारण होती हैं।
2	बजटीय सहायता	केन्द्रीय योजना के लिए सरकार के सहायता को सकल बजटीय सहायता कहा जाता है।
3	डीडीजी	उन ग्रामों के लिए पारंपरिक या नवीकरणीय या गैर-पारंपरिक स्रोत जैसे बायोमास, जैव ईंधन, जैव गैस, लघु जलविद्युत, भू-तापीय एवं सौर आदि से विकेन्द्रीकृत वितरण-सह-उत्पादन की परिकल्पना की गई है, जहां ग्रिड संबद्धता या तो संभव नहीं है या लागत प्रभावी नहीं है।
4	डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देश	योजना के उपर्युक्त घटक (i) एवं (ii) अर्थात फीडर पृथक्करण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मीटरिंग सहित वितरण अवसंरचना का संवर्धन तथा ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के अंतर्गत स्वीकृत किसी भी नई परियोजना के लिए लागू दिशा-निर्देश।
5	विवरण परियोजना रिपोर्ट	परियोजना पर अंतिम, विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट तथा इसके क्रियान्वयन एवं आवश्यक परिचालन हेतु एक मूलयोजना।
6	डेडिकेटेड फीडर्स	एक एचटी फीडर जिसके माध्यम से सबस्टेशन से एकल उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति की जाती है जहां आवश्यक वोल्टेज में परिवर्तन होता है।
7	डीएलएमएस	डिवाइस लैंग्वेज मैसेज स्पेसिफिकेशन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग डेटा को संदेशों में बदलने के लिए किया जाता है।
8	वितरण ट्रांसफॉर्मर	ट्रांसफॉर्मर विद्युत शक्ति वितरण प्रणाली में अंतिम वोल्टेज परिवर्तन करता है।
9	विद्युतीकृत ग्राम	किसी ग्राम को विद्युतीकृत घोषित कर दिया जाता है यदि उसके 10% घरों के साथ-साथ सार्वजनिक संस्थानों जैसे स्कूल, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, औषधालयों एवं सामुदायिक केंद्रों में भी विद्युत पहुंच जाती है।

क्रम संख्या.	पारिभाषिक शब्द	अर्थ
10	ऊर्जा लेखांकन	ऊर्जा लेखांकन नेटवर्क के वितरण परिधि में विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर सभी ऊर्जा अंतर्वाहों का लेखा-जोखा निर्धारित करता है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन एवं निर्बाध प्रवेश वाले उपभोक्ता, साथ ही अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा खपत भी सम्मिलित है।
11	फीडर पृथक्करण	नए फीडरों को खींचने के लिए एचटी लाइनों का निर्माण एवं मौजूदा लाइनों का पुनः अभिविन्यास/पुनर्संरेखण।
12	घरेलू	राज्य के उपभोक्ता जिसे विद्युत की आपूर्ति की जानी है।
13	अनर्ह कार्य	इस योजना के अंतर्गत जो कार्य नहीं किए जा सके।
14	भार	एसी परिपथ में आपूर्ति शक्ति का स्रोत है एवं भार कुछ भी है जिसे आप नियंत्रित करने के लिए चालू या बंद कर रहे हैं जैसे लाइट फिटिंग, तत्व, मोटर आदि।
15	अन्वीक्षण समिति	अधिकारियों का समूह जो परियोजना को स्वीकृति देगा, योजना के अंतर्गत परियोजना को लागू करेगा, मूल्यांकन एवं अन्वीक्षण करेगा|
16	आंशिक रूप से विद्युतीकृत ग्राम	जिन ग्रामों को विद्युतीकरण की तत्कालीन प्रचलित परिभाषा के अनुसार विद्युतीकृत घोषित किया गया था, उन्हें नई परिभाषा के अंतर्गत आंशिक रूप से विद्युतीकृत माना गया इसलिए एचटी/एलटी लाइनों के विस्तार एवं अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर जैसे गहन कार्य उन ग्रामों में किए जाने की आवश्यकता थी ताकि उनका विद्युतीकृत ग्रामों के रूप में वर्गीकरण बरकरार रखा जा सके।
17	परियोजना प्रबंधन एजेंसी	परियोजना का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्रबंधन में उनकी सहायता करने के लिए एक उपयुक्त परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) को प्राथमिकता के अनुसार उपयोगिता-वार नियुक्त किया जाएगा।
18	ग्रामीण विद्युतीकरण	ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में विद्युत शक्ति लाने की प्रक्रिया है।
19	ग्रामीण विद्युतीकरण डेटा हब:	आरईसी में ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) डेटा हब बनाया जाना था। यह डेटा हब मुख्य रूप से ग्रामीण विद्युत वितरण प्रणालियों से संबंधित डेटा एवं सूचना के लिए एक नोडल सूचना केंद्र होगा एवं मोटे तौर पर देश में ग्रामीण विद्युतीकरण की राज्यवार अद्यतन स्थिति को एकत्रित करेगा।

क्रम संख्या.	पारिभाषिक शब्द	अर्थ
20	आरजीजीवीवाई दिशानिर्देश	आरजीजीवीवाई के मौजूदा प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश पहले से स्वीकृत आरई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी रहेंगे।
21	दरों की सूची	सभी सरकारें/विभाग हर साल सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली भवन निर्माण मदों/सामग्री/कार्य मद की दरों को तैयार एवं अद्यतन करते हैं। ऐसी वस्तुओं की संख्या 500 से 1000 तक हो सकती है। इसे दरों की सूची कहा जाता है।
22	सौर फोटोवोल्टाइक	फोटोवोल्टाइक सेल, सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में परिवर्तित करती हैं।
23	सबस्टेशन	उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए उपयुक्त विद्युत शक्ति संचरण के उच्च वोल्टेज को कम करने वाले उपकरणों का एक सेट।
24	त्रिपक्षीय/ द्विपक्षीय करार	विद्युत मंत्रालय की ओर से नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी, राज्य सरकार एवं यूटिलिटी के मध्य त्रिपक्षीय समझौता निष्पादित किया गया, जिसमें योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार अपनी निर्धारित भूमिकाओं/ जिम्मेदारियों को निभाने एवं उन पर सहमति व्यक्त की गई तथा राज्य विद्युत विभागों के मामले में द्विपक्षीय समझौता निष्पादित किया गया।

शब्दसंक्षेप

संक्षिप्त रूप	विस्तृत रूप
एबी केबल	एरियल बंच्ड केबल
ए एम सी	वार्षिक रखरखाव अनुबंध
एएमआर	स्वचालित मीटर रीडिंग
एपीडीसीएल	असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
एपीएल	गरीबी रेखा से ऊपर
एआरईपी	त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम
एटी एंड सी लॉसेज़	सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि
एटीएन	की गई कार्रवाई नोट
एवीवीएनएल	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
बेसकॉम	बैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी
बीजी	बैंक गारंटी
बीओएमटी	निर्माण, परिचालन, रखरखाव एवं हस्तांतरण
बीओक्यू	मात्रा का बिल
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीसीईए	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
सीईए	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीईएससी	चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड
सीआईएनबी	कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग
सीकेएम	परिपथ किलोमीटर
सीएलटीडी	कॉर्पोरेट लिक्विड मियादी जमा
सीपीजी	अनुबंध निष्पादन गारंटी
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीएसई	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
सीएसपीडीसीएल	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
डीडीजी	विकेंद्रीकृत वितरण-सह-उत्पादन
डीडीयूजीजेवाई	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
आरजीजीवीवाई	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
डीईसी	जिला विद्युत समिति
डीएचबीवीएन	दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम

संक्षिप्त रूप	विस्तृत रूप
डिस्कॉम	वितरण कंपनियां
डीआईएसएचए (दिशा)	जिला विकास समन्वय एवं अन्वीक्षण समिति
डीएलएमएस	डिवाइस भाषा संदेश विशिष्टता
डीओपी	डाक विभाग
एलईडी	प्रकाश उत्सर्जक डायोड
केएम	किलोमीटर
डीपीआर	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
डीटी	वितरण ट्रांसफॉर्मर
डीवीअन्वीक्षण समिति	जिला सतर्कता एवं अन्वीक्षण समिति
ईबीआर	अतिरिक्त बजटीय संसाधन
एफडीआर	सावधि जमा रसीद
एफक्यूपी	क्षेत्र गुणवत्ता योजना
एफआर	व्यवहार्यता रिपोर्ट
एफएस	वित्तीय विवरण
जीएआरवी	ग्रामीण विद्युतीकरण मोबाइल ऐप
जीबीएस	सकल बजटीय सहायता
जैसकॉम	गुलबर्गा विद्युत आपूर्ति कंपनी
जीईटीसीओ	गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
जीओआई	भारत सरकार
जीपीसी	ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र
जीपीएस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
जीटीपी	गारंटीकृत तकनीकी विवरण
एचएच'स	घरेलू
एचटी	उच्च तनाव
एचवीडीएस	उच्च वोल्टेज वितरण योजना
आईडीईए (आइडिया) सॉफ्टवेयर	इंटरएक्टिव आंकड़ा निष्कर्षण एवं विश्लेषण सॉफ्टवेयर
आईई	गहन रूप से विद्युतीकृत
आईएफडी	एकीकृत वित्त मंडल
आईआईटीएम	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
आईटीडी	आयकर विभाग
जेबीवीएनएल	झारखण्ड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

संक्षिप्त रूप	विस्तृत रूप
जेकेएसपीडीसी	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड
जेडीवीवीएनएल	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जेवीवीएनएल	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
केएसईबीएल	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड
केवी	किलोवोल्ट
केवीए	किलोवोल्ट-एम्पीयर
एल1	न्यूनतम निविदा या न्यूनतम बोली
एलओए	निविदा स्वीकृति पत्र
एलओआई	आशय पत्र
एलटी	निम्न तनाव
एलईडी	प्रकाश उत्सर्जक डायोड
एमए	लामबंदी अग्रिम
एम सी	अन्वीक्षण समिति
एमडी	प्रबंध निदेशक
मेस्कॉम	मंगलौर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड
एमईपीडीसीएल	मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
एमआईएस	प्रबंधन सूचना तंत्र
एमएमएस	मॉड्यूल माउंटिंग सिस्टम
एमएमएमटीवाई	मुख्यमंत्री माजरा टोला विद्युतीकरण योजना, छत्तीसगढ़
एमएमएसएलवीवाई	मुख्यमंत्री माजरा सबके लिए विद्युत योजना, राजस्थान
एमएनपी	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओपी	विद्युत मंत्रालय
एमपीपीएकेवीवीसीएल	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
एमक्यूपी	विनिर्माण गुणवत्ता योजना
एमक्यूवी	मॉडल गुणवत्ता ग्राम
एमएसईडीसीएल	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
एमएसपीडीसीएल	मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
एमवीए	मेगा वोल्ट-एम्पीयर
एमवीवीएनएल	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
एनएबीएल	राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड

संक्षिप्त रूप	विस्तृत रूप
एनएडी	आवश्यकता मूल्यांकन दस्तावेज़
एनएफएमएस	राष्ट्रीय फीडर अन्वीक्षण प्रणाली
एनआईटी	निविदा आमंत्रण सूचना
एनक्यूएम	राष्ट्रीय गुणवत्ता अन्वीक्षण
पीसीसी	परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र
पीसीसी पोल	सादा सीमेंट कंक्रीट पोल
पीई	आंशिक विद्युतीकृत
पीएफसी	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पीआईए	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी
पीएमए	परियोजना प्रबंधन एजेंसी
पीएमजीवाई	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
पीओजी	परियोजना परिचालन गारंटी
पीएसपीसीएल	पंजाब राज्य विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पीवीवीएनएल	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
क्यूए	गुणवत्ता आश्वासन
आर एंड एम	मरम्मत एवं रखरखाव
आरडीएसएस	पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना।
आरई	ग्रामीण विद्युतीकरण
आरईसी	आरईसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड)
आरईसीपीडीसीएल	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड
आरईपीओएल	ग्रामीण विद्युतीकरण नीति
आरईएसपीओ	ग्रामीण विद्युतीकरण एवं माध्यमिक प्रणाली योजना एवं संगठन
आरजीजीवीवाई	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
आरपीएम	समीक्षा योजना एवं अन्वीक्षण बैठक
आरओडब्ल्यू	मार्गाधिकार
आरक्यूएम	आरईसी गुणवत्ता मॉनिटर
एसएजीवाई	सांसद आदर्श ग्राम योजना
एसएयूबीएचएजीवाईए ("सौभाग्य")	प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना
एसबीडी	मानक बोली दस्तावेज
एसईसीसी	सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना
एसजीएसटी	राज्य माल एवं सेवा कर

संक्षिप्त रूप	विस्तृत रूप
एसएलडी	एकल पंक्ति आरेख
एसएलएससी	राज्य स्तरीय स्थायी समिति
एसओआर	दरों की अनुसूची
एसपीवी	सौर फोटोवोल्टिक
एसआरएसडब्ल्यूओआर	प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण
एसएस	उपस्थान
एसटी एंड डी	उप-पारेषण एवं वितरण
टी एंड पी	उपकरण एवं यंत्र
टैनजेडको	तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
टीकेसी	एकमुश्त कार्य करने वाला संविदाकार
टीपीआईए	तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी
टीपीएनओडीएल	टीपी उत्तरी ओडिशा वितरण लिमिटेड
टीएसईसीएल	त्रिपुरा राज्य विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड
टीएसएनपीडीसीएल	तेलंगाना उत्तरी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
टीएसएसपीडीसीएल	तेलंगाना दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
यूसी	उपयोगिता प्रमाणपत्र
यूडीसी	निर्बाध प्रत्यक्ष धारा
यूई	गैर-विद्युतीकृत
यूएचबीवीएन	उत्तर हरियाणा विद्युत वितरण निगम
यूटी	केंद्र शासित प्रदेश
वैपकोस	वैपकोस लिमिटेड को पहले वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
डब्ल्यूपी	वाट-पीक
डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूडब्ल्यूसी	श्रमिक कल्याण उपकर
डब्ल्यूसीटी	कार्य अनुबंध कर

2025 की प्रतिवेदन संख्या 17 - संघ सरकार-विद्युत मंत्रालय

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/hi/page-audit-report-17-of-25